खण्ड-252, अंक-6
मंगलवार, 17 भाद्रपद, शक संवत् 1886
(8 सितम्बर, 1964 ई0)

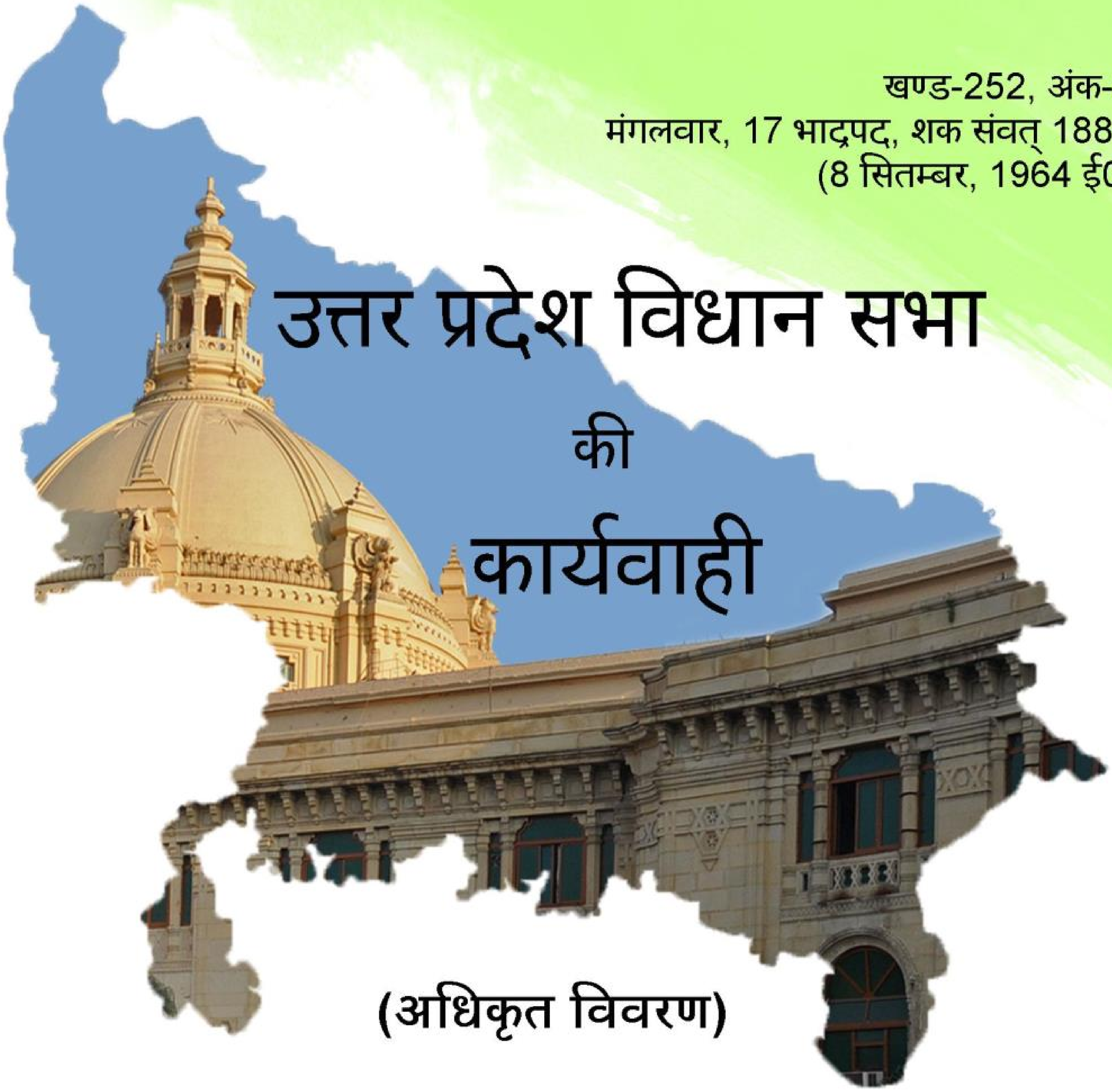

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 252 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५७३–५७७
प्रश्नोत्तर	५७७–५९९
प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में आपत्ति	५९९
विविध विषयों पर व्यवस्था के प्रश्न	५९९–६०२
श्री रघुनाथ की रिहाई के सम्बन्ध में सूचना	६०२
सदन में पर्चा बांटने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	६०२–६०७
गोंडा निर्वाचन क्षेत्र में हुए निर्वाचन के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय के विषय पर मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में कथित तथ्यों को छिपाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	६०८–६१२
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	६१३–६१७
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	६१७–६१८
आजमगढ़ तथा बलिया जिले की सीमा में घाघरा नदी के कटाव के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६१८–६२१
प्रदेश में अंग्रेजी भाषा में बनाये गये अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा के संबंध में सूचना	६२१–६२२
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४, पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के सभापति का मनोनयन	६२२–६२३
कतिपय विषय	६२४
बदायूं नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार के संबंध में वक्तव्य	६२४
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ (खंडशः विचार जारी)	६२५–६५४
प्रदेश में अंग्रेजी भाषा में बनाये गये अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा	६५५–६६१
नत्थियां	६६२–६६४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ८ सितम्बर, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७८

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
उल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री

विधान सभा

पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोलालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुम्हमद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री

रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री

श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सरदारसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सूदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सूरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह, शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ८ सितम्बर, १९६४

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

छितौनी बांध

*१—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या यह सही है कि छितौनी बांध, जिला गोरखपुर जो सन् १९६३ में टूट गया था उसकी मरम्मत १९६४ में हुई और फिर भी वह टूट गया ? यदि हां, तो उस पर कितना खर्च हुआ और इस खराबी के लिये जिम्मेदार कौन हैं ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

बांध का जो भाग १९६४ में टूटा था उसकी मरम्मत अभी नहीं हुई। अतः सम्बन्धित प्रश्न नहीं उठते।

*२—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री ऊदल—

क्या यह सही है कि छितौनी बांध का काम कभी देवरिया डिवीजन से कराया गया और कभी गोरखपुर और इस सम्बन्ध में काफी रुपये का दुरुपयोग हुआ है ? क्या सरकार सी० आई० डी० द्वारा इस मामले की जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जी हां। प्राप्त शिकायतों की जांच विभाग द्वारा हो रही है। किसी अन्य सूत्र से जांच कराने की अभी कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती। जांच के बाद ही यह कहा जा सकेगा कि इस सम्बन्ध में रुपयों का दुरुपयोग हुआ है या नहीं।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतावेंगे कि यह बांध कितने रुपये से बना था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सूचना की आवश्यकता है।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरी इत्तला है कि ८, ९ लाख रुपये में बना जबकि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को केवल १ लाख का अधिकार है, तो उसने टुकड़े में बनवाया ताकि ऊपर न जाना पड़े। इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जिसका प्रश्न किया था वह तो बना ही नहीं।

श्री कमलासिंह यादव—

जो ६३ में बना और टूट गया उसके बारे में जवाब दीजिये।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बांध कितने में बना इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बांध की मरम्मत न होने का कारण क्या है और जब वह बनेगा तो कितने खर्चे का अनुमान है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जिस समय यह बांध टूटा उस समय वहां २५, ३० फीट पानी था। बरसात खत्म होने पर कोशिश की गई कि उसके पीछे एक रिटार्ड बांध बना दिया जाय और कुछ स्पर लगाकर सिल्टिंग की कोशिश की गई। इसमें कुछ सफलता मिली। अब आशा है कि बांध की मरम्मत हो सकेगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

अनुमान तो एस्टीमेट बनने पर ही बताया जा सकता है।

श्री ऊदल—

सन् १९६३ में बांध टूटा और ६४ की बरसात भी आ गई, अभी तक उसे क्यों नहीं बनवाया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

६३ में इसलिये नहीं बन सका कि पानी भरा था। ६४ के शुरू में हमने प्रयास किया कि नदी को ढकेल दिया जाय ताकि सिल्टिंग हो सके। उसमें कुछ कामयाबी हुई। अब नदी के रुख के अनुसार काम किया जायगा।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या २९ अगस्त को चीफ इंजीनियर वहां जांच के लिये गये थे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या यह बांध इसलिये टूटा कि सीमेंट में बालू बहुत था ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

मंत्री जी के पास कोई सूचना नहीं है। कल के लिये स्थगित कर दें।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

यह बांध कितनी बार टूटा है और कितनी बार बांधा गया है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

६३ के बाद बांध की मरम्मत ही नहीं हुई।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

यह बांध कच्चा है या पक्का, मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

बांध मिट्टी का है।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरे किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इसमें और मौका दीजिये हमको। कल के लिये स्थगित कर दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो सूचना मेरे पास है वही तो मैं दे सकता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

कल के लिए रख दें श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिए, बहुत से सवाल तो ऐसे पूछे गये जो इससे संबंधित नहीं हैं।

श्रीकमलासिंह यादव—

संबंधित न होते तो आप इजाजत न देते। कल के लिए पोस्टपोन कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

पोस्टपोन करने की बात नहीं है। यह पोस्टपोन नहीं होगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

आपने मन्त्री जी से यह कहा कि कल जवाब दे सकेंगे। तो मंत्री जी ने जिस टोन में कहा कि मेरे पास जो कुछ है वही तो दे सकता हूं, क्या इस टोन में इस सदन के अन्दर और आपसे ऐसी बात करना उचित है ?

श्री कमलासिंह यादव—

मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २९ अगस्त, १९६४ को चीफ इंजीनियर, श्री मित्तल, जांच के लिये छितौनी बांध पर गये थे ? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है कि वह गये थे।

श्री कमलासिंह यादव—

अब, श्रीमन्, अगर यह भी सूचना नहीं है तो फिर क्या प्रश्न किया जाय ? मुझे मालूम है कि वह गये थे, रिपोर्ट उन्होंने दी और वह उसको छिपाना चाहते हैं कि क्या वह रिपोर्ट है.....

श्री उपाध्यक्ष—

उनको मजबूर तो नहीं किया जा सकता। अगर सूचना न हो तो उसके लिये क्या किया जाय ? (व्यवधान) सूचना होगी, तभी तो देंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, अगर कांफिडेंशियल न हो तो वह बाउन्ड हैं देने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष—

हां, बाउन्ड तो हैं लेकिन अगर सूचना न हो, तो क्या करें ?

श्री कमलासिंह यादव—

चीफ इंजीनियर मौके पर गये थे या नहीं गये थे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

शिकायत जब आयी तो हमने यह लिखा सिंचाई विभाग को कि इसकी जांच करके रिपोर्ट भेजी जाय। हम उसकी जांच करा रहे हैं। जांच की रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आयी है। जब पूरी रिपोर्ट आ जायगी तभी हम सूचना देंगे। अब बीच में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जायं या चीफ इंजीनियर जायं, तो उसकी सूचना हर वक्त तो फाइल में हमारे पास रहती नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं तो यह कहूंगा श्रीमन्, कि जांच के संबंध में यह प्रश्न है और मुझे ठीक तौर से मालूम है कि चीफ इंजीनियर श्री मित्तल वहां गये थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। तो जब तक रिपोर्ट न आ जाय तब तक के लिये इसको स्थगित कर दिया जाय और कल तक उसे मंगा लिया जाय।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

रिपोर्ट आयेगी तब कुछ कहा जा सकता है।

श्री कमलासिंह यादव—

कल तक मंगा लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल तक कैसे आ जायगी ?

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि किस व्यक्ति के खिलाफ यह शिकायत हुई है और शिकायत करने वाले लोग कौन हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, एक पर्चा निकला, श्री गंगा विष्णु सिंह के नाम से, जो छपा है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से। यह पर्चा जब हमारे पास आया, हमारे आदमियों ने जो सपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, उन्होंने गंगा विष्णु सिंह के नाम से एक नोटिस दी कि आप आकर इसके जबाव में बतायें । उनके यहां से हमें कोई जबाव अभी तक नहीं मिला है । पता नहीं चला कि वह आदमी है भी या नहीं । इसके बाद जो प्रेस वाले हैं जहां पर्चा छपा है शारदा प्रेस, गोरखपर में, उनको भी हमने एक नोटिस दी है कि आप बतायें कि गंगा विष्णु सिंह जी कौन हैं, लेकिन उसका भी हमें कोई जवाब नहीं मिला ।

श्री राजदेव (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को पता है कि माइल १०, माइल ६, माइल ९ और माइल ५ पर जो पार साल पाईलिंग की गई सब की सब बह गई और इस साल बहने के बाद माइल १० पर फिर पाईलिंग की जा रही है ? इसमें कुल कितना रुपया सरकार का व्यय हुआ और सरकार यह भी बताये कि इतना रुपया क्यों खर्च किया जा रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बांध तो बाढ़ रोकने के लिये बनाये जाते हैं । पानी का एक ऐसा अन्दाजा लगाते हैं कि ३–४ हजार क्यूजेक से ७–८ हजार क्यूजेक पानी बढ़ जाया करता है । तो उसके रोकने के लिये साधारण तौर से यह बांध बनाये जाते हैं । लेकिन यदि एक अन्दाजे से बहुत ज्यादा बढ़ जाय, जसे ८ हजार से एक लाख क्यूजेक हो जाये तो मजबूरी हो जाती है और उसमें बांध बह जाया करते हैं । तो इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है, वह बह सकते हैं ।

श्री राजदेव—

श्रीमन्, इस बांध में कई लाख रुपये का गड़बड़ घोटाला हुआ है । दो-दो बार वहां के इंजीनियर का तबादला किया गया लेकिन कैंसिल कर दिया गया । इसमें कई लाख का घोटाला है, सरकार इसकी जांच कराये ।

श्री उपाध्यक्ष—

उपाध्याय जी, यह व्याख्यान का समय नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

इसमें एक ओवरसियर ने दिल्ली में एक लाख रुपये की बिल्डिंग बनवाई है और एक एस० ई० ने गाजीपुर में एक लाख रुपये का आलीशान मकान बनवाया है । अगर आप सरकार को ऐसी बात भी छिपाने देंगे तो किस प्रकार से यह हाउस चलेगा ?

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, इसमें ९ लाख रुपया खर्च हुआ है जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा गबन हुआ है ।

श्री राजदेव—

उपाध्यक्ष जी, इसके बारे में बहस का मौका दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों के समय बहस नहीं होती ।

बलिया जिले में बांध तथा गाढ़ा ताल से क्षति

*३—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर) तथा श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बलिया के गाढ़ा ताल में बाढ़ के पानी से अपनी फसल तथा मकानों की सुरक्षा के वास्ते जगह-जगह छोटे-छोटे बांध बनवाये गय ह ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं, केवल एक बांध ग्रामीणों ने गाढ़ा ताल और इटौरा ताल को मिलाने वाले प्राकृतिक नाले पर खालिसपुर व इसहाकपुर के बीच में बनाया है ।

*४—श्री रघुवीर तथा श्री रघुनाथ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुछ गांवों की जनता जिनकी बांधों के बनाने से फसल तथा मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जून, १९६४ में बांधों को काटने की तैयारी की थी और दूसरे ग्राम के लोग जो उन बांधों से सुरक्षित बचे हैं, काटने से रोकने के लिये गये और ऐसी स्थिति में बहुत से कत्ल होने की संभावना हो गई थी ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस वर्ष गाढ़ा ताल के चारों ओर के ग्रामीणों ने जिनकी आबादी गाढ़ा ताल में एकत्रित पानी से खतरे में पड़ गई थी बांध को काटना चाहा जिस का बांध बनाने वाले ग्रामीणों ने विरोध किया । स्थिति गम्भीर हो गई थी परन्तु जिला अधिकारियों के बीच में पड़ने से गांव वाले पानी निकालने के लिये बांध को एक तरफ से कटवाने को तैयार हो गये। इस प्रकार यह समस्या अस्थायी रूप से तो हल हो गई है परन्तु इसके स्थायी हल के लिये जिलाधीश बलिया से सुझाव मांगे जा रहे हैं ।

*५—श्री रघुवीर तथा श्री रघुनाथ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाढ़ा ताल के बाढ़ के पानी से जो बहुत से ग्रामों की फसल तथा ग्राम क्षतिग्रस्त हो रहे हैं वह कौन-कौन से ग्राम हैं और मुख्य कारण क्या है कि ताल का पानी नहीं निकल पा रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गाढ़ा ताल में पानी एकत्रित होने से जून, १९६४ में संलग्न सूची में दिये हुए ग्राम प्रभावित थे ।

पानी एकत्रित होने का मुख्य कारण ताल के आस-पास असाधारण वर्षा का होना और प्राकृतिक नाले पर, जिस से पानी टोंस नदी में निकल जाता था, बांध बनाना था ।

(देखिये नत्थी' क' आगे पृष्ठ ६६२ पर)

श्री रघुवीर—

क्या सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि इन दोनों तालों को काटने से जो-जो गांव क्षतिग्रस्त हुए और जो-जो गांव सुरक्षित हैं, वह कौन कौन से हैं तथा क्या उस अवसर पर गाजीपुर और बलिया के उच्चाधिकारी पहुंच गये थ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इन दोनों तालाबों का पानी साधारणतः अलग-अलग निकल जाता है लेकिन जब ज्यादा वर्षा होती है तो एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में से होकर नदी में चला जाता है। जिन लोगों पर इस पानी का असर पड़ता था उन लोगों ने उसके बीच में एक बांध बना लिया। इसका असर यह हुआ कि एक तालाब में ज्यादा पानी भर गया, करीब २० गांव उससे प्रभावित होने वाले थे। इन गांव वालों ने उस बांध को काटना चाहा। लेकिन इस काटने से जिन लोगों को नुकसान होता था, वे उसको नहीं काटने देना चाहते थे। डी० एम० ने उन लोगों को समझा बुझा कर इस बात पर राजी कर लिया कि थोड़ा पानी निकाल लेने दिया जाय।

श्री रघुवीर—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आज से ६ वर्ष पूर्व इसी बांध के ऊपर जब इन ग्रामों के लोग काटने गये थे, उस समय भी दूसरे गांव के लोगों ने लड़ने की कोशिश की थी, इन दोनों में मारपीट हुई तथा २–४ कत्ल भी हो गये थे और इस साल भी ऐसी ही संभावना पैदा हो गयी थी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह दोनों ओर के गांव वालों का आपसी झगड़ा है। हमने जिला मैजिस्ट्रेट को लिखा है कि वे दोनों को समझा-बुझा कर कोई रास्ता निकालें।

श्री रघुवीर—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उसका एक कारण यह भी है कि तमसा नदी के ऊपर आपने एक १५–१६ मील लंबा बांध बनवा रखा है, जिस पर करोड़ों रुपया सरकार ने खर्च किया है और गाढ़ाताल, इकौना ताल, का पानी तथा खरिया नाला और सीता नाला, जो तमसा नदी में गिरते हैं, इस बांध के बन जाने से और सीतापुर के पास गाढ़ा नाला में रेग्युलेटर लग जाने से उनका पानी आसानी से तमसा नदी में नहीं गिर पाता है, इसलिये सारे गांवों के लोग परेशान और क्षतिग्रस्त होते हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमारी सूचना तो यह है कि गांव वालों ने जो यह बांध बनाया है उसकी वजह से ऐसा होता है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

गाढ़ा ताल के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ छोटे बांध बनाये गये थे जिससे कुछ पानी का लगाव हो गया उससे कुछ गांव के लोग प्रभावित हुए और ऐसी समस्या उनके सामने उपस्थित हो गयी कि बंधे को काटना पड़ा और जिलाधीश ने उसे कटवाया। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के बंधे जो बलिया जिले में बने हुए हैं जिनकी वजह से पानी की समस्या उपस्थित हो गयी है, क्या वे कोई ऐसी कमेटी बैठायेंगे जो बलिया जिले के उन तमाम बंधों का सर्वेक्षण करे और कोई अपनी रिपोर्ट दे जिससे इस समस्या का कोई हल निकाला जा सके?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बन्धे का सवाल है, यह इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं बनाया गया है, इसे गांव वालों ने अपनी तरफ से बनाया है। उन लोगों ने ओवरसियर्स वगैरह से कुछ मदद ली होगी। तो इस सिलसले में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हमारे मुहकमे की इसमें कहां तक जिम्मेदारी है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह बंधा बनाया गया तो क्या गांव वालों ने उनके एक्सपर्ट इंजीनियर से सलाह ली थी कि बंधा अमुक स्थान पर बनाया जाय ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

यह तो गांववालों का अपना बनाया हुआ है, हमारे पास इस के बारे में और कोई सूचना इस वक्त नहीं है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, यह जो बांध बनाया गया है उससे २–३ गांव के कुछ खास तरह के लोगों को तो लाभ हो रहा है और १०–१२ गांवों में उससे बाढ़ आती है, पानी भर जाता है और फसल खराब हो कर नुकसान होता है, तो क्या मंत्री जी कोई जांच करायेंगे कि उस से कितने और किन लोगों का लाभ है और कितनों को हानि है और उसको देखकर उसमें परिवर्तन करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जिलाधीश को हमने लिख दिया है कि इसका कोई उचित सालूशन ढूंढ़ें जिससे कि दूसरे अधिक गांव वालों का नुकसान न हो और लोगों को उससे लाभ भी होता रहे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या मंत्री जी यह गाढ़ाताल के छोटे छोटे बांधों के बनने से जो हजारों एकड़ भूमि में पानी लगता है और नुकसान होता है इस सारी स्थिति का सर्वे कराके कोई ऐसी योजना बनवायेंगे जिस से यह हजारों एकड़ भूमि खेती योग्य बन सके और लोगों का नुकसान न हो ?

श्री राममूर्ति—

काशी नाथ जी ध्यान से सुनते नहीं, उन्होंने अभी बता दिया कि जिलाधीश को कहा गया है कि वह ऐसा तरीका कोई निकालें जिस से कि लोगों की हिफाजत भी हो जाय और जो पानी भर जाता है वह समस्या भी दूर हो जाय।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, यह देखते हुये कि बांध के कारण कई गांव बाढ़ ग्रस्त हो जाते हैं और सुरक्षा का वहां प्रश्न उत्पन्न हो जाता है और मंत्री जी भी उसके संबंध में अपनी राय साफ जाहिर नहीं कर सकते, तो क्या मैं मंत्री जी से निवेदन कर सकती हूं कि क्या वह इसके बारे में पूरी जानकारी करा के सदन में बाकायदा वक्तव्य देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया, बात यह है कि यह २ तालाब हैं, एक में अगर बांध नहीं बंधता तो पानी भर जाता है और वह अपनी रक्षा के लिये बांध बना लेते हैं और अगर यह बंध जाता है तो पिछले गांव डूबने लगते हैं, वहां पर कुछ समतल सा बनता है और एक जगह बांध बनने से दूसरी जगह पानी रुक जाता है। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कोई रास्ता ऐसा निकाला जाय कि जिस से पानी भी निकल जाय और दोनों ओर का कोई नुकसान न हो।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि गाढ़ाताल एक लैंड ब्लाक ताल है, वह चारों ओर जमीन से घिरा हुआ है और उसके पानी की निकासी का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है और क्या वह इस तरह की कोई व्यवस्था करेंगे कि इस तरह से जो पानी ब्लाक होता है उस की निकासी किसी नदी की ओर कर दी जाय ताकि यह क्षति न हो ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

गाढ़ाताल से तो एक ड्रेन निकलता है। गाढ़ाताल ड्रेन से साधारणतया उसका पानी निकलता है। लेकिन जब पानी ज्यादा हो जाता है तो इटौना ताल से हो कर खरैया नाले से पानी निकलने लगता है। लेकिन जब ज्यादा पानी जाता है तो गांव वाले गाढ़ाताल और इटौना ताल के बीच में बांध बना दिया करते थे। यों तो साधारणतया एक रास्ता है ही। लेकिन जब ज्यादा वर्षा होती थी तो पानी दूसरा रास्ता ले लेता था। तो गांव वाले अपनी रक्षा के लिये बांध बना देते थे जिससे दूसरे गांव के लोग डूबने लगते हैं, यह परेशानी है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

मंत्री जी बतायेंगे कि जो बांध बनाया गया था उसके बनने से पहले दूसरे गांव वालों ने जिलाधीश और वहां के अन्य अधिकारियों को सूचना दी थी कि इस बांध के बनने से दूसरे गांव के लोग डूब जायेंगे और इस सूचना के बाद भी दूसरे गांव के लोगों ने बांध बना दिया, तो क्या सरकार उस स्थान का सर्वे करा कर ठीक तरीके से उस पानी के निकास की कोई योजना बनायेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसकी तो मेरे पास सूचना नहीं है। लेकिन मैं कह चुका हूं कि जिलाधीश से कहा गया है कि वह लोगों को मिला कर कोई रास्ता निकालें।

गोरखपुर क्षेत्र में बस कण्डक्टरों की नियुक्ति

*६--श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि यू०पी० गवर्नमेंट रोडवेज के गोरखपुर रीजन में पारसाल जिन बस कन्डक्टरों की नियुक्तियां की गयी थीं उनको इस वर्ष निकाला जा रहा है और उनकी जगह पर बस कंडक्टरों के लिये नये आवेदन-पत्र मांगे जा रहे हैं और नई नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)--

स्थिति यह है कि जो कन्डक्टर अल्पकालीन जगहों पर रखे गये थे उन जगहों की अवधियां समाप्त होने पर उन्हें हटाया गया है। आवेदन-पत्र नई चुनाव लिस्ट बनाने के लिये मांगे गये हैं क्योंकि पुरानी लिस्ट समाप्त हो गयी है।

*७--श्री सूरजलाल गुप्त वकील (अनुपस्थित) तथा श्री श्यामलाल--

जिन पुराने ट्रेंड कंडक्टरों को निकालने की योजना है, उनकी संख्या पूरे गोरखपुर रीजन में कितनी है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

१३१ कन्डक्टरों में से, जो अल्पकालीन जगहों पर काम कर रहे थे, १२८ की अवधियां समाप्त होने पर हटाया जा चुका है और शेष ३ को उनकी जगहों की अवधियां समाप्त होने पर हटाया जायगा।

श्री श्यामलाल--

मंत्री जी ने बताया कि १३१ कंडक्टर अल्पकालीन जगहों पर रखे गये थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन १३१ की नियुक्ति कब हुई थी और अल्पकालीन जगहों पर रखने के लिये क्या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से कोई स्पेसिफिक आर्डर्स थे ? यदि हां, तो क्या थे ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

कब रखे गये थे यह तो बताना इतने आदमियों के लिये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं बताऊं कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के किसी आर्डर की जरूरत नहीं होती। सिस्टम यह है कि हर साल कुछ आदमी चुने जाते हैं, उनका इम्तहान और इंटरव्यू होता है। उसमें से जो मुस्तकिल जगहें होती हैं उन पर उनको ले लिया जाता है और बाकी वेटिंग लिस्ट पर रहते हैं और उसी में से जब कोई टम्पोरेरी जगह होती है उन लोगों को मौका दिया जाता है। दिक्कत यह है कि यह सिस्टम ऐसा है कि काफी नम्बर में जो एक साल चुन लिये जाते हैं, साल भर में उनकी मियाद खत्म हो जाती है और फिर दुबारा चुनने की जरूरत होती है, तो इस समय गौर किया जा रहा है कि क्या सिस्टम रखा जाय कि जो बार-बार चुनाव होता है और लम्बी फेहरिस्त बनती है जो साल भर में खत्म हो जाती है और फिर दुबारा फेहरिस्त बनती है और वह दुबारा रखे जायं, इसका क्या सब्स्टीट्यूट हो, इस पर विचार हो रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इस बात को जानते हुये कि मंत्री जी को काफी जानकारी है कि जो वेटिंग लिस्ट इम्तहान के बाद रोडवेज विभाग में मुरत्तब होती है वह साल भर तक चलती है। तो इस बात की जानकारी देते हुये कि जो १३१ आदमियों को नोटिस दिया गया वह पुरानी लिस्ट के थे और उसमें से करीब ५० प्रतिशत काम पर लग चुके थे मगर फिर भी जनरल मैनेजर श्री रणजीत सिंह ने नोटिस दी जिसमें कहा गया कि दूसरे साल की परीक्षा हो रही है, जो चाहें तो सब के घोड़े में अपना घोड़ा मिला सकते हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पहले साल की वेटिंग लिस्ट से १२८ में से केवल ७०, व ८० को काम पर रख लिया गया है तो किस नियम से उनको नोटिस दी गयी है कि वे लोग अगले वर्ष की परीक्षा में बैठें?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

वास्तव में परिस्थिति यह है कि जो १३१ भर्ती किये गये थे ये शार्ट टर्म के लिए थे और सीजनल भर्ती किये गये थे मेला सीजन के लिये। मेरी सूचना यह भी है कि जब उनको एप्वान्टमेंट लेटर दिया गया तो उसमें भी बता दिया गया था कि आपकी नियुक्ति अल्पकालिक है, सीजनल है और इसके बाद आपकी सर्विसेज टर्मिनेट हो जायंगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी मेरे इस सुझाव पर विचार करने के लिये तैयार हैं कि जो इस तरह से लिस्ट बनाई जाय और जो कन्डक्टर की एक बार नियुक्ति की जाय तो दूसरी बार इंटरव्यू के लिये जब बुलाया जाय, उनको प्रफरेंस दिया जाय और उनको टेम्पोरेरी पद के लिये नियुक्त किया जाय और वे जब नियुक्त हो जायं तब अगर कोई पद बचे तो इंटरव्यू के लिये कोई और बुलाया जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन—

पहले भी यह सवाल पूछा गया है और आज भी पूछा जा रहा है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूं कि यह जो सिस्टम है कुछ सैटिस्फैक्ट्री नहीं है और हम विचार कर रहे हैं कि क्या तरीका हो। हमारे यहां पर हर साल ऐसी जगह होती हैं जिनको फसल पर भरना होता है, इन भर्तियों के लिये वेटिंग लिस्ट से ही मौका देते हैं। साल भर के करीब उस वेटिंग लिस्ट की उम्र होती है। हम स्वयं विचार कर रहे हैं कि कौन सा सिस्टम हो।

(व्यवधान)

श्री रावेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, इस संबंध में मेरा एक सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष—

हर सवाल पर हर एक को नहीं बुलाया जा सकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने अभी कहा कि मौजूदा जो सिस्टम है चुनाव का जिसको बदलने के लिए सरकार कोई रास्ता ढूंढ रही है और प्रयत्नशील है, तो जब तक कोई माकूल रास्ता नहीं निकल जाता तब तक १२८ आदमियों को जिन्हें नोटिस दिया हुआ है कि उन्हें नौकरी से हटा दिया जायगा तब तक उनको हटाने का आदेश अमल में न लाया जाय ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह तो १२८ आदमियों का सवाल है। इस समय तो केवल ११ वैकेंसी हैं जिनके द्वारा चुनाव के लिए अर्जियां मंगायी हैं। अभी तक वे ११ भी नहीं भरी हैं। तो जब तक वैकेंसी न होगी तब तक किसी को न रखा जायगा।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि जब परिवहन विभाग में कन्डक्टरों की भर्ती होती है तो इलाहाबाद के श्री प्यारेलाल जी की एक लिस्ट होती है और जब चुनाव में उसकी लिस्ट के आदमी नहीं चुने जाते हैं और चुनाव अधिकारी दूसरे लोगों को चुन लेते हैं तो उन को टैम्पोरेरी कह कर एक या दो माह के बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है और पुनः भर्ती कराई जाती है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह बिलकुल गलत है।

श्री रक्षपालसिंह—

ये जो रोडवेज विभाग में, जैसे—सेन्ट्रल वर्कशाप वगैरह प्रतिष्ठान हैं उन सब में जहां तक नियुक्ति का सवाल है बड़ा घपला है। मंत्री जी कहते हैं कि वे नियमावली बनाने जा रहे हैं, तो रोडवेज में वे नियम कब तक बन जायेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अभी परिवहन मंत्री घोषणा कर चुके हैं कि उनके एप्वाइंटमेंट के बारे में विचार हो रहा है और इस पर भी विचार हो रहा है कि इस सिलसिले में नियमावली में क्या परिवर्तन किया जाय।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

जैसा कि परिवहन मन्त्री ने बतलाया, उन का कहना यह है कि वे लोग टेम्पोरेरी भर्ती किये गये थे तो उन को रीजनल सिलेक्शन कमेटी द्वारा प्राथमिकता दिलाने में क्या कठिनाई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

दिक्कत यह है कि जो जगह आरजी होती हैं उन पर काम करने वालों को मुस्तकिल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो लोग नये सिरे से भर्ती होते हैं उसमें जरूर उन को शामिल किया जाय इतना फिलहाल कर दिया गया है और सिस्टम को फिर से रिवाइज किया जा रहा है।

श्री श्यामलाल--

१३२ कंडक्टरों की परीक्षा इंटरमीडियेट कालेज, बस्ती में हुई थी, उन का इंटरव्यू हुआ था। व टस्ट म पास हुए, उनका सलक्शन हुआ और उन को एप्वाइंटमेंट दिया गया और मंत्री जी ने बतलाया कि इस मामले में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से आर्डर्स की आवश्यकता नहीं है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के द्वारा एक आर्डर निकाला गया था जिसके जरिये से इन सभी कंडक्टरों को २८-२-१९६५ तक नियुक्ति के आर्डर्स मिल चुके थे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इस जांच की आवश्यकता नहीं मालूम होती। मेरे पास जो सूचना है वह अपने आप में कम्पलीट है लिहाजा कोई जांच की आवश्यकता नहीं मालूम होती।

मड़ियाहूं तहसील में खेताब चान्दी ड्रेन

*८--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तससील में हुसेनपुर, इंटाव, चडई, होरय्या, ढालमपुर आदि गांवों की धान की फसलों को बाढ़ से बचाने के लिये एक खेतान चडई नामक नाले के निर्माण के लिये लगभग ६ लाख रुपये की जो योजना बनी है, उसे कार्यान्वित करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ? क्या सरकार इस कार्य को शीघ्र पुरा कराने का प्रयास करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इन ग्रामों से पानी निकालने के हेतु एक लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक खेताब चान्दी ड्रेन प्रस्तावित है जिसका अभी प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो रहा है। इसका निर्माण सवक्षण की समाप्ति पर आवश्यक धन तथा भूमि प्राप्त होने पर निर्भर है।

श्री जगन्नाथ राव--

दो साल पूर्व भी यही कहा गया था कि सर्वेक्षण कराया जा रहा है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह सर्वेक्षण कार्य कितने समय में हो जायगा और इसका निर्माण करने में अभी कितना समय लगेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मार्च, १९६४ से यह कार्य प्रारम्भ हुआ है और आशा है कि १५ नवम्बर तक यह काम शुरू हो जायगा। जब रिपोर्ट आ जायगी और कंट्रोल बोर्ड को आवश्यक रुपया मिल जायगा तो काम प्रारम्भ करा दिया जायगा।

श्री जगन्नाथ राव--

आवश्यक धन प्राप्त होने की बात कही गयी है, उससे क्या मन्त्री महोदय का तात्पर्य है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

फ्लड कार्य के लिये १५० करोड़ रुपया चाहिये। जितना रुपया मिल जाता है प्रायरिटी फिक्स कर दी जाती है और जब प्रायरिटी आ जाती है तो उसे बनवा देते हैं।

श्री मैनेजरसिंह--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी ने कहा है कि १५ नवम्बर से कार्य शुरू हो जायगा, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कार्य में जो इतना विलम्ब हुआ है, वह क्या ऐसा है कि पूर्वी जिलों में कार्यों में इसलिये विलम्ब होता है कि सभी चीफ इंजीनियर, मंत्री और उपमंत्री पश्चिम के हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कि यह कार्य मार्च में प्रारम्भ हो गया है और १५ नवम्बर तक समाप्त कर देंगे।

श्री मैनेजरसिंह--

श्रीमन्, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काम था। इसमें इतना विलम्ब इसलिये हुआ कि सभी चीफ इंजीनियर पश्चिम के हैं और वे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं बुलाया गया।)

श्री ऊदल--

श्रीमन्, बरसाती पानी को निकालने के लिये सरकार की पालिसी थी कि जितना पानी इकट्ठा हो जाता था उस को निकलवा दिया करती थी। पिछले २-३ साल से यह पालिसी बदल दी है और नियोजन विभाग को यह काम सौंप दिया है तब से मुश्किल से एक आध फीसदी यह काम होता है और शायद नहीं होता है तो सरकार इस पालिसी को पुनः लागू करेगी ताकि बाढ़ से जो पानी इकट्ठा होता है उसको निकाला जा सके और बाढ़ विभाग द्वारा यह काम कराया जा सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वह तो इसलिये दिया था कि अगर तकलीफ हो तो आप लोग मदद करके काम जल्दी करायें। यह तो आपकी देखरेख का काम है कि अपने काम को जल्दी करायें।

*९-१०--श्री कल्पनार्थसिंह--

[२ सितम्बर, १९६४ को प्रश्न २३-२४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

गोरखपुर जिले में गांवों की पटाई में धन का गोलमाल

*११--श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २९ मई, सन् १९६४ ई० को सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, सिंचाई विभाग, गोरखपुर ने कोई पत्र चीफ इंजीनियर को इस बात का लिखा है कि गांव की पटाई में करीब १ लाख से ऊपर रुपये का गोल-माल किया गया है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है और अब तक इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी हां। रिपोर्ट गांव पटाई में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में है। इस रिपोर्ट के आधार पर श्री मुहम्मद सनाउल्लाह, सहायक अभियन्ता, मेकेनिकल को निलम्बित कर दिया गया है एवं आगे जांच जारी है।

*१२--श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त ६१ गांवों की जांच १९६३-६४ तथा ६९६२-६३ में हुई है और जिसे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, गोरखपुर ने कराया है उनके नाम क्या-क्या हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जिन गांवों में जांच हुई है उनकी संख्या ६१ नहीं बल्कि १६ है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या मन्त्री जी गांव पटाई के संबंध में जो रिपोर्ट इंजीनियर ने दी है, उसकी मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

एस० ई० ने यह रिपोर्ट की कि गांव पटाई के बारे में उन को शिकायतें मिली हैं। उनमें श्री नाप तौल हुई है वह ज्यादा हो गई है। इसलिये उस की जांच कराने के लिये एक कमेटी बिठाई। उसके देखने से पता चला कि कुछ ज्यादा पेमेंट हो गया था। उस की रिपोर्ट गवर्नमेन्ट को दे दी।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो ज्यादा पेमेंट हो गया था और १६ गांवों की जांच हुई है उसमें कितना ज्यादा पेमेंट पाया गया और कितने अधिकारियों को निलम्बित या मुअत्तिल किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें ६१,१६१ रुपया बताया है। उनका सजेशन है। इसमें श्री सनाउल्ला जो असिस्टेंट इंजीनियर थे वे सरकार की आज्ञा से मुअत्तिल हुये और ५ ओवरसियर जिनको मुअत्तिल करने का उन को अधिकार था, कर दिये।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुछ लोगों ने इस तरह की साजिश की, क्योंकि कमेटी बना कर जब वे १६ गांव के पटाई की जांच कर रहे थे तो जब वे मौजूद नहीं थे, हमला किया गया और उन के सामान को तोड़ा गया, इसकी सूचना उनको है ? यदि हां तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पटाई की योजना में कितना धन स्वीकृत हुआ था और यह जो ६१ हजार का गबन लिखा है यह उसका कितना प्रतिशत है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह शुरू में ५ लाख अन्दाजन के करीब का काम था। इसका २० प्रतिशत के करीब इनका अन्दाजा था लेकिन यह तो कुछ कम है क्योंकि जो सही फिगर है वह १ लाख होता था। यह ६१ हजार होता है तो यह उससे कम है।

श्री कमलासिंह यादव--

इस मामले की जांच किसके द्वारा कराई गई थी और कब कराई गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह हमारे जो सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर हैं उन्होंने श्री मदन गोपाल, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को उस जांच क लिय नियुक्त किया था।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस गोलमाल की कहानी मन्त्री जी को किसके द्वारा मालूम हुआ और मन्त्री जी ने उस जानकारी पर कोई कमीशन नियुक्त न करके, कोई मुनासिब तरीका अख्तियार न करके वहीं के इंजीनियर को इस गोलमाल की जांच करने के लिये क्यों नियुक्त किया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने यह कहा कि हमारे एस० ई० । गोरखपुर के पास शिकायत आयी है तो उन्होंने अपने आप एक्जियूटिव इंजीनियर को इसकी जांच के लिये भेजा और जांच करने के बाद उसकी रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है। सरकार ने उस जांच के लिये कार्यवाही नहीं की बल्कि एस० ई० ने अपने आप की ।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना (जिला गोरखपुर)--

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि कुल गांव की जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी पूरी हो जाय।

श्री राजदेव--

यह कई लाख का गोलमाल का मामला गोरखपुर में चल रहा है। मदनगोपाल, इंजीनियर और एस० ई० से जो सरकार को जांच की रिपोर्ट मिली है, उन लोगों ने कई लाख रुपया खाया है तो समझ में नहीं आता कि एक चोर ही उस चोरी की जांच कैसे करेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैं तो कह चुका हूं कि इसमें कई लाख का सवाल नहीं है बल्कि ६१ हजार की केवल बात है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । कांग्रेस दल के सदस्य आप को चार्ज कर रहे हैं कि आप उधर के माननीय सदस्यों को प्रश्न करने का मौका नहीं दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात नहीं है ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या मन्त्री जी पूरे प्रदेश में जो भ्रष्टाचार के केसेज आये दिन देखने को मिलते हैं उनको देखते हुए जहां-जहां इस प्रकार के डैम्स आदि बन रहे हैं वहां पर सी० आई० डी० का जाल बिछा देने के प्रश्न पर विचार करेंगे और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनकी जांच करायेंगे ताकि यह रुक सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैं इस बात को मानता नहीं कि भ्रष्टाचार के बहुत से मामले हैं। लेकिन यहां एक मामला हुआ और उसमें हमारे इंजीनियर ने अपनी तरफ से नोटिस लिया और जांच करायी और उस इंजीनियर को सुपरसीड भी कर दिया ।

नोट--तारांकित प्रश्न १२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

वाराणसी क्षेत्र में नलकूप

*१३--श्री गयाप्रसाद--

क्या यह सही है कि नलकूप प्रखण्ड, वाराणसी में पिछले ९ महीने से एक भी नया नलकूप बना कर चालू नहीं किया गया ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं, यह सही नहीं है।

*१४--श्री गयाप्रसाद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नलकूप प्रखण्ड, वाराणसी के अन्तर्गत कुल कितने ऐसे नलकूप हैं, जो बिना उचित देखरेख के कारण महीनों से बन्द पड़े हैं और गन्ने की सिंचाई नहीं हो पा रही है ?

श्री गिरधारीलाल--

दिनांक १२-१२-१९६३ से ६-७-१९६४ तक ११ नलकूप विभिन्न कारणों से बन्द हो गये थे विवरण संलग्न हैं। इन नलकूपों की खराबियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया जिसके फलस्वरूप ७ नलकूप चालू हो गये। शेष ४ नलकूपों को चालू करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६६३ पर।)

[८ सितम्बर, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२--श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

बांदा-जजी

*३--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा में डिस्ट्रिक्ट जजी कब से हुई और वह स्थान आज तक परमानेंट न होने का क्या कारण है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--

जिला बांदा में डिस्ट्रिक्ट जजी की स्थापना नवम्बर, १९५८ में हुई थी। कार्य के आधार पर पूर्ण औचित्य न होने के कारण उक्त जजी को अभी तक स्थायी नहीं किया जा सका है।

*४-६--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद), श्री कमलासिंह यादव, श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल--

[हटा दिये गये।]

सुरहा ताल पम्प नहर

*७--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिला में सुरहाताल से पम्प नहर जो निकाली गई है उससे हर साल कितने एकड़ खेतों की सिंचाई करने की योजना बनाई गई थी ? क्या जितने एकड़ को सींचने की योजना थी उतने एकड़ की सिंचाई हुई जब से वह नहर बनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

बलिया जिले में सुरहा ताल से जो पम्प नहर निकाली गयी है उससे हर साल खरीफ में ३,२९७ एकड़ तथा रबी में ७,६९४ एकड़ खेती के सींचने की योजना बनाई गई। योजना के अनुसार अभी तक सिंचाई नहीं हो सकी है और इसका कारण पर्याप्त मात्रा में गूलों का न होना है।

*८--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि इस साल उक्त पम्प नहर की पांचों पम्प एक साथ क्यों नहीं चल पाये ? न चलने से कितना घाटा होगा ?

श्री गिरधारीलाल--

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी पम्प आवश्यकतानुसार चलाये गये। पांचों पम्प का हर समय एक साथ चलाना आवश्यक नहीं है। घाटे का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*९--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि उक्त नहर के बन जाने के बाद कितने एकड़ खेतों में किसान पानी जमा हो जाने के कारण खेती नहीं कर पा रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

खरीफ में लगभग ६३० एकड़ तथा रबी में लगभग ९०४ एकड़।

सगरा बांध की मरम्मत के लिए प्रार्थना

*१०--श्री मतोलासिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को मालूम है कि जिला बांदा के ग्राम कालिंजर, तहसील नरैनी में सगरा बांध है जो अंग्रेजी राज्य से पूर्व किले के ऊपर फौज को पानी, सप्लाई करता था ? क्या सरकार इस बांध को शीघ्र बनवाने की कृपा करेगी तथा उससे एक छोटी माइनर भी बनवायेगी जिससे करीब १०० एकड़ आबपाशी हो सकती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

उक्त बांध की मरम्मत में अत्यधिक व्यय होगा और फिर भी पानी की न्यूनता के कारण केवल दस एकड़ भूमि की सिंचाई सम्भव हो पायेगी। अतः इस बांध का बनवाना उचित नहीं प्रतीत होता है। अतएव माइनर के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

शिवगढ़ ड्रेन पर हसवापुर पुल की आवश्यकता

*११--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ डिवीजन में तालाबी पानी के निकास के लिये जो शिवगढ़ ड्रेन बनाई गई है, इस पर बाबा हसवापुर द्वारा बनाये गये छन्दरौली से गूढ़ा खज्जों तक १८ मील श्रमदान मार्ग पर अस्थायी लकड़ी का ही पुल है ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां।

*१२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस बात को देखते हुये कि उक्त मार्ग के शिवगढ़ ड्रेन पर पुल बनाना अत्यन्त आवश्यक है क्या सरकार इस ड्रेन पर बनने वाले पुलों में से उक्त पुल को बनाने को प्राथमिकता देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो यह पुल कब तक बन जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। आगामी वर्षा ऋतु के पहले उक्त स्थान पर एक पुल बना देने की योजना है।

*१३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि शारदा कैनाल, लखनऊ डिवीजन की हैदरगढ़-जौनपुर शाखा के १८ मील ५ फर्लांग पर कोई नहर पार करने की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि हसवापुर में प्रति मंगल को मेला लगता है और बच्चे यहां हाई स्कूल में पढ़ने आते हैं, यहां छोटा पुल बनाने पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। किन्तु ब्रांच के ऊपर की ओर मील १८-०-६० पर तथा नीचे की ओर मील १९-१-० पर पुराने पुल पहले से ही मौजूद हैं। इसलिये इतने निकट ही दूसरे पुल की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

मोहना एवं डेहरास नलकूपों से सिंचाई

*१४—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोहना एवं डेहरास, जिला गोंडा के नलकूप से कतनी एकड़ भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था और कितनी लम्बी गूल बनने का खाका स्वीकृत था ?

श्री गिरधारीलाल—

दोनों गांवों में एक-एक नलकूप लगा है और प्रत्येक नलकूप से ३०० एकड़ भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक नलकूप पर २ मील पक्की तथा चार मील कच्ची गूल का खाका स्वीकृत था।

*१५—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त नलकूपों की गूल तथा सहायक नाली पूरी नहीं बन सकी है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—चकबंदी चालू होने के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका।

अनुसंधान नियोजन सर्किल, लखनऊ में नलकूप विभाग, आजमगढ़ के कर्मचारी

*१६—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि सिंचाई कार्य सर्किल, फैजाबाद के नलकूप विभाग, आजमगढ़ के कितने नलकूप चालक अस्थायी अमीन बनाकर अनुसन्धान एवं नियोजन सर्किल, लखनऊ सन् १९५९ से अब तक भेजे गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

चार ।

*१७--श्री उमाशंकर--

क्या यह सच है कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग ने अपने पत्र-संख्या ८३० I. E. B./९४ Misc दिनांक ६ फरवरी, १९६० के द्वारा समस्त अधीक्षक अभियन्ता गण, सिंचाई विभाग को आदेश दिया था कि नई बनने वाली सर्किलों में जो पतरौल या अमीन पुरानी सर्किलों से भेजे जायें वे किसी भी दशा में वहां तीन साल से अधिक न रखे जायें और उन्हें उनकी पुरानी सर्किलों में वापस कर दिया जाय ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां ।

*१८--श्री उमाशंकर--

यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि नलकूप विभाग, आजमगढ़ से कितने विभागीय कार्यकर्ता अनुसंधान नियोजन सर्किल, लखनऊमें भेजे गये और चार वर्ष से अधिक हो गया वे अभी वहां पड़े हैं और क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

आवश्यक सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६६४ पर ।)

*१९--श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल--

[हटा दिया गया ।]

*२०--श्री ऊदल--

[हटा दिया गया ।]

छितौनी बांध के सम्बन्ध में जांच

*२१--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छितौनी बांध देवरिया में लाखों रुपयों का गोलमाल हुआ है और अधीक्षक अभियन्ता के खिलाफ नोटिसें भी निकाली गयी हैं कि उन्होंने रुपया बांध में न लगाकर लखनऊ व गाजियाबाद में मकान व दिल्ली में होटल बनवाया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी जायगी ?

श्री गिरधारीलाल--

ऐसी शिकायतें अवश्य आयी हैं जिसकी जांच हो रही है । जांच समाप्त हो जाने के पहले यह नहीं कहा जा सकता कि यह शिकायतें कहां तक सही हैं ।

*२२-२४--श्री गया प्रसाद--

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२५-२७--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--

[८ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२८--श्री उग्रसेन--

[८ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

शारदा नहर के लखनऊ डिवीजन में अस्थायी पतरौल

*२९—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहर शारदा डिवीजन, लखनऊ में कितने ऐसे पुराने पतरोल हैं जिन्हें अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया है, और क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

इनको इस कारण स्थायी नहीं किया गया कि इन का कार्य इनकी चरित्र पुस्तिका के अनुसार संतोषजनक नहीं पाया गया ।

*३०-३१—श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)—

[हटा दिये गये ।]

आनरेरी मैजिस्ट्रेट बेंच, मुजफ्फरनगर

*३२—श्री शुगनचन्द मजदूर—

क्या यह सत्य है कि जिला मुजफ्फरनगर की बेंच आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में देखने में आ रहा है कि एक ही वक्त में दो-दो मुकदमात में बयानात लिखे जाते हैं ? एक मुकदमें के बयान एक मैजिस्ट्रेट लिखता है और उसी उक्त में दूसरा मैजिस्ट्रेट दूसरे मुकदमें के बयान लिखता है ?

श्री सैयद अली जहीर—

जी नहीं ।

*३३-३४—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

गोल—बरहलगंज बस सर्विस

*३५—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या परिवहन मंत्री द्वितीय सत्र, १९६४ के १ले मंगलवार २८ जुलाई, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ९१ के सन्दर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि इस रूट का महत्व देखते हुये कि दो प्रमुख कस्बे एवं गोला या उसके इर्द-गिर्द के लोगों का रेलवे स्टेशन एवं अन्य स्थानों से सुविधापूर्वक यात्रा करने के लिये गोला से बरहलगंज तक रोडवेज बस चलाने में क्या दिक्कत है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी गोरखपुर, से इस मार्ग पर रोडवेज की गाड़ी चलाने के लिये अनुज्ञा-पत्र की प्रार्थना की गयी है ।

कृषि हेतु प्रयोग होने वाले बिजली दर में कमी करने का सुझाव

*३६—श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सच है कि विद्युत् मंत्री कृषि-हेतु प्रयोग की जाने वाली बिजली की दरों म कमी करन जा रह है ?

श्री गिरधारीलाल--

प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार को यह सुझाव भेजा है कि जिस प्रकार छोटे उद्योग धंधों में बिजली की दरों में सबसिडी देने की उनकी स्कीम है उसी प्रकार की एक स्कीम कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली बिजली के संबंध में भी जारी करें। भारत सरकार से इस प्रस्ताव के ऊपर कोई निश्चय होन पर ही प्रदेशीय सरकार इस मामले पर आगे विचार कर सकेगी ।

*३७--श्री शिवराजसिंह--

क्या विद्युत् मंत्री कृषि-हेतु प्रयोग की जाने वाली बिजली की Transmission Lines के rentals को पूर्णतया समाप्त करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--

राज्य विद्युत् परिषद् ने अभी-अभी आदेश जारी किये हैं कि प्रति १० हार्स पावर कनेक्शन के लिये आधे मील की लाइन वे अपने खर्चे पर ही बनायेंगे ।

*३८--४०--कुंवर रुद्रप्रताप सिंह (जिला सुल्तानपुर), श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री चन्द्रबली सिंह--

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४१-४२--श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)--

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४३--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

[हटा दिया गया ।]

यातायात क्षेत्र, कानपुर में विभागीय मामले

*४४--श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय यातायात क्षेत्र, कानपुर के अन्तर्गत कितने विभागीय मामले दिसम्बर, १९६३ से अब तक चल रहे हैं और फैसले नहीं हुये ह तथा कर्मचारी निलम्बित हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

दिसम्बर, ६३ स चार मामले चल रहे हैं परन्तु इनमें कोई कर्मचारी निलंबित नहीं है।

उतरौला--मनकापुर बस सर्विस

*४५-श्री सूरजलाल गुप्त वकील (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में उतरौला से मनकापुर होते ये राजकीय रोडवेज की बसें चलाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण हो गया है और दिनांक २-११-१९५३ से रोडवेज की गाड़ियां चल रही हैं।

बहराइच--बलरामपुर बस सर्विस

*४६-श्री दलजीतसिंह (जिला बहराइच)--

क्या परिवहन मंत्री को विदित है कि बहराइच-बलरामपुर रोड पर चलने वाली रोडवे की बसें निर्धारित समय से प्रायः लेट पहुंचती हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

यह सही नहीं है कि इस रूट की बसें प्रायः लेट चलती हैं। ९३ प्रतिशत से अधिक बसें ठीक समय से पहुंचती हैं।

*४७-४८--श्री रामचरण शाह (जिला खीरी) तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

[हटा दिये गये।]

सहायक परिवहन अधिकारी कार्यालय, झांसी

*४९--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड में यातायात की दशा सुधारने तथा वहां के मोटर मालिकानों की असुविधा दूर करने के लिये झांसी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी की स्थापना का प्रश्न किस स्टेज पर है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

संकटकालीन स्थिति के कारण यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है। तथापि झांसी में एक सहायक परिवहन अधिकारी का कार्यालय ७-४-६२ से बुन्देलखंड के मोटर मालिकों की सुविधा के लिये कार्य कर रहा है।

*५०-५१--श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)--

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

मधुबन-दुवारी मार्ग पर बस फंस जाना

१--श्री उग्रसेन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ क्षेत्र की एक मर्सरी बस जिसका नं० २८१६ यू० एस० वी० जो दुबारी से आजमगढ़ आ रही थी, सड़क खराब होने के कारण रास्ते में फंस गई जिसकी सूचना फोरमैन आजमगढ़ को दी गई परन्तु १५ दिन तक गाड़ी को वहां से नहीं निकाला गया और २३ जुलाई, १९६४ को गाड़ी निकाल कर लाई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

८-७-६४ को आजमगढ़ और मधुबन दुवारी के बीच चलने वाली बस बावला नाले में सात फिट पानी भर जाने के कारण दुवारी से आजमगढ़ वापस नहीं आ सकी। पानी कम होने पर कठिनाई से नाले को पार करके २३-७-६४ को गाड़ी वापस लाई जा सकी।

फर्रुखाबाद जिले में बिजली कनेक्शनों की स्वीकृति

२--श्री दयाराम शाक्य--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में कितने बिजली के कनेक्शन ऐसे हैं जो १९६२ में स्वीकृत हुये थे, परन्तु अब तक लोगों को कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? उसके कारण क्या हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

फर्रुखाबाद जिले में २३ कनेक्शन ऐसे हैं जो १९६२ में स्वीकृत हुये थे परन्तु अभी तक नहीं दिये गये हैं। इसका कारण यह है कि प्रार्थियों ने आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं की है।

आजमगढ़ जिले के दफा १०७ के मुकदमें

३--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में भारतीय दण्ड विधान की धारा १०७ के अन्तर्गत कितने-कितने मुकदमें तथा कब से दो परगनाधीशों के विचाराधीन ३० जून, १९६४ को थे और विलम्ब होने के कारण क्या-क्या हैं?

श्री सैयद अली जहीर--

कोई नहीं।

प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं तो सरकार की तरफ से उसका पूरा उत्तर आना चाहिये। मंत्री जी प्रश्न की असलियत को समाप्त कर देते हैं। इसके लिये आपकी क्या व्यवस्था है?

श्री उपाध्यक्ष--

आप जो सवाल करेंगे उसका जवाब सरकार देगी, लेकिन मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता कि वे क्या जवाब दें।

श्री लखपतराम शर्मा--

तो यह भ्रष्टाचार रुक भी नहीं सकता।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

आज केवल ११ तारांकित प्रश्न हो सके हैं, बाकी सब रह गये हैं। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि उनका क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष--

जब आप सब लोग खड़े होकर बोलने लगते हैं तो उसमें सारे प्रश्नों के लिये समय नहीं मिल पाता। (व्यवधान) श्री राजदेव जी, आप बीच-बीच में बोलने लगते हैं। यह गलत बात है। आप बैठ जाइये। अब मुझे एक सूचना देनी है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

विविध विषयों पर व्यवस्था के प्रश्न

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, मैं एक गंभीर बात आप के सामने रखना चाहता हूं और वह व्यवस्था से संबंधित है। सदन के जितने नान-वकील सदस्य हैं वे एक बात से क्षुब्ध हैं। कल जब टम्बेश्वर जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

खड़े हुए थे तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक वाक्य कह दिया कि आप वकील नहीं हैं, आप कानून नहीं जानते। आप बैठ जायं। इसके बाद जो बातें घटित हुईं उनको मैं आपके सामने रखता हूं। उनके विचार से एक बात उत्पन्न होती है कि क्या कोई विधायक जो वकील हो, वही किसी विषय पर अपनी राय व्यक्त कर सकता है। दूसरी बात, क्या जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, आप या अध्यक्ष महोदय, वह जज की हैसियत रखता है कि उसके सामने वही बोल सकता है कि जो कानून जानेगा? यह सारी शंका इसलिये है कि आप हमको बोलने नहीं देंगे। जब हम विशेषज्ञ होंगे तभी हमको बोलने को मिलेगा। जो अंग्रेजी के विधेयक पास होते हैं उनमें मैं समझता हूं कि यहां बहुत से सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते होंगे। उनके लिये क्या आप कह देंगे कि आप पढ़े नहीं हैं इसलिये बैठ जायं? यह सारे सदस्यों के मान और अपमान की बात है। मैं तो वकील हूं, लकिन वह बात उनके लिये कैसे कह दी गयी। आप इन शब्दों को प्रोसीडिंग्स से एक्सपंज करने की आज्ञा दें, नहीं तो इसका नतीजा यह निकलेगा कि माननीय अध्यक्ष कह देंगे, मेडिकल ग्रान्ट पर अगर डिस्कशन हो रहा होगा तो, कि आप डाक्टर नहीं हैं, बोल नहीं सकते। तीसरी बात यह कि अगर भाषण के दौरान में हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाय कि जो आपकी बुद्धि से असंसदीय हो तब आप कहते हैं यदि हम उसका उचित उत्तर न दे पायें कि इसे वापस लो या और इसी तरह की बात कहते हैं, तब वह अन्तिम स्टेप लिया जाता है जो कल पहले ही ले लिया गया। हमें एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया गया। हमने यह कहा था कि कन्हैयालाल मिश्र से जो सूचना मिली है उसका आधार क्या है, विवादग्रस्त विषय पर अपील हुई या किसी और विषय पर इस पर स्थिति स्पष्ट की जाय। उस पर कह दिया कि निकल जाओ सदन से।

तीसरी बात यह है कि एक परम्परा की बात है। हम पता नहीं अपने मन में क्या विचार रखेंगे, हम उठेंगे तो किन परिस्थितियों में उठेंगे, लेकिन आप लोग अक्सर कह देते हैं कि निकल जाना है तो निकल जाओ। क्या यह उस कुर्सी के लिए शोभा की बात है? क्या इसी तरह से परम्परा पड़ेगी? विधेयक पर हम बहस नहीं कर सकते क्योंकि वकालत नहीं पढ़ी है। यह क्या परम्परा डाल रहे हैं? आप व्यवस्था दें।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। एक वाक्य में निवेदन करना चाहता हूं कि आप शान्तिपूर्वक सब के साथ हमारा सादर साग्रह सविनय निवेदन सुन लें। निवेदन यह है कि माननीय अध्यक्ष महोदय और श्रीमन्, आप भी जब जो चाहते हैं कह दिया करते हैं। हम आपके द्वारा माननीय नेता विरोधी दल और सभी माननीय सदस्यों से कह देना चाहते हैं कि यहां आप लोगों को हटाने के लिए प्रस्ताव है, यह सदन आपको अपने पद से हटाने का निश्चय करता है। तो मैं त्रिपाठी जी को राय देता हूं कि आप लोगों के खिलाफ प्रस्ताव आ जाय, उसी में सब बहस हो जाय।

श्री दीपनारायणसिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या इस सम्बन्ध में है?

श्री दीपनारायणसिंह--

नहीं दूसरा है।

श्री उपाध्यक्ष--

फिर आप बैठ जाइये, पहले उसका उत्तर दे दिया जाय ।

श्री दीपनारायणसिंह--

इसी सम्बन्ध में दूसरा प्वाइंट है कि क्या उपाध्यक्ष की हैसियत से अध्यक्ष की रूलिंग को आप चैलेंज दे सकते हैं ? उनकी बात काट कर रूलिंग देंगे ? उनकी रूलिंग वही हटायेंगे, आप क्या हटायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसे मेरे लिए छोड़िये ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

मेरा निवेदन यह है कि जो माननीय त्रिपाठी जी ने प्रश्न उठाया वह बड़ा महत्वपूर्ण है । कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने मेरी अनुपस्थिति में कहा कि मैंने माननीय विरोधी दल और जो अन्य नेता है और माननीय सदस्य हैं उनसे यह कहा था कि जो मैटर सब-जुडिस है उसके अलावा अगर वक्तव्य पर नीति पर आप विवाद करने को तैयार हैं तो मैं उसकी आज्ञा दे दूंगा । यहां नेता बैठे हुए हैं, विरोधी दल के सदस्य बैठे हुये हैं, मैं यह सही सही कहता हूं कि यह बात किसी से नहीं कही, यह वह लिखकर दें किससे अध्यक्ष जी आपने कहा बतावें । एक तो माननीय टम्ब्रेश्वर-प्रसाद के विरुद्ध यह कहना कि कानून नहीं जानते हैं—आप जानते हैं कि बहुत से मिनिस्टर ऐसे यहां बैठे हैं जो दर्जा ४ भी पास नहीं हैं (शेम की आवाजें) जिनको आप स्वयं जानते हैं । यहां पर चाहे मिनिस्टर हो, चाहे सदस्य हों इधर के बैठने वाले या उधर के बैठने वाले सब बराबर है । रवीन्द्रनाथ टैगोर तो हाई स्कूल पास भी नहीं थे। माननीय टम्ब्रेश्वरप्रसाद एम० ए० ऐग्रीकल्चर में पास हैं, अगर कानून नहीं पढ़े तो इधर जो मिनिस्टर बैठे हैं उनसे ज्यादा उनकी योग्यता है । तो इन दोनों बातों पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरा निवेदन यह है कि यह सही बात है कि जितने माननीय सदस्य हैं चाहे कोई पास हों या न पास हों, उनके सबके अधिकार बराबर हैं । लेकिन साथ ही साथ मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक अध्यक्ष जी के बारे में बात है, उनकी बात के खिलाफ मैं कुछ कहने को तैयार नहीं हूं । वह जब आयेंगे, उनके सामने आप अपनी बात रख सकते हैं ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

आप न्यायोचित निर्णय दें, श्रीमन् । जिस कुर्सी पर आप विराजमान हैं, वहां से आप निर्णय दे सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय स्पीकर के सम्बन्ध में डिप्टी स्पीकर कुछ नहीं कह सकता, वे खुद ही कहेंगे । मैं इतना ही कह सकता हूं कि सभी माननीय सदस्यों के अधिकार बराबर हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस कुर्सी पर आप विराजमान है वह कुर्सी अध्यक्ष है या कोई व्यक्ति विशेष, माननीय मदनमोहन वर्मा, या कोई अन्य व्यक्ति अध्यक्ष हो सकता है ? जो भी उस कुर्सी पर विराजमान होगा वही अध्यक्ष समझा जायगा, मैं यह समझता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह ठीक है, लेकिन माननीय अध्यक्ष की किसी रूलिंग पर मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता, और न वह मेरी रूलिंग पर ही कुछ सुन सकते हैं । (व्यवधान)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, कल यह व्यवस्था माननीय अध्यक्ष ने दी कि केवल वकील लोग ही बहस कर सकते हैं। (व्यवधान) माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी जी ने एक प्वाइंट आफ आर्डर रखा, फिर और माननीय सदस्यों को जो वकील नहीं हैं। आपने बोलने की आज्ञा कैसे दी ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये। मेरी जानकारी में माननीय अध्यक्ष ने कोई ऐसी रूलिंग नहीं दी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी माननीय सदस्यों के अधिकार बराबर हैं, अब इसके बाद कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। (व्यवधान)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने वह खत्म कर दिया, कोई दूसरे विषय पर हो तो कहिये।

श्री लखपतराम शर्मा--

दूसरे विषय पर ही है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पहले जिसने व्यवस्था का प्रश्न उठाया उस पर तो आपने कोई रूलिंग दी नहीं, और बाद को नम्बर २ या ३-४ पर, जिन्होंने उठायी, उनको आप सुनने लगे और उन पर आपने व्यवस्था दी, पहली वाली पर कुछ कहा नहीं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने जो प्रश्न उठाया था उस पर आपने क्या व्यवस्था दी ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आपके पहले प्रश्न पर मैं व्यवस्था दे चुका हूं। आपने न सुना होगा।

श्री रघुनाथ की रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

"मुझे आपको सूचना देनी है कि विधान सभा के सदस्य श्री रघुनाथराम तथा ४१ अन्य लोगों पर धारा १८६/१४३ भारतीय दंड विधान के दोष सिद्धि के कारण दोषारोपों के लिये अतिरिक्त जिलाधीश न्यायिक के न्यायालय में अर्थात् मेरे सामने मुकदमा चलाया गया। आज चार्जशीट मिली और आज ही उक्त श्री रघुनाथराम को उपरोक्त अभियोगों का अपराधी पाया और उन्हें धारा ३ प्रथम अपराधी परिवेक्षा, अधिनियम के अन्तर्गत चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया।"

सदन में पर्चा बांटने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मैंने कल श्री रामरतन गुप्ता के खिलाफ सूचना दी थी।

श्री उपाध्यक्ष--

एक तो कोई सूचना नहीं दी, आपने इसमें....

श्री काशीनाथ मिश्र--

आज भी दी है और कल भी दी है, श्रीमन।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा कल लिया जायेगा। चूंकि आपने सूचना नहीं दी थी, इसलिये नहीं लिया गया और दूसरी बात यह कि उनकी सूचना भी तो जरूरी है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

उनको सुन लीजिये, श्रीमन, वह तो कल भी हाउस में थे। यह प्राइमाफेसी केस है और....

श्री उपाध्यक्ष--

जब आपने नोटिस नहीं दी है तो वह आज नहीं सुना जा सकता।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैंने पहले ही कह दिया है, श्रीमन्, कि मैंने कल भी दी है जबकि दत्ता साहब मौजूद थे, मैंने नोटिस दी थी। माननीय अध्यक्ष ने कल व्यवस्था के अनुसार किसी तरह की टीका-टिप्पणी करने का अधिकार नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई बहस करने की बात नहीं है। आपने जो नोटिस दी है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है कि दत्ता साहब को आपने उसकी प्रति दी है। इसलिये, यह इस वक्त नहीं लिया जा सकता। आप उनको नोटिस की प्रति दे दीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैंने श्रीमन्, उनको नोटिस दे दी है। हमारे पास कोई पुलिस फोर्स तो है नहीं कि उनको जबरदस्ती दें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ मिश्र, आपने उनको नोटिस नहीं दी है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अभी हमारे पास है। इसको आप जांच करवा दीजिये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

मैंने माननीय मुख्य मंत्री के खिलाफ दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था स्पष्ट चाहता हूं। जब श्री काशीनाथ मिश्र ने उनको नोटिस दे दी है और सदन में कहते हैं कि उन्होंने नोटिस दे दी है, और जब यह बात भी है कि सदन में कोई माननीय सदस्य झूठ नहीं बोलते हैं, तो किस आधार पर आपने कह दिया कि उन्होंने नोटिस नहीं दिया है?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय दत्ता जी, क्या आपको कोई नोटिस मिली है?

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--

मुझे कोई नोटिस नहीं मिली है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने एक मिनिस्टर के ऊपर बड़े ही गम्भीर आरोप लगाते हुए कई महीने हुए कुछ बहीखाते पेश किये गये थे और उन बहीखातों के ऊपर नरसिंहनारायण जी क दस्तखत हुए थ, सुचेता जी ने उसे भेजा था जांच के लिए तो यू० पी० भर में उससे एक भ्रम पैदा हो गया है कि आखिरकार क्या हुआ ? अगर मिनिस्टर साहब के खिलाफ दोष साबित हुय तो वह हमें बताया जाय और नहीं साबित हुए, गलत चार्ज लगाये गये थे तो वह भी हमें बताया जाय। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

आपका कोई नोटिस इस वक्त इसके ऊपर नहीं है। (अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर) मेरा निवेदन यह है कि एक समय में एक साहब खड़े हों।

श्री एस० जी० दत्त—

प्वाइंट आफ आर्डर मेरा है। मैं नोटिस देता हूं। माननीय काशीनाथ जी ने हाउस में जो मेरी बेइज्जती की है.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। यह लिखकर दीजियेगा। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आप नियम ६४ देखें। उसमें यह लिखा हुआ है कि यदि अवहेलना सदन के प्रत्यक्ष ही की गयी हो तो सदन बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा। किन्तु शिकायत यदि किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष अपनी सम्मति देने के पूर्व सदस्य की सफाई को सुनेंगे। (शोर) माननीय काशीनाथ जी ने जो प्रश्न माननीय दत्ता के खिलाफ उठाया उस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आप लिखकर भेज दीजियेगा। लेकिन जो ऐक्चुअल व्यू आफ दि हाउस में कोई कार्यवाही की गयी हो और आपकी यह भी व्यवस्था है कि सदन में सदन की लाबी भी है, तो लाबी में अगर कोई ऐसी चीज बांटी गई तो वह भी ब्रीच आफ प्रिविलेज है, उसके लिए कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है जबकि वह ब्रीच आफ प्रिविलेज ऐक्चुअल व्यू आफ दि हाउस में कमिट हुआ है। आपने रूलिंग दे दी कि नोटिस इसकी होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे पहले उनको सुनना पड़ेगा क्योंकि मेम्बर के खिलाफ है। अभी मैंने उसको रिजेक्ट नहीं किया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अभी जैसा कि नेकराम जी ने प्रक्रिया नियमावली का नियम पढ़कर आपको सुनाया अगर सदन के सम्मुख प्रत्यक्ष कोई अवमान का कार्य करता है तो उसके लिए नोटिस की आवश्यकता नहीं है। श्रीमन्, मैंने स्वयं देखा अपनी आंखों से कि माननीय दत्ता कई पेज का साइक्लोस्टाइल्ड पेपर जिस पर कि चुनाव न्यायाधिकरण के खिलाफ सब लिखा हुआ था, बायस्ड और करप्ट कहा गया था, वह बांट रहे थे। तो इसमें नोटिस की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको लिखकर दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

हमें नहीं, माननीय सदस्य को दे दीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हमने आपको दे दिया, आप उनको भेज दें।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, आप सीधे उनको दे दीजियेगा।

(शोर)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय काशीनाथ जी ने यह बात कही थी कि मैंने नोटिस दत्ता जी को दी, उन्होंने मना कर दिया। तो यदि कोई नोटिस न ले तो वह किस जोर जबरदस्ती के कानून से माननीय दत्ता जी के घर जाकर माननीय दत्ता जी के घर पर नोटिस चस्पां करें या और क्या करें। यह आप स्पष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

चूंकि हाउस में चर्चा हो गई, दत्ता जी को नोटिस दिया गया, वह अब इन्कार नहीं करेंगे ?

(अत्यधिक शोर के बीच श्री दीपनारायण सिंह जी बोलते रहे।)

श्री काशीनाथ मिश्र—

अब हमने स्वयं आपके सामने जाकर दत्ता जी के सामने नोटिस चस्पां कर दिया है। अब चूंकि उनको नोटिस दे दी गई है, अब आप हमारा विशेषाधिकार का प्रश्न सदन के सामने पढ़ दें और मुझको सुन लें।

(शोर)

श्री एस० जी० दत्त—

मैंने नोटिस नहीं पढ़ा है और उसके पहले मैंने व्यवस्था का प्रश्न करके यह कहा था कि मैं माननीय काशीनाथ जी के खिलाफ, जो उन्होंने मुझे हाउस में डिफेम किया है, उनके खिलाफ प्रीविलेज का नोटिस देता हूं--

श्री उपाध्यक्ष——

आप लिखकर दीजिये।

[× × × ×]

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, अब उन्होंने नोटिस दे दिया है। अब नियम ६७ के अन्तर्गत ५ मिनट में हमारी बात सुन ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने नोटिस दे दिया है, कल मैं इसका फैसला करूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---

अच्छा ठीक है। कल इसका फैसला कीजिये।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

श्रीमन्, इस सदन की नियमावली के अनुसार कोई भी माननीय सदस्य इस सदन में अथवा लाबीज में या उसके आसपास पर्चेबाजी नहीं कर सकता।

[× × ×] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार हटा दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं। अब यह मामला कल आयेगा।

(श्री राधेश्याम के खड़े होने पर)

माननीय राधेश्याम जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री राधेश्याम शर्मा---

श्रीमन्, माननीय दत्ता जी और माननीय काशीनाथ मिश्र में कुछ आपस में बातचीत हुई और माननीय दत्ता जी ने बड़े क्रोध में डाक्टर राममनोहर लोहिया का नाम लेते हुए उनके बारे में कुछ कहा कि उन्होंने रामरतन गुप्त से चन्दा लिया। श्रीमन्, डाक्टर लोहिया साहब इस हाउस के मेम्बर नहीं हैं और न वे उसका जवाब देने के लिये यहां आ ही सकते हैं। तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि डाक्टर लोहिया के बारे में जो कुछ बाते यहां माननीय दत्ता जी ने कही हैं, उनसे आप कहें कि उन शब्दों को वे वापस लें या सदन की कार्यवाही से आप उन बातों को निकलवा दें। आपसे मैं यह साग्रह निवेदन कर रहा हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

श्रीमन्, माननीय काशीनाथ मिश्र और माननीय राधेश्याम शर्मा ने कुछ बातें कहीं। मान्यवर, मुझे भी इस बात का दुख है कि हाउस में दोनों तरफ से एक दूसरे पर इस तरह से आक्षेप लगाये गये हैं। मैं माननीय काशीनाथ मिश्र जी से बड़े अदब के साथ कहता हूं कि उनको जो यह आदत हो गयी है कि वे किसी को किसी का एजेंट कह देते हैं, अपनी इस आदत को वे बदलें..

(व्यवधान)

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आक्षेप चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, वह गलत हुआ करता है, लिहाजा मैं ज्यादा उचित समझता हूं कि जितनी बातें माननीय काशीनाथ मिश्र ने या माननीय दत्ता जी ने कही हैं उनको आप प्रोसीडिंग्स से निकलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कहा कि दोनों तरफ से जो बातें कही गयी हैं उनमें जो असंसदीय भाग होगा उसको निकाल दिया जायगा।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

मुझे यह कहना है कि माननीय दत्ता जी व माननीय काशीनाथ मिश्र में जो यहां विवाद हुआ, मैं समझता हूं कि वह इस सदन की मान व मर्यादा के विरुद्ध है कि इस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किये जायं। मेरा कहना है कि आरोप प्रत्यारोप की जांच होनी चाहिये और अगर जांच नहीं होती है तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप इस सदन में नहीं होने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उस पर अपनी व्यवस्था दे दी है, आप जरा शान्त रहें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, नियम ४५ के अन्तर्गत आप मुझे माननीय दत्ता से कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

जी नहीं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, गोविन्दसिंह विष्ट से माननीय राजनारायण ने इसी सदन में प्रश्न पूछे थे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपके उठने के बहुत पहले ही एक बात तय हो गयी थी। अब मैं नहीं सुनना चाहता क्योंकि यह कोई मौका नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

नियम ४५ के अन्तर्गत हम किसी माननीय सदस्य से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नोटिस दीजिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय खेर साहब ने सदन में विवाद के बीच में ही माननीय राजनारायणसिंह को माननीय गोविन्दसिंह विष्ट से प्रश्न पूछना एलाऊ कर दिया था और उन्होंने उनसे ५ सवाल पूछे थे।

श्री उपाध्यक्ष—

बिना नोटिस के आप नहीं पूछ सकते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, आप कह चुके हैं कि अध्यक्ष की रूलिंग के खिलाफ आप कुछ नहीं कहेंगे लेकिन मैं आपको दिखा दूं तो आप मान लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

हर एक बात समय से होती है, इस वक्त विशेषाधिकार के प्रश्न चल रहे हैं और उन पर बातचीत चल रही है। आप जिस बात को उठा रहे हैं वह समाप्त हो गई। आप को करना है तो नोटिस देकर कीजिये।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

उपाध्यक्ष जी, मुझे एक निवेदन करना है कि जिस दिन श्री मुकुटबिहारी जी का असरकारी प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ था तो मैंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक सर्कुलर आप के सामने प्रस्तत किया था और वह उस दिन मुझसे इन्हीं सरकारी रिपोर्टर्स में से कोई सज्जन ले गये, एक नौजवान गोरे-गोरे सज्जन इन्हीं में से जो बैठे हैं कोई मांग ले गये। मैं ढूंढ़ रहा हूं वह कृपा कर के आप ढुंढ़वा दीजिये। मैं उन का चेहरा पहचानता हूं लेकिन वह ढूंढ़े नहीं मिलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

उसका पता लगवाने की कोशिश कर दी जायगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, शिनाख्त करा दी जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, यह अखबार वाले रिपोर्टर तो सब गोरे ही हैं, इनमें काला कोई नहीं है।

गोंडा निर्वाचन क्षेत्र में हुए निर्वाचन के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय के विषय पर मुख्य मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में कथित तथ्यों के छिपाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

अब मेरे पास एक विशेषाधिकार की सूचना श्री नेकराम शर्मा तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर की है। इसके संबंध में मुझे निवेदन करना है कि इस में जिन खास बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है वह यह है कि एक तो यह कि जो पत्र दिया गया है उनसे वह कोई इन्फ्रेन्स निकालते हैं लेकिन उस से किसी दूसरे सदस्य या माननीय मुख्य मंत्री के खिलाफ कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन सकता। एक बात उन्होंने तथ्यों को छिपाने के विषय में कही है, तो सदन के सामने जो कागजात हैं उनमें छिपाने की बात तो कहीं नहीं हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, वह सूचना आप पूरी पढ़ दें ताकि आप जो कोट कर रहे हैं वह सब समक्ष में आ सके।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं तो चाहता हूं कि शांति से विचार हो जाय। नियम ६४ के अनुसार यदि मैं इस की अनुमति दूंगा तो मैं इसको पढ़ूंगा वर्ना नहीं पढ़ूंगा। मैं समझता हूं कि यह जो सूचना दी गई है इससे कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न पैदा नहीं होता और इसी कारण से मैं इसके लिये अपनी स्वीकृति नहीं देता हूं। मैंने इस के दोनों कारण भी बता दिये हैं। एक तो यह कि आपने इसको उन पत्रों पर आधारित किया है .....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

यह श्रीमन्, यू० पी सरकार का गजट है जिस में लिखा है कि विद अफेक्ट फ्राम टेकिंग ओवर चार्ज.....

श्री उपाध्यक्ष—

पहले मेरी बात आप सुन लें।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, आप की व्यवस्था तो शिरोधार्य होगी लेकिन श्रीमन्, यू० पी० सरकार के गजट में लिखा है १२६ पेज पर कि "विद अफेक्ट फ्राम टेकिंग ओवर चार्ज श्री सी० एम० निगम इज अप्वाइंटेड आफिशियेटिंग कमिश्नर आफ फैजाबाद डिवीजन।" लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने अपने बयान में कहा कि उनको गोरखपुर में कमिश्नर बनाया गया और फैजाबाद में नहीं बनाया गया और इस तथ्य को छिपाया गया कि जून में निगम को आफिशियेटिंग कमिश्नर बनाया गया। अगर कोई कमिश्नर नियुक्त किया जाय तो उसको पहले आफिशियेटिंग चान्स देना होता है। इस तरह का नियम है और उसके अनुसार उनको पहले जून में ही आफिशियेटिंग कमिश्नर बना दिया गया ताकि वह गोरखपुर में नवम्बर में बाकायदा कमिश्नर बन सकें। इसलिये तथ्यों को यहां छिपाया गया है। माननीय सुचेता कृपालानी ने यहां कहा कि श्री चन्द्रभानु गुप्त ने पहल की और उनके पत्तों के उद्धरण से मालूम पड़ता है कि श्री चन्द्रभानु गुप्त ने पहल की। लेकिन सत्य यह है कि श्री नेहरू जी ने सर्वप्रथम टेलीफोन किया था उसके बाद श्री गुप्त ने खत लिखा था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मेरिट्स पर न जायं।

श्री नेकराम शर्मा—

जो पत्र कल दिये हैं उसमें स्पष्ट है कि श्री जवाहर लाल जी ने गुप्ता जी को टेलीफोन किया कि उनको पब्लिक के इम्पार्टेंट व्यक्तियों से तथा श्री सुन्दरम ने रिपोर्ट दी थी कि गोंडा में टेम्पिरिंग हुआ है। यह टेलीफोन गुप्ता जी के पास आया उसके बाद उन्होंने यह पत्र लिखा है। यह दोनों बातें सदन से छिपायी गयीं और सदन को गुमराह किया गया। उन्होंने नेहरू जी के टेलीफोन को छिपाया। यह उनके वक्तव्य से ऐसा मालूम पड़ता है।

(श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा के कुछ कहने पर) मिस्टर शर्मा, आई कैन शाउट लाउडर दैन यू। उनका जो वक्तव्य बटा उससे यह आभास मिलता था कि श्री चन्द्रभानु गुप्त ने पहल की लेकिन आज जो पत्र मिले उनसे पता लगता है पहल श्री नेहरू जी ने की थी।.....

श्री उपाध्यक्ष—

यहां कहां लिखा है कि पहल की। जो पत्र मैंने पढ़े.....

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, आप १ मिनट तो मुझे सुन लें तब अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको १ मिनट नहीं दो मिनट सुन लूंगा लेकिन उसके बाद आपको बन्द करना पड़ेगा।

श्री नेकराम शर्मा—

जो उद्धरण दिये उससे यह स्पष्ट होता था.....

एक सदस्य—

श्रीमन्, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस प्रश्न पर आप व्यवस्था दे चुके हैं फिर आप यह क्या करा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप ठीक कह रहे हैं। जरा आप बैठ जायं। मैं जो व्यवस्था दे रहा हूं उसके बीच में अगर कोई कुछ कहना चाहे तो उसको सुन कर जवाब देना चाहता हूं।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, आपने मुझे दो मिनट दिये हैं। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि श्री जवाहर लाल जी का जो पत्र प्रस्तुत किया गया उसमें स्पष्ट है कि उन्होंने टेलीफोन किया था इसको गुप्ता जी ने अपने पत्र में स्वीकार किया है। इस टेलीफोन वाली बात को मुख्य मंत्री ने सदन में छिपाया है जिससे सदन गुमराह हुआ है। उन्होंने श्री सी० एम० निगम को नवम्बर में नहीं, अगस्त में सजा देते हैं और जून में ही आफिशियेटिंग कमिश्नर बना दिया। यह एक षड़यंत्र था और सदन को बताया कि नवम्बर में बनाया और अगस्त में सजा दी थी। तो आफिशियेटिंग कमिश्नर गोंडा का बनाना इस तथ्य को छिपाया गया इसलिये क्लीयर ब्रीच आफ प्रिवलेज बनता है और सदन का अवमान होता है।

(श्री नवलकिशोर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, आपकी कोई व्यवस्था नहीं रही। अब सब का भाषण होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उनको सुन लिया अब इनको भी सुन लूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

पहले हम लोगों को सुन लें उसके बाद नवलकिशोर जी को सुन लें तो अच्छा रहे। कार्यवाही चालू होने के पहले आपने नवलकिशोर का नाम पुकार लिया.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें तब जवाब दिलाइये। जो श्री नेकराम शर्मा ने प्रश्न उठाया है निगम के खिलाफ और ब्रीच आफ प्रीविलेज के समर्थन में ही मैं कह रहा हूं। श्री निगम वह हैं कि सारनाथ की हिरणियों का कबाब बनाकर खा गये, उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय बुद्ध के धर्म का नाश कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको मौका नहीं दिया। माननीय नवलकिशोर जी कहेंगे और यह मेरा अधिकार है कि कितने आदमी बोलें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, अगर आपने सुनना शुरू किया तो बड़ा अहम सवाल है कि माननीय मुख्य मंत्री ने सदन को गुमराह किया है इस पर अन्य माननीय सदस्यों को भी सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

आपकी व्यवस्था देने के बाद मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कोई वाद विवाद की गुंजाइश नहीं थी। श्री नेकराम जी ने जो बातें कही है उनके संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधान मंत्री के पत्र से यह आभास हुआ है कि इस मामले में पहल श्री गुप्ता जी ने की है। इस संबंध में मैं आपका ध्यान माननीया मुख्य मंत्री के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि "इस समय बहुत-सी अफवाहें फैली हुई थी कि श्री चन्द्रमोहन निगम ने भ्रष्ट....."

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मुझे भी मौका मिलना चाहिए जिससे मैं सारे तथ्य सदन के समक्ष रख सकूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नवलकिशोर जी, आप प्वाइंट्स कह दीजिए। यह पत्र तो मेरे सामने है। नेकराम जी एक बात कहते हैं उस पर.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, यह सदन के अवमान का प्रश्न है। आप दूसरे सदस्यों को सुन लेते हैं। क्या मुख्य मन्त्री या किसी और सदन के माननीय सदस्य की ओर से कोई अन्य दूसरा सदस्य सफाई दे सकता है। श्रीमन्, आप सदन की गरिमा गिरात हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप गिरा रहे हैं या मैं गिरा रहा हूं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

यह कोई तरीका नहीं है कि माननीय नवलकिशोर जी सरकार के वकील जैसी करते हैं। माननीय सुचेता कृपालानी और माननीय गुप्ता जी सदन के सदस्य हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायें ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, या तो आप किसी को नहीं सुन सकेंगे या आपको सबको सुनना होगा। माननीय नवलकिशोर जी फैक्ट्स का वर्णन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नवलकिशोर--

अगर टम्बेश्वरप्रसाद जी के लिये गुप्ता जी का नाम हौवा बन गया है तो उसका कोई इलाज नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

हौवा वह आपके लिये बन सकते हैं। हमारे लिये सवाल पैदा नहीं होता जब कि हम खुद उनके लिये हौवा बने हुये हैं ।

श्री नवलकिशोर--

श्री नेकराम शर्मा जी ने दो बातें उठाई हैं। एक तो यह उन्होंने इंफ्रेंस निकाला है कि मुख्य मंत्राणी ने जो स्टेटमेन्ट दिया है उसमें गुप्ता जी ने इनिशियेटिव लिया है। तो इंफ्रेंसेज के आधार पर ब्रीच आफ प्रिविलेज के सवाल किसी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के अन्दर नहीं बना करते। दूसरे जजमेंट में कहा गया कि नवम्बर में निगम साहब को फैजाबाद के कमिश्नर के पद पर पदोन्नति की गई तो उस पर उन्होंने कहा कि फैजाबाद नहीं, गोरखपुर का कमिश्नर उनको बनाया गया। लिहाजा चीजों को तोड़ने मरोड़ने से काम नहीं चलेगा। इसमें कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं है और यह बिलकुल फ्रिवोलस है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

प्रिविलेज मोशन सदन में पढ़ा नहीं गया तो फिर नवलकिशोर जी कैसे जान गये कि उसमें क्या लिखा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे सामने जो विशेषाधिकार की सूचना है उसमें एक जगह लिखा है "ऐसा आभास होता है"। यह नहीं कहा कि उन्होंने ऐसा कहा। दूसरी जगह लिखा है कि उन पत्रों से यह इंफ्रेंस निकलता है। तो मैं अर्ज करता हूं कि इंफ्रेंस निकालने और आभास होने से कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठा करता। फिर पत्र में स्वयं लिखा है कि ट्रिब्यूनल ने जो यह कहा कि उनको फैजाबाद का कमिश्नर बनाया गया तो केवल इस बात को क्लीयर करने के लिये मुख्य मंत्री ने कहा है कि फैजाबाद के नहीं, वह गोरखपुर के कमिश्नर बनाये गये। इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। फिर स्पीकर साहब ने यह व्यवस्था दे दी थी कि मुख्य मंत्री को इससे सम्बन्धित कागजात को सदन में रखने के लिये कम्पेल नहीं किया जा सकता लेकिन

[श्री उपाध्यक्ष]]

दोनों पत्र उन्होंने दाखिल किये। इससे साफ जाहिर है कि उनकी कोई ऐसी नीयत नहीं थी उस बात को छिपाने की। लिहाजा मैं इसकी अनुमति नहीं देता और यह विशेषाधिकार का प्रश्न समाप्त होता है।

श्री नेकराम शर्मा—

आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। लेकिन टेलीफोन पर जो बातें हुईं गुप्ता जी की .....

श्री उपाध्यक्ष—]

उन्होंने यह नहीं कहा कि कोई और एप्वाइंटमेंट नहीं हुआ। ट्रिब्यूनल ने जो लिखा है उसकी सफाई उन्होंने की है। टेलीफोन पर क्या कहा यह बात अगर आपको उपलब्ध हो तो उसे लाइये, उसके बारे में सुना जा सकता है, वरना टेलीफोन की बात भी यहां नहीं लाई जा सकती।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आपने कहा कि टेलीफोन की बात उपलब्ध नहीं है। आप गुप्ता जी को या तो सदन में बुला लें अथवा नियम ४५ के अन्तर्गत हम को इजाजत दें कि हम टेलीफोन पर गुप्ता जी से पूछ लें।

श्री उपाध्यक्ष—]

यह टेलीफोन पर पूछने की बात अथवा गुप्ता जी को बुलाने की बात तब पैदा होती है जब यह विशेषाधिकार का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता।]

श्री नेकराम शर्मा—

जो पत्र प्रकाशित किये गये हैं वह ओरिजिनल पत्रों की कापी इसलिये प्रतीत नहीं होती क्योंकि उसमें लिखा है .....

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रकार की कोई रूलिंग [नहीं हुई थी] लिहाजा उसमें विशेषाधिकार का [सवाल पैदा नहीं होता।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं यह कह रहा हूं कि सदन के समक्ष पूरे पत्र आने चाहिये थे क्योंकि इन पत्रों के पहले और पीछे क्या था इसका पता नहीं चलता है। हूबहू उन पत्रों की कापी सदन को मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अध्यक्ष की इस पर व्यवस्था हो चुकी है कि मुख्य मन्त्री को कम्पेल नहीं कर सकते हैं। वह चाहें तो रख सकती हैं। उन्होंने स्वतः उन पत्रों को रखा है। इसलिये उनके ऊपर कोई कम्पलशन नहीं हो सकता है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी ने प्रार्थना की थी कि नियम ४५ के अन्तर्गत उनको माननीय गुप्ता जी से प्रश्न पूछने का मौका दिया जाय, तो उसमें आपको क्या कठिनाई है?

श्री उपाध्यक्ष—

उसके लिये नोटिस आना चाहिये। इसके बाद उस पर निर्णय होगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे सामने दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव हैं। एक माननीय सत्यनारायण पांडेय जी का है। उसे स्थगन प्रस्ताव तो मैं नहीं मान सकता हूं क्योंकि उसमें न तो कोई अर्जेन्सी है और न कोई दूसरी चीज है। लेकिन मैं उसे उचित कार्यवाही के लिये मंत्री जी के पास भेज रहा हूं।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, इलाहाबाद के एक जूडीशियल मैजिस्ट्रेट हैं जो अपनी अदालत में एक बक्सा रखते हैं और कहते हैं कि जमानत उस समय होगी जब चीन से लड़ने के लिये पैसा डालोगे। शाम को जब उठते हैं तो पैसे जेब में डाल लेते हैं। मैंने २८ अगस्त को नियम ५२ में प्रस्ताव दिया था, उस दिन कहा गया कि यह महत्वपूर्ण है लेकिन एक स्वीकार कर चुका हूं। अल्प सूचित प्रश्न करने के लिये कहा गया। मैंने प्रश्न दिया तो जिलाधीश जवाब नहीं दे रहे हैं और यह सदन कल स्थगित हो रहा है और वहां ऐसी धांधली चल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में मैजिस्ट्रेट गड़बड़ी कर रहे हैं। उनके ऊपर डी० आई० आर० लगना चाहिये। सरकार तार द्वारा उनका स्थानान्तरण कैंसिल कर देती है। यह सारा षड्यन्त्र है। आप इसको कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में न मानें लेकिन आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे कम से कम मेरे प्रश्नों का उत्तर तो आ जाय या फिर मंत्री जी से स्टेटमेंट दिला दें ताकि जो गड़बड़ी वहां पर हो रही है वह रुक जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने स्वयं ही फरमाया कि २८ अगस्त को यह नियम ५२ के अन्दर आया था जिसको स्वीकार नहीं किया गया। तो फिर आप ही बतलाइये कि इसकी अर्जेन्सी कहां रह गई, आज तो ८ सितम्बर हो गई है।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

अध्यक्ष ने कहा था कि इस पर आप प्रश्न कर लीजिये। अब मैं प्रश्न कर रहा हूं तो मन्त्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि वह गड़बड़ी आज भी जारी है। इसलिये आप कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे यह गड़बड़ी दूर हो।

श्री मैनजरसिंह (जिला बलिया)--

२८ तारीख को जब यह आया तो माननीय अध्यक्ष ने इनसे कहा कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कीजिये। अब इनको उत्तर नहीं मिल रहा है। वह पैसा अभी भी ले रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

वह आदतन रोजाना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या आप यह उचित समझते हैं कि यह उनका पैसा लेना अब भी जारी रहे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इस सूचना के अन्दर कोई अर्जेन्सी नहीं है। आप स्वयं इस बात को मानते हैं कि बहुत दिनों से यह बात चली आ रही है। रही प्रश्नों के जवाब मिलने की बात, तो हम लोग यही कर सकते हैं कि प्रश्नों को स्वीकृत कर दें। यह मन्त्री जी के ऊपर है कि वह जवाब दें, वह जल्दी भी दे सकते हैं और देर में भी हो सकती है। इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। आप का यह प्रश्न महत्वपूर्ण समझकर हमने इसको मन्त्री जी के पास भेज दिया है और वह इस पर उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

आप मन्त्री जी से इस विषय में जांच करके वक्तव्य दिलाने का कष्ट करें।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

मैं यह जानना चाहता हूं कि उस विषय में उन्होंने क्या कार्यवाही की। वह जिलाधीश से फोन पर बातचीत कर के इस पर अपना वक्तव्य दे दें तो स्थिति साफ हो जाय। कम से कम वहां से वह बक्सा तो हट जाय।

श्री उग्रसेन--

मैं इनको जानता हूं। यह मैजिस्ट्रेट हमारे कालेज में पढ़ा करते थे। ये बचपन में वहां पर किताबें चुराया करते थे। ये हमसे जूनियर थे। अब ये बेचारे रुपया चुराते हैं। यह इनको बचपन से ही आदत है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको मैंने मन्त्री जी के पास भेज दिया है। अब वह इस पर उचित कार्यवाही करेंगे। इससे अधिक और हमारी ताकत में नहीं है।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

आप उनसे कहें कि वह कल इस पर वक्तव्य दे दें जिससे मालूम हो जाय कि वह इसमें क्या कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

एक और काम रोको प्रस्ताव उग्रसेन जी का है। इसमें वह कह रहे हैं कि कानपुर वर्कशाप में १२ तारीख से १,४०० मजदूर हड़ताल करने वाले हैं। इससे वह इसको महत्वपूर्ण समझते हैं। मैं समझता हूं इसके अन्दर कोई अर्जेन्सी नहीं है। कोई रिसेन्ट घटना नहीं है। इसलिये कार्य-स्थगन का प्रस्ताव नहीं चल सकता है और मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

अब मेरे पास ६,७ सूचनायें नियम ५२ के अन्दर आई हैं.....

श्री उग्रसेन--

आप मुझे तो सुनिये। कानपुर सेन्ट्रल रोडवेज वर्कशाप में १,४०० मजदूर काम कर रहे हैं। उसमें हमारी यूनियन नहीं है। बल्कि कांग्रेसी यूनियन है जिसने हड़ताल का नोटिस दिया है। इसमें १,४०० मजदूर १२ तारीख से हड़ताल कर रहे हैं। अब वह हड़ताल पर १२ तारीख को चले जायेंगे। बीच में समझौते की वार्ता हो सकती है। वहां के मजदूरों में बड़ा असंतोष है। उनको बोनस नहीं मिलता। १,४०० में केवल १०० स्थायी हैं। इसलिये अगर मंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे तो शायद हड़ताल न हो और सरकार का लाखों रुपये रोज का होने वाला नुकसान बच जायगा। मैं सरकार का नुकसान नहीं चाहता इसलिये चाहता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे।

श्री उपाध्यक्ष--

कल सदन उठ रहा है इसलिये वक्तव्य का समय नहीं है। अगर आप कहें तो मैं इसको आवश्यक कार्य हेतु उनके पास भेज दूं।

श्री उग्रसेन--

कानपुर टेलीफोन करने में पैसा नहीं लगता। मंत्री जी बात कर लें नहीं तो हड़ताल हो जायगी और सरकार की रोडवेज की गाड़ियां बन्द हो जायंगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसको उचित कार्यवाही के लिये मंत्री जी को भेज रहा हूं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

श्रीमन्, पिछली मर्तबा मैंने नियम ५३ में नोटिस दिया था, फीरोजाबाद में १ लाख मजदूर बेकार बैठे हैं और अभी तक सरकार ने उन के लिये कोई आर्बिट्रेशन बोर्ड बैठाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया है, न कोई और समुचित कदम उठाया है। वहां गरमी बढ़ रही है और लोग भूखों मर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

कायदे से आप का कोई नोटिस दफ्तर में नहीं आया।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

जब कोई सुनता ही नहीं तो क्या हम अपना प्राण दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे सामने अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। मेरे सचिव बताते हैं कि उनको पता नहीं है कि कोई नोटिस आया है या नहीं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

मैंने नोटिस दिया है। मैं सच कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

पता चला है कि पहले आपका एक नोटिस आया था जो मिनिस्टर साहब को भेज दिया गया है। उनसे जानकारी चाही है। वह आ जाय, तो फिर बात हो।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

कल आखिरी दिन है। बेकारी में आदमी क्या कर सकता है यह आप जानते हैं। सरकार से कहिये कि वह वहां उचित व्यवस्था करे, आर्बिट्रेशन बोर्ड बनावें और समस्या का कोई समाधान निकाले।

श्री उग्रसेन--

फीरोजाबाद के मजदूरों की हालत बड़ी गम्भीर है और सरकार को इसका समुचित नोटिस ले कर समस्या का समाधान करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप कायदे से नोटिस देते तो मैं कुछ उपाय करता। अगर अब मंत्री जी चाहें तो कल इस सम्बन्ध में कुछ सूचना दे दें।

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)--

आप उनको आदेश दें कि वे कल इस बारे में वक्तव्य दें।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो स्पीकर साहब ने अपनी जानकारी के लिये स्टेटमेंट मांगा है। कोई निर्णय इस पर नहीं दिया है। इसलिये वक्तव्य दिलाने या आवश्यक कार्यवाही की बात इस पर नहीं की जा सकती। जब तक वह न आ जाय तब तक इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

एक महीना हुआ दिये हुये, कुछ नहीं हुआ है। उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस वक्त यह हमारे सामने नहीं है, कुछ निर्णय नहीं हो सकता।

श्री रक्षपालसिंह—

मंत्रियों के पास जो भेजा गया है उनका उत्तर हमें मिलना चाहिए। आपने नियम ५२ का उग्रसेन जी का भी टोटली रिजेक्ट कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, यह भेज दिया है, आप गलत कहते हैं।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

जो विषय हमारे भाई भगवानदास ने उठाया था उस के महत्व को देखते हुए कि फीरोजाबाद के हजारों मजदूर कई महीने से बेकार हैं और वे तथा उन पर निर्भर परिवार भुखमरी का शिकार हो रहे हैं तो हमारी प्रार्थना है कि इस विषय पर चूंकि सदन बन्द हो रहा है, कोई न कोई वक्तव्य सरकार दे या यह बताये कि उस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका क्या फल हुआ है अथवा समस्या समाधान हेतु वह क्या करना चाहती है। आप कानूनी पहलुओं पर न जाकर मेरा आग्रह है इसके महत्व को देख लें व्यावहारिक दृष्टिकोण से। आप कोई वक्तव्य जरूर दिलवायें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि न तो हमने नोटिस देखा, न कोई बात हुई, इस वक्त हम क्या फैसला करें ?

श्री झारखण्डेराय—

अगर इसके महत्व को आप महसूस करते हैं कि इस विषय को पहले आ जाना चाहिए था तो सरकार को स्वयं तैयार हो जाना चाहिए और आप आग्रह भी कर सकते हैं, यह कोई नियमों के विरुद्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा निवेदन यह है कि हम उसे देख लेंगे और हम अगर महसूस करेंगे कि नोटिस प्रापर है तो हम उस पर वक्तव्य आप को दिलवा देंगे।

श्री उग्रसेन—

हमने इतनी वकालत की, आपने अभी तक महसूस ही नहीं किया ?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर नोटिस होगा, स्पीकर साहब के पास सुना है कि वह है।

श्री झारखण्डे राय—

आप की दिक्कत हम महसूस करते हैं लेकिन कल हाउस बन्द हो रहा है, यह हजारों आदमियों का प्रश्न है और उनका भी है जो रोटी के लिए उन पर निर्भर हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हाउस के उठने के पहले सरकार कोई सफाई या वक्तव्य दे।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं प्रयत्न करूंगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

माननीय भगवानदास यादवेन्दु ने अध्यक्ष के पास नोटिस दिया और आपने कहा कि एक नोटिस आया था, वह मंत्रियों के पास भेज दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

यह नहीं कहा। यह कहा कि बहुत पहले आया था। मैंने पूछा तो पहले यह मालूम हुआ कि कुछ पता नहीं है। फिर एक साहब ने कहा कि आया था। तो मैंने वही बात कह दी। लेकिन माननीय मन्त्री जी से उन्होंने कुछ सूचनायें मांगी, वह अध्यक्ष साहब के पास सूचना है। उसे मैं देख कर निर्णय करूंगा।

श्री नेकराम शर्मा--

माननीय श्रममंत्री को अपने विभाग को देखने की कतई चिन्ता नहीं है, वह कभी दिल्ली भाग जाते हैं, कभी कहीं। जो भी प्रश्न उचित कार्यवाही के लिए जाता है उस पर कुछ नहीं होता। जब इस सम्बन्ध में प्रश्न हुआ तो कह दिया कि नोटिस मिला ही नहीं। यह आप का अपमान है कि कोई चीज आप चेयर से भेजें और उस पर उचित कार्यवाही न हो। कम से कम इस सदन में उस पर बहस ही करा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

उसे जानकारी के लिये भेजा है, कल मैं उसके लिये कुछ न कुछ उपाय करूंगा।

एक सदस्य--

अपने कहा--जानकारी के लिये भेजा है। इसको दिये हुये एक महीना हो गया। अगर जानकारी न आये तो आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं देख लूंगा उसे। जो ठीक होगा वह किया जायेगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे पास कई नियम ५२ के प्रस्ताव आये हैं। मैंने उनको पढ़ा नहीं है, लेकिन सभी को मैंने संबंधित मन्त्रियों के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

हमने देवरिया के स्वर्णकारों के बारे में जो भूख से मर रहे हैं, दिया था, उस पर केवल बयान ही दिलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

वह सब मैंने आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया है।

श्री टण्डेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

आज के लिये हमारा नियम ५० का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है वह आज के एजेन्डे पर नहीं है, उस की घोषणा कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

वह कर दूंगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने और मैंने एक नियम ५२ का प्रस्ताव दिया था, उसके लिये कहीं जिले आदि से कोई सूचना नहीं मंगाना है, वह गोंडा के चुनाव से संबंधित है, उस पर कल वक्तव्य दिलवा दीजिये । ट्रिब्यूनल ने निगम साहब के अलावा भी अन्य ५ आदमियों को --सर्वश्री आर० पी० जौहरी, इलेक्शन आफिसर, ए० एस० मिश्रा, कृष्ण माधव सरण, कालीचन्द्र जौहरी, मकबूल हुसैन, को भी उस केस में दोषी ठहराया है । तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है यह सूचना हम चाहते हैं । वह कल दिलवा दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने सभी को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या कार्यवाही सरकार ने की है, यह मालूम हो जाय . . .

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने सभी को भेज दिया है । मुख्य मन्त्री स्वयं कोई सूचना देना चाहेंगी तो दे सकती हैं । जो फैसला मैंने दे दिया है अब वही रहेगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, इतनी जल्दी, जो नन्दा जी ने इनको सस्पेंड किया उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं, (व्यवधान) बधाई हमारी भेज दी जाय ।

श्री उग्रसेन--

मैं विरोध करता हूं कि इस बारे में उन को कोई बधाई दी जाय, मैं माननीय नेकराम शर्मा जी की इस बात से नाइत्तफाक करता हूं ।

आजमगढ़ तथा बलिया जिले की सीमा में घाघरा नदी के कटाव के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि घाघरा नदी आजमगढ़ व बलिया जिलों की सीमा के पास हाहा नाला बन्ध और अपने दाहिने किनारे की काट रही है परन्तु बन्ध में कोई खामी नहीं हुई है । २ मील तथा ४ मील १ फर्लांग पर बनाये गये दो परमिएबुल स्पर क्रमशः दिनांक १७ तथा २६ अगस्त, १९६४ को उच्च बाढ़ के समय बह गये परन्तु इसको किसी भी प्रकार से विभाग की नाकाबलियत या लापरवाही के फलस्वरूप नहीं समझा जा सकता । परमिएबुल स्पर केवल अस्थायी बचाव ही कर सकते हैं और उच्च बाढ़ में उनके कायम रहने की आशा नहीं की जा सकती । बन्ध पर बाकायदा बराबर होशियारी के साथ निगरानी रखी जा रही है और बन्ध को अथवा स्थानीय जनता को खतरे का कोई अन्देशा नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि इन पर व्यय कितना हुआ था ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

दोनों बांध पर ७० हजार व्यय हुये थे ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि इनके बहने का कारण क्या था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जब नदी बंध की तरफ आने लगी तो एक प्रपोजल यह हुआ कि इस पर एक रिटार्ड बांध बना दिया जाय ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

बल्लियों के बहने का कारण क्या था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

परमियेबिल बंध हाई फ्लड्स को नहीं रोक सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

नदी का कटाव बंध से कितनी दूरी पर है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। ढ़ाई लाख का रिटार्ड बंध बनने वाला था जिसके लिये वहां के लोग तैयार नहीं हुए। इसलिये स्पर्स बनाये गये जिससे वे नदी के प्रभाव को रोक सकें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

कटाव रोकने के लिये भविष्य में क्या प्रबन्ध करने जा रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इर्रीगेशन रिसर्च ने सुझाव दिया था कि स्पर्स बनाकर देखें ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

क्या मंत्री जी को या विभाग को शिकायत मिली है कि यहां जो बल्लियां गाड़ी गई थीं वे इतनी गहरी नहीं गाड़ी गईं जितनी कि इंजीनियरिंग के हिसाब से होना चाहिये था, बल्कि उसका १/३ ही गाड़ी गईं जिसकी वजह से वे बह गईं और लगभग ४०,००० रु० का इंजीनियरिंग विभाग ने गबन कर लिया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह सूचना मेरे पास नहीं है बल्कि यह सूचना है कि चीफ इंजीनियर मित्तल रेगुलरली विजिट करते रहते हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या यह सही नहीं है कि १ करोड़ १० लाख रुपया घाघरा के कटाव के लिये फैजाबाद से लेकर बिहार सीमा तक के लिये रखा गया था मगर तत्कालीन मुख्य मंत्री ने उस रुपये से गोमती पर लखनऊ में बांध बनवा दिया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है। यह बांध तो ११ लाख रुपये का था।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

स्पर्स का निर्माण कब आरम्भ हुआ और कब समाप्त हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी जांच करावेंगे कि ये बल्लियां काटी तो नहीं गईं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं चीफ इंजीनियर से इसे देखने के लिये कह दूंगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मेरा घर वहीं है जहां कटाव हो रहा है, मैं साधिकार कहना चाहता हूं कि क्या सिंचाई मंत्री जी जांच करावेंगे कि केदार ने ३० फीट के बजाय १०, १५ फीट ही बल्लियां गाड़ीं जिसके कारण वे बह गईं ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

चीफ इंजीनियर खुद वहां देख रेख करते हैं । इसलिये यह भ्रम मिथ्या है ।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या आप ऐसे आदेश देंगे कि यह काम सहायक अभियन्ता देखें, क्योंकि ओवरसियर और छोटे लोग ठेकेदार से मिल कर पैसा खा जाते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हम जरूर कह देंगे कि वे इस बात को देखें ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

जैसा बड़की ने राय दी थी, ३० लाख रुपये खर्च करके पक्की ठोकरें बनाने में क्या दिक्कत है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

२५ लाख रुपये का खर्च था जो बहुत ज्यादा है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

४ तारीख को शुक्रवार के दिन सिंचाई मंत्री जी ने मथुरा जिले की बाढ़ और गर्की के बारे में यह कहा था कि वह वक्तव्य देंगे । तो वह वक्तव्य कब देंगे ? ८ तारीख है आज ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके बारे में मुझे यह बताया गया है कि उन्होंने यह कहा है कि अभी हमारे पास पूरी सूचना नहीं मिली है । अभी एक हफ्ता और लगेगा ।

श्री लखीसिंह—

तो कल तो असेम्बली उठ रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो इसके लिये क्या किया जाय ?

श्री बृजबिहारी---

अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि हाहा नाला के उत्तर तरफ नदी के दाहिने किनारे पर कटाव बड़े जोरों से हो रहा है, तो क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि नदी के कटाव से हाहा नाला बन्ध को भी खतरा उत्पन्न हो गया है ? अगर ऐसा है तो उसकी रक्षा के लिए वे क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

उसी के लिये तो यह सब उपाय हैं। पहले स्पर्स बना रहे हैं जिससे कि नदी को ढकेल कर उस तरफ कर दिया जाय।

श्री मैनेजरसिंह---

आपने अभी कहा कि पक्के ठोकर बनाने में ज्यादा रुपया खर्च होता है, तो एक ही समान लम्बाई के परमिएबिल स्पर और पक्के स्पर दोनों में १ और ५ का अन्तर खर्च में होता है, यदि एक लाख में परमिएबिल स्पर बनेगा तो उसका पंच गुना लगता है पक्के स्पर में लेकिन कुल लागत का एक चौथाई हर साल परमिएबिल स्पर के रिपेयर्स में खर्च हो जाता है, इस तरह चार साल में उसकी लागत पक्के स्पर से भी ज्यादा जाकर पड़ती है, तो इस बात को देखते हुए क्या मंत्री जी परमिएबिल स्पर न बनाकर जहां तक हो सके पक्के स्पर बनवायेंगे जैसे कि सुरेमनपुर में पूना रिसर्च के बाद कार्य हुआ है और वह काफी सफल हुआ है, तथा उससे लाभ उठाने की कोशिश करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मैं माननीय मैनेजरसिंह की तरह से कोई इंजीनियर या एक्सपर्ट तो हूं नहीं। लेकिन मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार पक्के स्पर के ऊपर २५ लाख लागत आती थी और इसमें जो लगा है दोनों बन्ध में, वह ७० हजार है। तो एक और ५ का सवाल तो नहीं है। लेकिन इसको हम देख रहे हैं। अगर इससे काम बन जाय और इसमें कुछ सफलता मिली तो इन दोनों बन्धों को थोड़ा-सा पक्का करके ठीक करने की कोशिश करेंगे। कोई रिटार्ड बन्ध बनाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर इससे नहीं हुआ तो इंजीनियर्स जैसा कहेंगे वह किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपका काम जुलाई में शुरू होता है जबकि पानी ८--१० फुट चढ़ आता है। अगर यह काम आप मार्च, अप्रैल के महीने में शुरू करें जबकि पानी कम होता है तो आसानी से बल्ली २०,३०,४० फुट तक पानी में घुस जायगी। इस तरह का आदेश दे दें तो यह दिक्कत न हो।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

हमारे यहा से तो ४ जून को कह दिया गया था। लेकिन माननीय पांडेय जी भी बहुत आदरणीय सदस्य हैं। आपकी बात में सार है। आपकी बात भी कह देंगे कि जो बनने का कार्य है वह जल्दी प्रारम्भ हो, इसमें आपकी राय से मेरा कोई मतभेद नहीं है।

प्रदेश में अंग्रेजी भाषा में बनाये गये अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

एक सूचना मुझे देनी है। माननीय टम्बेश्वरप्रसाद ने नियम ५० के अन्तर्गत एक सूचना दी है। गलती से वह एजेन्डे पर नहीं चढ़ी है। वह आज ४।। बजे से ५ बजे तक डिस्कस

[श्री उपाध्यक्ष]
की जायेगी। वह हिन्दी के सम्बन्ध में है, जो हिन्दी की अवहेलना १७ वर्षों में हुई है। ५ बजे एक और काम है पार्लियामेंटरी ग्रुप की मीटिंग है, जिसमें गोविंद सहाय जी का व्याख्यान होगा और एलेक्शन भी होंगे।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

मैंने एक याचिका हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में दी थी, उसमें हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में था कि सदन के साथ सरकार हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में फ्राड कर रही है ताकि हिन्दी भाषा किसी तरह से कार्यान्वित न हो सके।

श्री उपाध्यक्ष--

जो एजेन्डे में नहीं है, जो कहीं नहीं है, उसके लिये मैं क्या कर सकता हूं?

श्री कमलासिंह यादव--

तो कल ले लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें, जैसा होगा वैसा किया जायगा।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के सभापति का मनोनयन

श्री उपाध्यक्ष--

अब एक सूचना मुझे देनी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली १९५८, के नियम २६२ के साथ पठित नियम २०२ (१) के अन्तर्गत मुझे यह सूचित करना है कि माननीय अध्यक्ष ने माननीय सहकारिता मंत्री को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ पर नियुक्त दोनों सदनों की प्रवर समिति का सभापति नियुक्त किया है।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, जो आपने अभी घोषणा की उसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि इस सदन की यह परम्परा रही है और आपकी भी यह व्यवस्था है कि जब कोई सेलेक्ट कमेटी बनती है तो वह हाउस की कमेटी होती है। हाउस की कमेटी का एक मिनिस्टर कैसे चेयरमैन हो सकता है? इस सदन में इसके पूर्व श्री रामनारायण त्रिपाठी, श्री राममूर्ति, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट और श्री अलगूराय शास्त्री, जो कि मेम्बर थे, उनको कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, किसी मिनिस्टर को चेयरमैन नहीं बनाया गया है। बल्कि जो नान--आफिशियल सदस्य होते हैं, उनमें से चेयरमैन बनते हैं। अभी थोड़े दिनों से ही सरकार का यह रवैया हो गया है कि यह हमारे अधिकारों पर आक्रमण शुरू हो गया है। जो इस सदन की आपने परम्परा डाली है, उस परम्परा को मैं चाहूंगा कि कायम रखा जाये और कमेटी के चेयरमैन के पद पर मिनिस्टर को न रखा जाये। इस समय भी आप माननीय बनारसीदास जी को नियुक्त न करें, क्योंकि नामिनेट करने का अधिकार आपका है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का है, सरकार का नहीं है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सदन की मान-मर्यादा को जिसे बनाये रखने का आपको अधिकार है, उसके लिये मिनिस्टर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को चेयरमैन न बनाया जाये । यदि आप मिनिस्टर को नामिनेट करेंगे तो वह अपना एक एटिच्यूट रखेंगे और हमें वह स्वतंत्रता नहीं रहेगी, जो कि होनी चाहिये । इसलिये किसी अन्य सदस्य को इसका चेयरमैन बनायें ।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, इस वक्त तो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें नियुक्त कर दिया है, इसलिये मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता हूं, किन्तु आगे से आपकी बात का ध्यान रखा जायगा ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

मुझे भी एक प्रार्थना करनी है कि अभी जब तक सोशलिस्ट पार्टी और पी० एस० पी० अलग-अलग रही हैं तब दोनों पार्टियों के एक-एक सदस्य को कमेटियों में भेजते थे । मगर अब म देख रहा हूं कि एक ही सदस्य हमारे बीच से भेजा जा रहा है, जबकि कांग्रेस जो कि मैजारिटी की पार्टी है, उसमें से काफी संख्या में लोग कमेटियों में भेजे जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो बात ऐसी है, जो कि माननीय अध्यक्ष से बात करके तय करने की है और आपस में सब विह्प्स और लीडर बैठकर बात करके तय कर लें । यहां मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता ।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, इस सरकार की यह आदत पड़ गयी है कि विरोधी दल के खिलाफ कुछ न कुछ वह करती रहती है : यह सेलेक्ट कमेटी जो बनायी है उसमें दो पार्टियों के मेम्बर नहीं हैं क्योंकि वे सरकार का विरोध करती हैं । आप इसका ध्यान रखें । सेलेक्ट कमेटी की घोषणा करने से पूर्व आप यह देख लिया करें कि सब पार्टीज का प्रतिनिधित्व है या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन की जो कमेटी होती है उसका प्रस्ताव पेश होता है, आप उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं । हम तो यही चाहेंगे कि हाउस में जिस तरह से पार्टीज हैं उन सब का रिप्रेजेन्टेशन उसमें हो ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

पहले किसी भी सेलेक्ट कमेटी के बारे में कांग्रेस पार्टी से सचेतक और दूसरी पार्टियों के सचेतकों से राय ले लिया करते थे लेकिन अब की बार माननीय पांडेय जी ने अपने मन से नाम चुन लिये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो माननीय पांडेय जी से बात करने की बात है ।

श्री मैनेजरसिंह--

पांडेय जी तो हमसे बहुत दूर हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने तो अर्ज कर दिया कि सेलेक्ट कमेटी में हाउस का रिप्रेजेन्टेशन पार्टीवाइज होना चाहिये, इसको आप आपस में तय कर लीजिये ।

कतिपय विषय

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री और न्याय मंत्री के खिलाफ दिया था। उस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि फाइल देखेंगे। अब मुझे मालूम हुआ है कि उस सम्बन्ध में माननीय न्याय मंत्री का कोई पत्र आया है। वह क्या है? अब क्योंकि सदन कल उठ रहा है अतः उस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय तो समय नहीं है। कल इसको टेकअप करेंगे।

बदायूं नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

उपाध्यक्ष महोदय दिनांक २९-८-६४ को बिक्री-कर अधिकारी, बदायूं ने थाना कोतवाली पर इस आशय की रिपोर्ट लिखायी कि उसी दिन पूर्वाह्न में वे स्वदेशी बर्तन भंडार मौलवीगंज बदायूं पर लेखा के निरीक्षण के लिये पहुंचे और निरीक्षण से लेखे में त्रुटियां पाने पर उन्होंने कुछ कागजात अधिकार में लिये। दूकान के मालिक श्री देवीचरण ने वे कागजात उनसे छीन लिये और कुछ कागजों को नष्ट कर दिया और अपने पुत्र एवं नौकर की सहायता से उन्हें दूकान के बाहर निकाल दिया। इस रिपोर्ट पर श्री देवीचरण उनके पुत्र सुरेशचन्द्र एवं उनके नौकर के विरुद्ध धारा ३५३ भारतीय दंड विधान १४ सेल्स टैक्स ऐक्ट के अन्तर्गत एक अभियोग दर्ज किया गया। इस अभियोग के सम्बन्ध में दिनांक १ सितम्बर, १९६४ को सायंकाल इंस्पेक्टर इंचार्ज कोतवाली ने श्री देवीचरण को उनकी दूकान पर गिरफ्तार किया और कोतवाली ले गये। इसके उपरान्त इंचार्ज कोतवाली एक अन्य कार्य के सम्बन्ध में कोतवाली से चले गये। इस बीच श्री देवीचरण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दूकानदारों ने अपना रोष प्रकट करते हुए दूकानें बंद कर दीं और बहुत से अन्य लोगों के सहित कोतवाली पहुंचे। जब डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस कोतवाली पहुंचे तो उन्होंने वहां एक बड़ी भीड़ को पाया जो श्री देवीचरण को छोड़े जाने के लिये नारे लगा रही थी। डी० एस० पी० ने लोगों को समझाया और शांतिपूर्वक वापस जाने के लिये कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि श्री देवीचरण की कोई व्यक्ति जमानत लेना चाहे तो जमानत कर ली जाय। लेकिन भीड़ यही नारे लगाती रही कि हम जमानत नहीं देंगे वरन् जबरदस्ती छुड़ायेंगे। चूंकि भीड़ उत्तेजित हो रही थी अतः डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट को पुलिस लाइन से कुछ और फोर्स बुलानी पड़ी। भीड़ कोतवाली में जमा रही व शोर मचाती रही। कुछ समय उपरान्त भीड़ ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया जिससे कोतवाली की बिल्डिंग के शीशे, दरवाजे आदि टूटे और एक सब इंस्पेक्टर व कुछ कान्स्टेबिलों के चोटें आयीं। यह देखकर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने भीड़ को चेतावनी दी कि उसके कार्य नाजायज हो रहे हैं और यदि लोग शांत नहीं होंगे तो विवश होकर उनको वहां से हटाना होगा। ऐसी चेतावनी देने पर भी भीड़ नहीं हटी और न शांत हुई। डिप्टी एस० पी० ने विवश होकर पुलिस फोर्स द्वारा भीड़ को कोतवाली से बाहर करा दिया। कोतवाली से बाहर हटाये जाते समय भी भीड़ ने पत्थर चलाना जारी रखा जिससे कुछ जनता के लोग व पुलिस कर्मचारी घायल हुए। इसके बाद एक व्यक्ति जमानत लेने को तैयार हो गया और श्री देवीचरण को तत्काल जमानत पर छोड़ दिया गया। भीड़ श्री देवीचरण के साथ चली गयी। प्राप्त सूचना के अनुसार कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया।

दिनांक २ एवं ३ सितम्बर १९६४ को बाजार में हड़ताल अवश्य रही।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ (क्रमागत*)

श्री उपाध्यक्ष--

अब स्वायत शासन मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक १९६४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाये, विवाद शुरू होगा। उस दिन माननीय मुकन्दीलाल जी बोल रहे थे, वे अपना भाषण जारी रखें।

इसके पहले मैं एक जरा-सा और अर्ज कर दूं कि आज ३ बजे तक इस पर जनरल डिस्कशन समाप्त कर दिया जाय और कल ३ बजे तक यह पूरा विधेयक समाप्त करना है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

इस पर बहुत से संशोधन हैं, तो कम से कम इतना टाइम तो संशोधनों के लिये मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

दो दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

संशोधनों की संख्या ज्यादा है, अगर समय नहीं देते हैं तो फिर आपको गिलोटीन का तरीका अख्तियार करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

इसीलिये तो मैंने कहा कि आज ३ बजे तक इस पर जनरल डिस्कशन समाप्त हो जाय, उसके बाद खंडों पर विचार होगा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

मैं कल उन छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटियों की बाबत कह रहा था जो किसी विशेष कारण से निर्मित की गयी हैं। उसका मतलब था कि कुमायूं का सब माउन्टेन एरिया जिसको तराई भावर क्षेत्र कहते थे, पहले वहां कोई बसता नहीं था, वहां जंगली जानवर रहते थे और मच्छर व मलेरिया की वजह से वहां कोई बसना नहीं चाहता था। इसीलिये वहां के कमिश्नर रैम जे और दूसरे कमिश्नरों ने लोगों को आग्रह करके और उनको कुछ सुविधायें प्रदान करके कहा कि कोटद्वार और हल्द्वानी के आसपास बस जाओ। और खास स्टेट में जो गवर्नमेन्ट स्टेट है, उसमें उनको बसाने के लिये कहा गया कि उनसे एक रुपया बीघा लीज लिया जायगा। उसके बाद सन् १९४८ में श्री कुरैशी डी० सी० गढ़वाल ने तमाम जनता से सिवा उनके जो बागवानी करते थे और सिवा उनके जो अनाज पैदा करते थे यह चाहा कि जो वहां बसे थे वे वहां कस्बा बनायें। उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिये यह तय किया कि जो लोग एग्रीकल्चरल लैन्ड में अपने रहने के लिये मकान बनाना चाहें या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल परपज के लिये मकान बनाना चाहें उनसे १ रुपया बीघा और विशेष कर लिया जायगा, यह तय हुआ था। इस पर वहां के सब लोग राजी हो गये। लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट का कोई जी० ओ० उन म्युनिसिपैलिटियों के पास गया है जिससे वहां बहुत बड़ा असन्तोष फैल गया है। उसके मुताबिक सरकार का आदेश यह है कि वहां की म्युनिसिपैलिटीज साढ़े ७ रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से प्रीमियम उन लोगों से ले

*७ सितम्बर, १९६४ की कार्यवाही से।

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

जो उस जमीन पर मकान बना चुके हैं या बनाना चाहते हैं, उसके सारे भाग पर या किसी भाग के ऊपर, इससे बड़ा असन्तोष हो गया है। क्योंकि वहां लोगों को बसाने का असली उद्देश्य यह था कि वहां लोगों को बसाया जाय और जो लोग वहां गये हैं या जिन्होंने मकान बना लिये हैं और उन कस्बों के इस तरह से निर्माण किये और इस तरह से उन्नति किये हैं उनक लिये हैं इस तरह की अब असुविधा पैदा न की जाय।

(इस समय १ बजकर ५४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय पीठासीन हुए।)

यहां पर एक डेपुटेशन भी कोटद्वार म्युनिसिपल बोर्ड का आया था और उन्होंने अपनी नगरपालिका में यह प्रस्ताव पास किया था और जो प्रार्थना उन्होंने सरकार से की थी उस का सारांश यह है कि जिन लोगों को काश्त करने के लिये जमीन दी गई थी और उन लोगों ने उस पर या उस भूमि के लोग किसी भाग पर अपने प्रयोग के लिये मकान बना लिये हैं उन से कोई प्रीमियम या लीज बढ़ाकर न ली जाय। दूसरे जिन लोगों ने काश्त वाली भूमि पर या उसके किसी भाग पर कमर्शियल इमारत बना ली है उनसे निर्माण की तिथि से कमर्शियल पुरानी नियत लीज ली जाय परन्तु कोई प्रीमियम न लिया जाय। तीसरे जो लोग काश्तकारों से कमर्शियल परपज के लिये जमीन क्रय-विक्रय करते हैं उन से १ रुपया या आठ आना प्रति वर्ग गज जैसा कि भूतकाल में था प्रीमियम लिया जाय और कमर्शियल लीज १६ पैसे प्रति वर्ग गज लिया जाय ताकि औद्योगिक विकास नगर में हो सके। उनको जो नोटिस गवर्नमेन्ट की तरफ से गया है उस को कैंसिल कर के उनको यह सुविधा दी जाय। मैं चाहता हूं कि कोटद्वार, हलद्वानी और रामनगर जो वहां की खाम की जमीन में छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके लिये विशेष रूप से एक ऐक्ट बनाया जाय जो कि उन कस्बों पर लागू हो जो कि सरकार की मिलकियत, खाम लैंड पर बसे हैं और जहां पर कि सरकार ने लोगों को बुलाकर बसाया था।

जो स्ट्रे कैटिल बीमार और पागल कुत्ते सड़कों पर घूमा करते हैं उनके लिये नगरपालिकायें कोई खास प्रबंध नहीं करती हैं, केवल उन के काजी हौज या पौन्ड खुले हैं जहां कि पकड़कर कोई जानवर भेज दे तो वह रखते हैं। बीमार या पागल कुत्ते गलियों में घूमते हैं उनके कारण बहुत सी मृत्युयें होती हैं। पागल कुत्तों को पकड़वाना, मरवाना और बीमार कुत्तों को सड़कों से हटाना नगरपालिकाओं का फर्ज होना चाहिये। इसी तरह से स्ट्रे कैटिल और गायें हमारे यहां बाजार में और खेतों में घूमकर बहुत नुकसान करती हैं अनाज की दूकानों पर वह नुकसान करती हैं, तरकारियां खा जाती हैं। ऐसे जानवरों के पकड़ने का म्युनिसिपैलिटी की तरफ से माकूल प्रबंध होना चाहिये। इसके अलावा जो सांड़ गलियों में घूमते हैं उनमें से बहुत से पागल हो जाते हैं और आदमियों को मारने लगते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कलक्टरगंज बरेली में एक सांड़ ने एक आदमी को जान से मार दिया और वह उसके ऊपर जम कर खड़ा हो गया और चारों ओर से लोग वहां तमाशा देखते रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस मनुष्य की हत्या अपने वाले सांड को सजा दें या उस को मारें। उस के बाद किसी तरह लोग उसको रस्सियों से बांध कर ले गये और एक पेड़ से आम सड़क के किनारे बांध दिया और वह सांड ३-४ दिन में आप ही मर गया। हमारी म्युनिसिपैलिटीज का फर्ज है कि ऐसे सांड़ों और जानवरों को पकड़वा कर पौन्ड में बंद रखें और सख्त जुर्माना उनके मालिकों पर करें। जिस तरह से कि बनारस के बारे में कहावत है कि वहां रांड़, सांड़ और सन्यासी बहुत घूमते हैं। जो उनसे बचे वह स्वर्ग को जाता है, यह धारणा वहां के बारे में है। लेकिन यह बात दूसरी है।

एक सुझाव मेरा और है (जिसके लिये खास तौर से हजरतगंज में ही शायद मेरे ऊपर ढेले चल जायं)। एन्क्रोचमेंट को हटाने की बात। आज हजरतगंज जैसे बाजार की शक्ल ही बदल गई है, म्युनिसिपैलिटी के लैन्ड पर, फुटपाथ पर तमाम छोटे छोटे स्टाल्स बना लिये गये हैं और सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिये गये हैं जिनके कारण एक्सीडेंट होते हैं और महान पुरुषों की मूर्तियां छिप जाती हैं। जैसे हजरतगंज के चौराहे पर पोस्ट आफिस के सामने महात्मा गांधी

की मूर्ति पोस्टर्स के कारण दिखाई नहीं देती। सब पोस्टर हटा दिये जाने चाहिये। बड़ी बुरी तरह से एन्क्रोचमेंट करके हजरतगंज की शक्ल बदल दी गयी है और लोग वहां अच्छी तरह से चल नहीं सकते। पेवमेंट पर दुकानें खुली हुई हैं। इसकी तरफ म्युनिसिपल बोर्ड को ध्यान देना चाहिये।

मुझे आशा है कि मंत्री जी हमारे सुझावों पर विचार करेंगे। म्युनिसिपैलिटीज, जैसा मैंने कल कहा था यह कोई मामूली संस्था नहीं है, लार्ड ब्राइस ने, जिन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट पर बड़ी-बड़ी किताबें लिखी हैं, कहा है कि म्युनिसिपैलिटीज सेल्फ गवर्नमेंट के लिये और डेमोक्रेसी के लिये : is the best school & best guarantee for its success in the practice of the local self govt.

कल एक सवाल पेश हुआ था कि एम० एल० एज० भी म्युनिसिपल बोर्ड में लिये जाने चाहिये। हां, अगर वही वातावरण वहां भी पैदा करना चाहते हैं जो यहां होता जाता है तो मैं चाहूंगा कि वह वहां न जायं। लेकिन अगर वे नगरपालिकाओं की उन्नति करना चाहते हैं, नयी धारणा और प्रेरणा उनमें लाना चाहते हैं तो म्युनिसिपैलिटीज में विधायकों को लेना चाहिये, यद्यपि उनको वह अधिकार न हों जो उसके चुने हुए मेम्बर्स को होते हैं। हमारे देश का स्वराज्य, उसकी बहबूदी, प्रिजर्वेशन आफ कल्चर और एजूकेशन म्युनिसिपल बोर्ड्स के हाथ में है। हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे हमारी रूरल पापुलेशन आकर शहरों में बसने लगी है जिससे शहरों की आबादी १०-२० गुना बढ़ गयी है। इसलिये म्युनिसिपैलिटीज का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। जैसे लखनऊ में हम देखते हैं कि बहुत-सी सड़कों पर कीचड़ रहती है, ऐसा नहीं रहना चाहिये। अगर प्रांत की राजधानी में ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तो यह बड़े शर्म की बात है। इसी तरह से म्युनिसिपैलिटीज के जो स्कूल बनते हैं वह आदर्श स्कूल होने चाहिये। अस्पताल आदर्श होने चाहिये क्योंकि म्युनिपिसिपल एरिया में हमारे देहात के लोग आते हैं और जैसा वहां देखेंगे वैसा ही अपनी पंचायतों में करने की चेष्टा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि म्युनिसिपल एरियाज उनको प्रेरणा देने के केन्द्र हैं। यह भी देखने में आता है, जो मैंने अपने यहां कोटद्वार में देखा है कि, जो म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर हैं वह लाइट लगायेंगे तो पहले उन जगहों पर लगायेंगे जहां उनके रिश्तेदार या जान-पहचान के लोग बसते हैं। और जो ऐसे लोगों के मकान हैं जो उनसे अलग रहते हैं उनके यहां रोशनी आखिर में पहुचती है। इसी तरह से पानी भी उन जगहों पर पहले पहुंचाया जाता है जहां उनकी जान-पहचान के लोग रहते हैं। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि हम अक्सर सदन में करप्शन की बात करते हैं। तो देखना यह है कि रुपये लेने या किसी से जमीन लेकर मकान बनाने में ही करप्शन नहीं है, जहां नेपोटिज्म है वहां भी करप्शन आता है। चूंकि हमारे स्वराज्य की बुनियाद और डेमोक्रेसी की आधार-शिला म्युनिसिपैलिटीज हैं इसलिये हमको देखना चाहिये कि म्युनिसिपैलिटीज में वह खराबियां न आयें जो यहां हम देखते हैं और जिसकी बाबत हम नुक्ताचीनी करते हैं। इसके साथ फिर मैं आखिर में म्युनिसिपेलिटीज के चुनाव के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। जैसे आज गोंडा के चुनाव के संबंध में हम देख रहे हैं उसी प्रकार से बहुत-सी म्युनिसिपैलिटीज में भी वही चीज चुनाव के संबंध में देखने में आई है। वह न हो।

अतः इन विचारों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरी म्युनिसिपैलिटी कोटद्वार है और जो कि एक मामूली कस्बा नहीं है, वह एक बड़ी मंडी है जहां से ७५ हजार मन अनाज गढ़वाल में जाता है। यदि ऐसी मंडी को बरबाद करेंगे तो हमारे गढ़वाल की जनता को कहां से अनाज जायगा। मैं चाहूंगा कि आप कोटद्वार और हलद्वानी जैसी मंडियों के ऊपर कृपा करें और उनके लिये अलग कोई उचित कानून बनवायें।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत संशोधन विधेयक के संबंध में मैं दो बातें अपनी रखना चाहता हूं। नगरपालिकाओं के दो कार्य प्रमुख हैं— पहला स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा। स्वास्थ्य के

[श्री नाथूराम शिक्षक]

बारे में, अधिष्ठाता महोदय, यह देखने को मिला है कि अभी तक जहां पर गरीबों की बस्तियां हैं वहां पर बड़ी दुर्गति है हालांकि सरकार की ओर से जितना अनुदान मिलता है नगरपालिकाओं को उसमें यह हिदायत रहती है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, समाज शिक्षण का कार्य उनके यहां बिलकुल ही नहीं होता है। इनकी जिम्मेदारी है कि जहां इतनी बड़ी संख्या में नागरिक रहते हैं वहां समाज शिक्षण के लिए कार्य बहुत अच्छे ढंग से उनको करना चाहिये। इस विषय में माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा प्रसार का कार्य बड़े जोरों से चलाया। उसके प्रचार के लिए और प्रसार के लिए एक अलग से विभाग खोला जाय जो समाज शिक्षण का कार्य करे। आये दिन नगरपालिका के निवासियों का चालान होता है। जो विभाग खोला जाय वह प्रारम्भिक जीवन में आने वाले नियमों की यादगार जनता को बराबर याद दिलाया करें।

दूसरा प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है स्वास्थ्य का और तीसरा समाज सेवा का। स्वास्थ्य के बारे में निवेदन है कि जहां पर शहर के भीतरी भाग से सफाई होती है वहां का कूड़ा-कर्कट किनारे पर इकट्ठा होता है और उस स्थान पर प्रायः गरीबों की बस्ती होती है। वहां पर सफाई और जल की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। उन बस्तियों को ऐसी जगह पर बसा दिया जाता है जहां पर रह कर उन को अपने पुराने जीवन की कहानी याद करनी पड़ती है। नगर से वे इतनी दूर पर होते हैं कि उनके नाम पर भवन बनवाकर रुपया व्यय करते हैं जिससे सरकार का पैसा व्यर्थ में बरबाद होता है। जनवरी से लेकर मार्च के महीने तक वहां पर बाल-गणना का काम होता है। उसमें ६ वर्ष से लेकर ११ वर्ष तक के लड़के व लड़कियों की गणना होती है कि वे कहां पढ़ते हैं? वहां जो प्राइमरी पाठशालायें हैं उनके अध्यापकों से यह कार्य कराया जाता है जिसको शिक्षक पसन्द नहीं करते। देश में बेकारी है और पढ़े-लिखे लोग बेकार हैं। इस तरह की व्यवस्था आप करें कि बालक और बालिकाओं की गणना का काम उनसे न लेकर नये आदमियों से लें और उनको उचित पारितोषिक दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अमेंडमेंट बिल का हृदय से स्वागत करता हूं क्योंकि आपने अमूमन देखा है कि हमारी म्युनिसिपैलिटीज टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयीं कि जो कानून पहले उनकी व्यवस्था के लिये बनाया गया था वह नाकाफी हो गया।

श्री अधिष्ठाता—

मैं एक प्रार्थना कर दूं। चूंकि खंडों पर भी विवाद होना है इसलिये माननीय सदस्य टाइम का ध्यान रखेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चन्द्रसिंह रावत—

अधिष्ठाता महोदय, समय के लिमिटेशन को मद्देनजर रखते हुये मैं अपने विचार केवल सिविल संस आफ ड्यूटी की सीमा के अन्दर ही रखूंगा। म्युनिसिपैलिटीज, नोटीफाइड एरियाज और दूसरी जो लोकल बाडीज हैं उनका बड़ा भारी कार्य है कि वह वहां के रहने वालों के अन्दर

सिविक सेंस आफ ड्यूटी पैदा करें। अपने रहन-सहन को तन्दुरुस्ती को, शिक्षा-दीक्षा और अपने कार्यों को करने का इन्तजाम खुद बखुद अपने हाथ में लेना है। इसलिये इसका बड़ा महत्व है कि लोगों के अन्दर सेल्फ रिलायेंस और कांफीडेंस पैदा करें जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा हो और समझे कि मैं अपना काम खुद बखुद अन्जाम दे सकता हूं। इसको पैदा करने के लिये सिविक ड्यूटीज अपना काम करती हैं और उसका निर्देश देती है।

मैं समझता हूं कि आज म्युनिसिपैलिटीज को बड़ी भारी दिक्कत यह होती है कि उनको फाइनेंसेज की परेशानी होती है। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं और यह आमतौर से देखा गया है कि हर म्युनिसिपल बोर्ड करीब-करीब दिवालिया है और सरकारी जो अनुदान होते हैं उन्हीं पर अक्सर वे आश्रित रहते हैं और इसके साथ-साथ जो अनुदान मिलते हैं उनका सदुपयोग होने के बजाय दुरुपयोग होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार की इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिये। जो सिविक बाडीज हैं उनको खुद व खुद अपने फाइनेंसेज जहां तक उनकी क्षमता हो, पैदा करने दिये जायं। क्योंकि जो रुपया किसी की जेब से आता है उसको खर्च करने में उसे दर्द होता है और जो दूसरे की जेब से आता है उसको खर्च करने म दर्द नहीं होता। माले मुफ्त, दिले बेरहम वाली कहावत प्रसिद्ध है। इसलिये सरकार से जो रुपया जाता है उसको खर्च करने में उनको दर्द नहीं होता। इसलिये जिन्दगी से रास्ता जोड़ने के लिये जो फाइनेंसेज हैं उनके साथ उसका घनिष्ट संबंध है और उसको इस्तेमाल करने में दर्द होना चाहिये। इससे हमारे अन्दर सिविक सेंस आफ ड्यूटी अधिक से अधिक जाग्रत होगी। इसलिये जहां तक फाइनेंसेज का प्रश्न है, हमारे कानून में व्यवस्था होनी चाहिये कि अधिक से अधिक एक्जरशन आन दि प्वाइंट आफ सिविक बाडीज होना चाहिये। लेकिन सिविक बाडीज आजकल चाहती हैं कि वे बड़ी म्युनिसिपैलिटीज हो जायं और जो उनके कर्मचारी होते हैं वे चाहते हैं कि उनकी तनख्वाहें बढ़ें और उनकी म्युनिसिपैलिटी फिफ्थ क्लास से फर्स्ट क्लास हो जायं। लोग झूठमूठ फिगर्स देकर गलत तथ्य सरकार के सामने रख देते हैं जिससे म्युनिसिपैलिटी की क्लास बढ़ जाती है। जैसे थर्ड क्लास म्युनिसिपैलिटी को लोग सैकिंड क्लास करा रहे हैं। वह इसलिये कराते हैं कि वहां सेक्रेटरीज और दूसरे तनख्वाह पाने वाले उसके नौकर होते हैं। उनकी तनख्वाहों में फर्क हो जाता है जब कि म्युनिसिपैलिटी फोर्थ क्लास से थर्ड क्लास, थर्ड क्लास से सेकिंड क्लास और सेकिंड क्लास से फर्स्ट क्लास कर दी जाती है। इसलिये तनख्वाह तो बढ़ जाती है लेकिन आमदनी के जरिये बिलकुल सीमित रहते हैं और वह नौकरों की तनख्वाह के लिये नाकाफी होते हैं। ऐसी हालत में जो फैसिलिटी और एमेनिटी उन म्युनिसिपैलिटी के रहने वालों को मिलनी चाहिये वह उन म्युनिसिपैलिटी में नहीं मिल पाती है और वे म्युनिसिपैलिटी उनको देने के लिये अपने को इन्कांपिटेंट पाती है। इसलिये मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि कानून में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि लोगों की मर्जी पर और उनकी रिक्वेस्ट पर फौरन हमारी म्युनिसिपैलिटी का स्टैंडर्ड रेज नहीं होना चाहिये। फाइनेंस की कमी होते हुये जो म्युनिसिपैलिटी का दायरा बढ़ाते हैं उसको तब तक बढ़ाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये जब तक कि प्रापर फाइनेंस उन एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिये म्युनिसिपैलिटी के पास नहीं हो जाते।

दूसरा महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी म्युनिसिपैलिटी के अन्दर जितने लोग रहते हैं और उनके जितने बच्चे पैदा होते हैं मैं समझता हूं कि आजाद हिन्दुस्तान में उनका यह परम और पुनीत कर्त्तव्य है कि उनके शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध करें। इसकी व्यवस्था हमारे कांस्टीट्यूशन के मातहत कर दी गई है कि हिन्दुस्तान के अन्दर नौजवान बच्चों की शिक्षा-दीक्षा फ्री कम्पलसरी होनी चाहिये। मुझे खेद है कि १७ साल के बाद भी म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था करने में हम कतई असफल रह गये हैं। जितने बच्चे पैदा होते हैं हर एक की फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन, शिक्षा-दीक्षा होनी चाहिये। फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन के माने यह नहीं है कि आपकी म्युनिसिपैलिटी के स्कूल फीस चार्ज न करें। वह फीस तो न लेंगे। जब वे बच्चे स्कूल जायेंगे तो उनको किताब चाहिये, दावात चाहिये और कलम चाहिये और दूसरा पढ़ने का मैटीरियल चाहिये। उस मैटीरियल को बहुत गरीब लड़के

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

एफोर्ड नहीं कर सकते हैं । इसलिये इन सिविक बाडीज की ड्यूटी होनी चाहिये कि जिन बच्चों के पास पढ़ने के लिये मैटीरियल न हो या उनके घर से उनको न मिल सके तो वह मैटीरियल वे सिविल बाडीज उनको उपलब्ध करायें । हमारी म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर फ्री और कम्पलसरी शिक्षा-दीक्षा होनी चाहिये । जब यह हमारा स्वप्न साकार हो जाय तब हमको इस बात की घोषणा करनी चाहिये कि हमारे मुल्क हिन्दुस्तान से हम निरक्षरता को सदा के लिये समाप्त कर देंगे और लिट्रेसी और इगनोरेंस का इस मुल्क हिन्दुस्तान से तलाक दे देंगे । तो यह तभी ठीक हो सकता है जब कि फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन हो । अगर ये हमारी सिविक बाडीज फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन चलाती रहे तो किसी म्युनिसिपैलिटी के अन्दर कोई भी व्यक्ति इल्लिटरेट नहीं मिलेगा ।

तीसरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिविक बाडीज का इन्तजाम सारे नागरिकों के स्वास्थ्य से संबंध रखता है । स्वास्थ्य हजार नियामत के बराबर है । समझा जाता है कि जिसके पास तन्दुरुस्ती न हो अगर उसके पास तमाम धन-दौलत भी हों, बड़े धनिकों के पास बहुत दौलत होती हैं, तो वे उस धन को इंज्वाय नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सेहत नहीं है । इसलिये अगर हम नागरिकों के स्वास्थ्य में ध्यान नहीं रखते हैं तो उनके दिमाग की क्लाइमेट अच्छी नहीं होगी और जो स्वास्थ्य होगा वह भी खराब होगा । इसलिये हमारे स्वास्थ्य का अच्छा रहना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके ऊपर ही हमारा दिमाग निर्भर करता है । अगर शरीर पीड़ित है तो दिमाग कभी स्वस्थ्य नहीं रह सकता क्योंकि "इन साउन्ड बाडी साउन्ड माइंड" । इसलिये मैं समझता हूं कि आपने बड़ी भारी कारपोरेशन लखनऊ का बना दिया है । उस पर हमें बड़ा नाज है, लेकिन उसमें हमने केवल नौकरशाही को बढ़ाया है । उनका स्टेट्स बढ़ गया है, उनकी तनख्वाहें बढ़ गयी हैं और यह कर के हमने अपने खजाने पर बोझ बढ़ा लिया है । लेकिन आप उस कारपोरेशन की व्यवस्था देखने के लिये एक बार चौक चले जाइये । वहां इतनी गंदगी है और हवा में इतनी गंध रहती है कि नाक में रुमाल देकर चलना पड़ता है। कारपोरेशन की लिमिट्स में बड़ी अनहेल्दी जगहें हैं । अगर हममें कुछ भी सिविक सेंस है तो पहले उनका सुधार करना चाहिये । हमको अपना कार्य अपने हिसाब से करना चाहिये । कट योर कोट एकार्डिंग टू योर क्लाथ । जो गलती हमने कर ली है उसे अगर मान कर वापस ले लिया जाय तो कोई गलत बात नहीं है । अगर हम अपनी गलती मानते हैं तो अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं । हमें जनता को विश्वास दिलाना चाहिये कि हम केवल शब्दों में भी उनको भुलावा देना नहीं चाहते, अपने कथनों को कार्यरूप में परिणत भी करना चाहते हैं । चूंकि समय कम है इसलिये अधिष्ठाता महोदय, मैं शीघ्र ही अपनी बात समाप्त करूंगा ।

एक अंतिम बात यह है कि अगर गलतियों को रिट्रेस करने की गुंजायश हो तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिये । लेकिन अगर यह न किया जाय तो आगे के लिये इस तरह के रिस्ट्रिक्शन्स हमारे इस ऐक्ट में होने चाहिये कि जिससे हम अपने मुल्क की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले सकें और जो नयी बस्तियां बसायी जायं उनमें पहले टाउन प्लानिंग कर ली जाय । उस प्लानिंग के बाहर किसी को भी निर्माण करने की अनुमति न दी जाय । अक्सर मेम्बर लोग वोट कैचिंग प्रेक्टिस में ऐसे काम करने लगते हैं कि जिससे मुल्क की सुन्दरता बिगड़ जाती है इंक्रोचमेंट्स आदि होने लगते हैं और वे रुक नहीं पाते । यह बात ठीक नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत है यह सन् १९१६ के मूल ऐक्ट के संशोधन के सम्बन्ध में है । सन् १९१६ का ऐक्ट ब्रिटिश टाइम का है । इस १९१६ के ऐक्ट को देखने से ज्ञात होता है कि १९१६ में जब अंग्रेजी राज था उस समय म्यूनिसिपलिटीज को स्वायत्त शासन के पूर्ण अधिकार दिये गये थे ।

श्री अधिष्ठाता--

आज खंडों पर भी विचार करना है इसलिये संक्षेप में ही आप अपनी बात कहें।

श्री रामअधार कन्नौजिया--

सन् १९१६ में जबकि विदेशी थे और उनके दिलों में यहां के निवासियों के प्रति इतनी सद्भावना थी कि स्वतंत्ररूप से कार्य करने के लिए उन्होंने स्वशासन इकाई का निर्माण किया। आज इस ऐक्ट द्वारा मुझे उन विचारों के विपरीत पता चलता है कि इसमें डिसेंट्रलाईजेशन के बजाए सेंट्रलाइजेशन का एक रास्ता नजर आ रहा है। मेरी समझ में तो सरकर की नीति में कुछ परिवर्तन हो गया और प्रजातांत्रिक ढंग से चलने के बजाय शासकीयकरण करके स्वेच्छिक तंत्र स्थापित करने का सरकार को एक मूल लक्ष्य दिखलाई पड़ रहा है। इसलिये सरकार को अपने रास्ते पर चलना चाहिये।

अधिनियम में जैसा कि और सदस्यों ने कहा और इस तरफ भी कहा गया है कि म्यूनिसिपैलिटियों की आर्थिक दशा बहुत खराब है, इसलिये सुधार की जरूरत है। इसका कारण आज सरकार के बड़े-बड़े नेताओं और मिनिस्टरों का डायरेक्ट हस्तक्षेप है। बहराइच का उदाहरण मैं आपको देता हूं। यह सच है कि सन् १६ से आजतक म्यूनिसिपैलिटीज का एरिया नहीं बढ़ाया गया मगर सरहदों पर कारबार बहुत कुछ बढ़ चुका उससे निकट लगा हुआ जो भी स्थान है उस एरिया में बड़े-बड़े पूंजीपति और रोजगारी अपना कार्य कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह निकाला कि वह लोग म्यूनिसिपैलिटीयों के टैक्स से अपने को बचाते चले जा रहे हैं। बहराइच में जो हास्पिटल बना हुआ है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड की सरहद पर है। वहां पर शिव राइस फ्लोर मिल यानी शिवप्रसाद व अन्य बड़े-बड़े मिल वाले अपनी मिल उसी के निकट लगाये हैं और लगा रहे हैं। दो-एक हजार रुपया जिला परिषद् को देकर नगरपालिका के अन्य टैक्स से बचते जा रहे हैं। एक तरफ चूंगी कटाते हैं, दूसरी तरफ वापसी लेकर माल बेंचते हैं। इसका प्रश्न मंत्री महोदय के सामने २ साल से पहले से चल रहा है और म्यूनिसिपैलिटीज का भी प्रस्ताव था कि वह एरिया सामिल कर लिया जाय, इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर बहुत ही गम्भीरता से विचार करें। कठवापूल का एरिया जहां पर शिव राइस मिल व अन्य उद्योग चल रहे हैं, को म्यूनिसिपल बोर्ड, बहराइच के तहत में शामिल करायें। उससे म्यूनिसिपल बोर्ड की आर्थिक दशा सुधरेगी, छोटे-छोटे कर जो जनता पर लगते हैं नहीं लगाये जायंगे क्योंकि आमदनी बढ़ जाने पर, उनका बोझा भी हल्का हो सकता है।

इसी सदन में मलिन बस्ती सुधार विधेयक पास हुआ है। जहां पर मेहतर और गरीब लोग रहते हैं जिनके मकान में गन्दगी ज्यादा रहती है उनकी बस्ती के सुधार करने के संबंध में यह व्यवस्था है कि उनको कुछ मुआवजा देकर उनको अच्छे मकान से निकाल दिया जाता है मेरा आपके द्वारा निवेदन है कि यह गरीबों के साथ बड़ा अन्याय है। मैंने अखबारों में पढ़ा कि शायद लखनऊ में ऐसा हुआ है कि गरीबों को ही मकान देंगे। मेरा निवेदन है कि बजाय मुआवजा देने के आप मकान बनवा दीजिये हायर परचेज सिस्टम पर और कम किराये निश्चित कर दें। इससे गरीबों को बहुत आराम पहुंच सकता है और अन्त में मूल लागत वसूली होने के पश्चात् उनका हो जाय। यह व्यवस्था की जाय। इसमें सवाल एक तरफ गरीबों और एक तरफ मिल मालिकों का है। हाउसिंग स्कीम जो म्युनिसिपल बोर्ड में चल रही है वहां यदि मिल मालिक अपने मजदूरों के लिए मकान बनवाता है और अपने एरिया में बनवाता है तो गवर्नमेंट उसको सबसिडी देती है और फिर वह मकान उसी मिल मालिक का हो जाता है। उसी उदाहरण के साथ सरकार से निवेदन है कि जो गरीब मजदूर म्यूनिसिपैलिटीज में रहते हैं, जो मलिन बस्तियों में रहते हैं उनको उतना अनुदान दे दीजिये या उतना ज्यादा धन दीजिये कि वह मकान बनवा लें और शेष धन की वसूली किस्तों में की जाय उनसे जबरदस्ती छीनकर बे-घरबार क्यों कर दिया जाता है। उसी ऐक्ट के तहत में पहले आप उनके रहने की व्यवस्था कर दीजिये टैम्पोरेरीली, उसके बाद उनके मकानों को बनवा कर हायर-परचेज पर दे दीजिये।

अंग्रेजों के वक्त में म्यूनिसिपैलिटीज के अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा ही होता था। अब यह कहा जा रहा है कि सदस्यों द्वारा उसको चुना जाय। मैं समझता हूं कि यह अप्रजातांत्रिक है और जनता के हक को छीना जा रहा है। इसलिए जनता के द्वारा चुनने की व्यवस्था की जाय, यही मेरा निवेदन है।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)--

मान्यवर, कुछ निवेदन करने से पहले मैं आपसे आज्ञा ले लूं, क्योंकि सदन ने तय किया था कि ३ बजे तक सामान्य विवाद रहे, तो मुझे कितना समय मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता--

यह मैंने आम तौर से माननीय सदस्य के ऊपर ही छोड़ दिया था।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट--

मान्यवर, जैसा कि आपके सामने कहा गया था, १९१६ में मूल ऐक्ट पास हुआ। ५० साल के करीब गुजर चुके। जीवन की मान्यतायें बदलीं, राज्य व्यवस्थायें बदलीं, अतः आवश्यकतायें भी बदलीं। तो आवश्यक था कि इस विधेयक में आमूल परिवर्तन हो जाता जो कि विदेशी सत्ता के सामने बना था। इस दृष्टि से जो विधेयक माननीय मंत्री जी लाये हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि उसमें वे सारे परिवर्तन आ चुके जो कि इसमें आने की नितांत आवश्यकता थी। मंत्री जी को विरासत में यह विधेयक मिला, वह जो कर सकते थे वह उन्होंने किया। वह प्रवर समिति के सामने गया, मैं उसका सदस्य था। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जितना अधिक से अधिक प्रजातांत्रिक तरीके से वह इधर उधर के बैठने वालों के संशोधन मान सकते थे, उन्होंने माने और उसके फलस्वरूप उसका जो मूल रूप हुआ वह सुन्दर हुआ, मुखरित हुआ और अच्छा हुआ। लेकिन फिर भी, मान्यवर, मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सारी और बातों का समावेश आवश्यक था। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह भी मानता हूं कि इस विधेयक में बहुत सी अच्छी बातें भी हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं और मैं, अगर समय होता तो उन सब पर विस्तार के साथ बधाई भी देता।

अब मैं कुछ उन दो चार बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा जिनका समावेश इस विधेयक में होना चाहिये था। जो सीनियर सर्विसेज के आदमी हैं उनके लिये जो व्यवस्था इस विधेयक में की गयी है वह एक अच्छा कदम है और उनके प्रांतीयकरण की बात का मैं स्वागत करता हूं। यह मांग बहुत दिनों से थी। इसको कार्यान्वित करने की अगर पहले जैसी स्पीड रही, मान्यवर, तो मुझे सन्देह है कि यह चीज सार्थक नहीं हो पायेगी। मैं यह चाहूंगा कि सदन यह जो अधिकार दे रहा है उसका अविलम्ब पालन हो और उसके लिये अविलम्ब नियम आदि बनायें जायें। किन्तु निम्नस्तर वाले कर्मचारियों के लिये मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी तक नगरपालिकाओं के निम्न स्तर के कर्मचारियों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अभी तक प्रदेश में दो वर्ग के कर्मचारी थे एक सेंट्रल वर्ग के तथा दूसरे स्टेट वर्ग के। किन्तु अब एक तीसरे वर्ग के भी कर्मचारी हो गये हैं और वे स्थानीय निकाय के कर्मचारी। मान्यवर, छोटे वर्ग के कर्मचारियों की स्थिति, चाहे वे सेंट्रल सर्विसेज के हों, चाहे स्टेट के हों और चाहे स्थानीय निकाये के हों, सभी की एक सी ही है। आवश्यकतायें भी सभी की एक सी ही हैं। पिछले दिनों आपने छोटे कर्मचारियों के लिये ५ रुपये मंहगायी भत्ता बढ़ाया था किन्तु वह स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को नहीं मिला। मैंने प्रश्न करके सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, पर यह उत्तर मिला कि अगर स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि वे दे सकती हों तो वे दे सकती हैं। इसके पहले जब वृद्धि हुयी थी तो सरकार ने उनका भार वहन किया था। जैसी उनकी आर्थिक स्थिति है वह सरकार से छिपी हुई नहीं है। आपकी यह जिम्मेदारी है कि जो वृद्धि आपने अन्य कर्मचारियों के लिये की है वह उनको भी आप दें। इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को उस वृद्धि से वंचित रखा जाय। वह देने के लिये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ ही, मान्यवर, उनकी जो सेवा की शर्तें हैं उनमें भी सुधार की आवश्यकता है। अन्य कर्मचारियों की तरह उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी आदि भी नहीं दी जाती। म्यूनिसिपल बोर्ड यद्यपि डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स के लिये कन्ट्रीब्युशन देते हैं, मगर वहां के कर्मचारियों को उन अस्पतालों से कोई सुविधा नहीं मिलती है। मैं उसको अनुचित समझता हूं और सरकार को इस ओर अविलम्ब ध्यान देना चाहिये। इसके लिये आवश्यक होगा कि उनकी आर्थिक दशा को सुधारा जाय। जितनी भी कमेटियां अब तक बैठी हैं, सभी ने इसकी सिफारिश की है।

एक काम जो १२८-ए नयी धारा को जोड़ कर उठाया गया, मैं स्वागत करता हूं। यह ठीक है कि स्थानीय निकाय के साधनों को बढ़ाया जाय। आप एकदम एबालिश कर दीजिये म्युनिसिपल बोर्डस और जिला परिषदों को। आपकी सरकार बैठी हुई है। सारे प्रदेश का इंतजाम करती है। किसी भी डुप्लीकेट ऐडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्या है? अगर आप डुप्लीकेट ऐडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं लोकल सेल्फ गवनमेन्ट के द्वारा तो आवश्यक है कि उनके साधनों को मजबूत बनायें, आमदनी बढ़ाने के जरिये उनको दीजिये, एन्टरटेनमेंट टैक्स या और टैक्स हो सकते हैं जो सरकार ने लगाये, उन्हीं के हाथों में दे। वह उसकी व्यवस्था भी कर सकते हैं, और चला भी सकते हैं।

आज मैं समझता हूं कि शिक्षा का स्तर बढ़ने के बाद वह समय आ चुका है जबकि हाई स्कूल और इंटरमीडियट एजूकेशन स्तर की शिक्षा का दायित्व, उसका बोझ भी म्युनिसिपल बोर्ड्स पर पड़ना चाहिये। आज एक तरफ गवनमेन्ट यह सोच रही है, गवनमेन्ट के जो हाई स्कूल्स हैं उनको वह एबालिश करने जा रही है और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल से असन्तोष है। तो कौन सी ऐसी संस्था होगी जो कि उस दायित्व को लेगी? मैं समझता हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड्स ही ऐसी संस्थायें हैं जो उस जिम्मेदारी को उठाने में समर्थ हो सकती हैं। लेकिन आज जो उनके मैन्डेटरी या डिस्क्रीशनरी पावर्स हैं और ड्यूटीज हैं म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत, उसमें उनको अधिकार नहीं है, अगर वह हाई स्कूल और इंटरमीडियट एजूकेशन पर रुपया खर्च करें, तो वह वैलिड चार्ज नहीं होगा। उसके लिये उनको स्पेशल परमीशन लेनी पड़ती है। तो आप इस ओर भी ध्यान दें। अब वह समय आ गया है जबकि एजूकेशन विभाग और स्वायत्त शासन विभाग दोनों मिलकर सीधे इस जिम्मेदारी को लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट पर डालें और साथ ही उनके साधनों को भी बढ़ाने का प्रयत्न करें।

दूसरी बात—आपने बड़ा सुन्दर प्राविधान किया है, १५—५० तक का। पहले आपने प्रस्ताव रखा था, अब आपने उसको १५—४० कर दिया है, छोटी कांस्टीट्युन्सी करने जा रहे हैं। तो इस बात का स्पष्टीकरण करें और इसके लिये स्टेप्स लें कि आप प्लूरल मेम्बर्स कांस्टीट्युऐंसी करने जा रहे हैं या सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्युऐंसी करने जा रहे हैं। मेरी राय में सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्युऐंसी होनी चाहिए और भूतपूर्व प्राइम-मिनिस्टर की भी यह राय थी प्रदेश के अन्दर ऐसी मांग भी है और अनुभव भी बताता है कि सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्यूऐंसी कई माने में अच्छी रहती है। तो जब आप इस ओर बढ़ रहे हैं तो इस बात को स्पष्ट करें और उसके लिए अविलम्ब स्टेप्स लें।

दो एक बात छोटी सी और कह दूं। प्रवर समिति के सामने भी विषय आया था। लेकिन परम्पराओं से बद्ध होकर मैं उसका जिक्र नहीं करता। इसमें कोई प्राविधान ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसकी कि हम आशा करते थे। वोट आफ नो कान्फिडेंस चेयरमैन के विरुद्ध जो आता है उसके लिए एक साल बाद लाने का प्राविधान है। मैं अनुभव से ऐसा समझता हूं, मैं स्वयं भी पांच छः साल चेयरमैन रहा हूं, सौभाग्य से मैं तो इसका शिकार नहीं हुआ लेकिन अगर आप चाहते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड्स का ऐडमिनिस्ट्रेशन चले तो उस चुने हुये व्यक्ति के बजाय एक साल के दो साल का समय दें। मैं देखता हूं कि म्युनिसिपल बोर्डस का ऐडमिनिस्ट्रेशन इस तरह चल नहीं पाता। हर साल नो कान्फिडेंस आ जाता है। इसलिए दो साल का समय उसको दे दें तो पूरे पांच साल के टर्म में दो या तीन बार नो कान्फिडेंस आ पायेगा जबकि वर्तमान प्राविधान के अनुसार हर साल आ सकता है जिससे कि वहां का कार्य चल नहीं पाता है। तो यह भी एक देखने की चीज है।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

एक बात और है कि इस सदन के सदस्य उसके सदस्य हों या नहीं, इस बारे में अमेंडमेंड आया हुआ है। विस्तार में उस समय मैं निवेदन कर दूंगा। इस समय केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो सदस्य म्युनिसिपल एरिया में रहते हों और उस एरिया को रेप्रेजेन्ट करते हों उनको जरूर म्युनिसिपल बोर्ड से सम्बद्ध किया जाय। मैं उनके लिए वोट का अधिकार नहीं चाहता, कोई और अधिकार नहीं चाहता लेकिन उनको सम्बद्ध जरूर किया जाय क्योंकि इससे दोनों के बीच में एक समन्वय हो सकेगा और वह अपने पाकेट्स के हितों का सम्पादन ज्यादा कुशलता, क्षमता, सफलता के साथ कर सकेंगे।

मान्यवर, मैं एक दो छोटी-छोटी बातें और निवेदन करके समाप्त करता हूं। एक तो माननीय मंत्री जी इस बात की ओर ध्यान दें कि खादी कमीशन जो हिन्दुस्तान का है, उन्होंने एक बात तय की कि वह काटेज इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं और उनका ख्याल यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड स इसके लिये सबसे अच्छी एजेन्सियां हैं। इस काम को पूरा करने के लिये वह बहुत बड़ी धनराशि म्यूनिसिपल बोर्डस को देना चाहती है। इस बात के लिये कि वह (म्यू० बो०) अपने तत्वाधान में काटेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, उनको अपने क्षेत्र में बढ़ावा दें। इसके लिये खादी कमीशन के जो चेयरमैन हैं---ढेबर साहब उन्होंने इस योजना के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है। किन्तु वह योजना जैसा कि लालफीता साही में सब काम होता है, पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस सुन्दर सिद्धांत को कार्यान्वित करने में बड़ी देर की है। उसकी फाइल चल रही है। किन्तु अभी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन सिद्धांत रूप में उसे स्वीकार किया गया है। आपको उसके लिये यह करना होगा कि आप अपने यहां नियमों में इस बात का प्राविधान कर दें कि म्युनिसिपल बोर्ड स रुपये को प्राप्त कर सकती हैं और उसको उपरोक्त कार्य में सदुपयोग कर सकती है। लेकिन वर्तमान नियम में इसका कोई प्रविधान नहीं है, वर्तमान नियमों के अनुसार वह उस रुपये को लेकर उस काम के लिये अपने यहां खर्च नहीं कर सकती है।

तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कल तक अमेंडमेंट चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से वह फाइल मंगा लें और इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी से बात कर लें। वह बहुत आवश्यक हैं, इस वक्त यदि न ला सके तो उसके लिये फिर अमेंडमेंट ऐक्ट लाना पड़ेगा। अच्छे कार्य में देर करना ठीक नहीं। लिहाजा इस सयय आप वह अमेन्डमेंट बिल ले आयें तो अच्छा होगा। अब मेरा समय समाप्त हो रहा है। माननीय मंत्री जी भी घड़ी देख रहे हैं, मैं समाप्त करता हूं।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये और बहुत से अच्छे सुझाव दिये। कुछ सुझाव या आलोचना तो उन अंशों पर हुई है, जो इस विधेयक में, संशोधन विधेयक में हम अभी विचार कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर सुझाव मुझे वह मिले हैं कि जो इस विधेयक के इस समय अंश नहीं हैं। फिर भी उन्होंने जो सुझाव या विचार दिये हैं, मैं उनकी कद्र करता हूं और जहां कहीं अवसर मिलेगा, मैं उनसे फायदा उठाऊंगा। लेकिन मैं इस समय इस विषय पर उन माननीय सदस्यों से क्षमा चाहूंगा कि पहले मैं उन्हीं चीजों पर विचार करने और उत्तर देने की कोशिश करूं जो इस विधेयक से सम्बन्धित हैं।

एक आम बात मैं यह कह दूं कि शुरू-शुरू में यह आपत्ति उठाई गई कि यह विधेयक हिन्दी में आना चाहिये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं स्वयं हिन्दी का पक्षपाती हूं और हिन्दी यहां की भाषा है। मुझे बहुत खुशी होगी, जिस रोज हम अपना सारा कार्य हिन्दी में कर सकेंगे। जहां तक इस विभाग का ताल्लुक है, हमने बार-बार कोशिश की है कि जितने हमारे अधिनियम

हैं, सबका अनुवाद हिन्दी में हो जाये और म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट का अनुवाद भी हमने हिन्दी में करवाया है। इस विधेयक को भी हिन्दी में अनुवाद कराने की हमने आज्ञा दी है। यह हो रहा है और हो जायेगा। जो अधिनियम हिन्दी में हैं, उस पर जब तक इस सदन में मोहर न लग जाये, तब तक जो अधिनियम अंग्रेजी में बने हुये हैं उसका अमेंडमेंट सही तरीके से उसी भाषा में यानी अंग्रेजी में हो सकता है, जिस भाषा में कोई कानून लिखा हो। उसमें संशोधन उसी भाषा में होगा। लेकिन जैसा कि अभी कहा गया और माननीय जगदीश शरण जी तथा औरों ने बतलाया वह बात सही है। कोई भी चीज चाहे जितने सोच विचार कर लें, कभी-कभी उसमें कमी की गुंजायश रह जाती है, बहुत सी अच्छी बातें छूट जाती हैं। चाहे हमने संशोधन विधेयक बनाया है या पहले बन कर तैयार हुआ है, लेकिन सारी बातें हर आदमी के दिमाग में नहीं आ पातीं हैं। तो आज हो सकता है कि और जरूरी चीजें हमारे सामने आवें और इस पर दूसरा संशोधन विधेयक हमें लाना पड़े। मैं आशा करता हूं कि उस समय तक हमारे म्युनिसिपल ऐक्ट का अनुवाद भी हो जायगा और अगर इस सदन से उसकी अनुमति मिल गयी तो हम अगला संशोधन भी हिन्दी में ही लायेंगे।

जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है, माननीय सदस्यों को अलग-अलग उत्तर न देकर मैं सवालों को वर्गीकृत करके उनके उत्तर दूंगा। सबसे पहले तो इसका जो कान्स्टीट्यूशन है (इसकी बनावट है) उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि उसके बारे में इस संशोधन विधेयक से हमारी क्या मंशा है। अभी जगदीश शरण जी ने कहा कि हमने यह कोशिश की है कि हम सदस्यों की संख्या कम करें। वह भी हमने यह जानते हुए की है कि आबादी बढ़ रही है। उसको ध्यान में रहते हुए जितनी सदस्यों की संख्या को कम होना चाहिये उतना कम किया गया है। छोटे-छोटे क्षेत्र होने से दिक्कत यह थी कि निजी इन्टरेस्ट के कारण उम्मीदवारों से उन छोटे नारों पर वोट मांगते थे। इस कारण से भी कि आम तौर पर इस सदन में और इससे बाहर भी लोगों की यह मांग थी कि सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्यूंसी होनी चाहिये अब अगर सिंगिल मेम्बर कान्स्टीटुयेंसी बने और छोटी हो जाय तो अच्छे आदमी चुनकर आना असंभव हो जाता था। इसलिये इस संख्या को कम किया गया है। इसलिये एक सदस्य एक ही वार्ड से आये, हम इसी प्रकार से सोच रहे हैं। एक बात यह भी है कि ज्यादा म्युनिसिपैलिटियों की संख्या होने से काम भी अधिक नहीं हो पाता।

इसके अलावा अध्यक्ष के बारे में भी कहा गया है कि अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होना चाहिये इसके बारे में हम तजुरबा कर चुके हैं और वह यह है अगर मेम्बर अधिकांश में किसी दूसरी पार्टी के हैं और अध्यक्ष किसी दूसरी पार्टी का चुन जाता है तो उसको अपना काम चलाना मुश्किल होता है। वह अपना बजट भी पास करा नहीं सकता। इसलिये डायरेक्ट चुनाव का एक्सपेरीमेंट हमारा सफल नहीं हुआ। इसलिये अध्यक्ष के साथ मेम्बरों की मेजोरिटी रहे, इस कारण हमने इनडायरेक्ट चुनाव की प्रणाली अध्यक्ष की रखी है। अभी टाउन एरियाज में ऐसा नहीं है लेकिन वहां पर भी लोगों की यह मांग है कि उससे ठीक काम नहीं चलता, अक्सर सदस्यों और चेयरमैन म झगड़ा रहता है। वहां पर भी लोग मांग कर रहे हैं कि अध्यक्ष का इनडायरेक्ट इलेक्शन हो।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

माननीय मंत्री जी से मैं एक जानकारी चाहता था। आपने अभी फरमाया कि डायरेक्ट इलेक्शन अध्यक्ष का इसलिये हटा दिया गया कि आपस में झगड़ा रहता था और चेयरमैन जो काम करना चाहता था वह नहीं कर पाता था। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जब डायरेक्ट एलेक्शन शुरू में कराये गये थे, उस समय बहुमत आपकी पार्टी का नहीं था और बहुत सी कमेटियों में अपोजीशन के लोग चुन कर आये थे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुये यह किया गया है क्योंकि बहुत कम संख्या में इलेक्शन में कांग्रेसी पावर में आये थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

यह बात बिलकुल गलत है। जिला परिषदों में या म्युनिसिपैलिटियों के जितने भी चुनाव हुए हैं कांग्रेसी अध्यक्ष काफी तादाद में आये हैं। तो इसका यह कारण नहीं है, कारण वह है जो मैंने आपको बतलाया कि चाहे वे जिला परिषदें हों या म्युनिसिपैलिटीज हों, दसों जगह से शिकायत आयी कि इससे काम नहीं चलने का। तो इसमें विवाद की जरूरत नहीं है। जहां तक इन डाइरेक्ट एलेक्शन का सिस्टम है वह किसी सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। अगर आपको उसे एक्जीक्यूटिव की शकल में चलाना है तो जाहिर है कि जिसको एक्जीक्यूटिव पावर हो और उसके साथ ही उसका वहां बहुमत न हो तो वह नहीं चल सकता है। यदि आप किसी हेड को एक्जीक्यूटिव पावर देते हैं तो उसके साथ ही वहां उसका बहुमत होना चाहिये, तभी काम ठीक तरीके से चल सकता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि वे माननीय मंत्री जी का भाषण समाप्त हो जाने दें। माननीय लखीसिंह जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें, माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिये।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

समाजवाद की रूपरेखा यही है कि प्रत्यक्ष चुनाव हो।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

यही सिद्धांत इस पर लागू होता है कि अध्यक्ष जब एक दफा चुन जाय तो उसके ऊपर अविश्वास नहीं आना चाहिये। उसके लिये एक साल की अवधि हो, दो साल की अवधि हो, किसी किसी का ख्याल है कि पूरे टर्म के लिये कर दिया जाय। यह नियम उस पर भी लागू होता है कि जब तक चेयरमैन के साथ बहुमत हो तभी तक उसे चेयरमैन रहना चाहिये। जब बहुमत उसके साथ से हट जाय तो फिर उसका चेयरमैन बना रहना ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी के पास समय कम है, मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य उनको बोलने दें।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

एक बात माननीय सदस्यों ने इस सदन में यह कही कि जिस तरह से विधान सभा, विधान परिषद् या पार्लियामेंट के सदस्य जिला परिषदों के पदेन सदस्य हैं, वैसे ही वहां भी इनको सदस्य होना चाहिये। यह बात काफी विवादास्पद है। विधान परिषद् में जब यह सवाल आया तो बहुत से सदस्यों ने यह कहा कि विधान सभा के विधायकों को इसका सदस्य नहीं रहना चाहिये और मैं समझता हूं कि वह सही राय थी। जिला परिषदों की एनोलाजी इसमें नहीं लग सकती। जब जिला परिषदें बनीं तो पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का काम उनके पास आया और विकास समितियां उनमें मर्ज हुईं। विकास समितियों के विधायक पदेन सदस्य थे और जब दोनों मर्ज हुईं तो विधायक और जो चुने हुये सदस्य थे, उनको मिला कर जिला परिषदें बनीं। तो वह एनोलाजी यहां नहीं लगती है। उनका कुछ पिछला इतिहास था। माननीय सदस्य जो म्युनिसिपैलिटीज में दिलचस्पी रखते हैं वे बराबर उसकी बात यहां रख सकते हैं।

दूसरी बात म्युनिसिपैलिटीयों के लिये कही गयी कि चाहे विधान परिषद् के सदस्य हों जो लोकल बाडीज द्वारा चुने हुए हैं, चाहे विधान सभा के चुने हुये लोग हों, उनके लिये इस तरह से

आर्गू कुछ लोग कर सकते हैं कि जब विधायकों ने एक जगह अपने लिये स्थान सुरक्षित कर लिया यह कोई रोक नहीं है कि विधायक वहां जाकर सदस्य न बन सकें। कोई मनाही नहीं है। वह खड़े हो कर चुनाव लड़ सकते हैं और वहां का सदस्य बन सकते हैं। इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, न कोई ऐसा पुराना नियम है और न कोई ऐसी परम्परा है।

कुछ सज्जनों ने कहा कि ऐसी कोई चीज आती है कि नामिनेशन हो या कोआप्शन हो तो गवर्नमेन्ट की ओर से किया जाय लेकिन मैं ने इस बात को विधान परिषद् में भी कहा था कि सरकार नामिनेशन आदि के कोई माफिक नहीं है। हरिजनों के बारे में भी कोआप्शन की बात कही गई लेकिन उन के लिये तो वैसे ही सीट्स रिजर्व हैं, उन की कांस्टीटुएंसी की सीट्स रिजर्व हैं। महिलाओं के बारे में कहा जा सकता है। वह भी आ सकती हैं और शहरों में तो अब बहुत शिक्षित महिलाएं हैं जो राजनीति में हिस्सा ले सकती हैं और समाजवादी होती हैं, वह आसानी से चुनकर आ सकती हैं। देहातों में जरूर अभी ऐसी बात नहीं है। तो उन के भी नामिनेशन की जरूरत नहीं है और इसी चीज को बहुत बड़ी संख्या में विधान परिषद् में भी माना गया कि किसी इस तरह के रिजर्वेशन या नामिनेशन की आवश्यकता नहीं है। यह तो वह बातें रहीं कि जो वहां की बनावट और कांस्टीट्यूशन से सम्बन्धित थीं।

अब नगरपालिकाओं की आर्थिक दशा सुधारने केलिए इस में कुछ कदम उठाये गये हैं। कुछ टैक्स लगाये गये हैं जिन का विरोध किया गया है। माननीय जगदीश शरण अग्रवाल ने भी कहा था। एक तरफ तो यह संस्थाएं अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाती हैं जिससे कि उनकी ठीक से गुजर हो सके इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि उन की आर्थिक दशा ठीक हो। हम ने इस में एक प्राविधान यह किया है कि जितने भी उनके क्षेत्र में अचल सम्पत्ति के बयनामे होंगे उन की मालियत पर नगरपालिकाएं २ प्रतिशत से ५ प्रतिशत तक अपना टैक्स ले सकेंगी। २ प्रतिशत तो मिनिमम होगा, इससे उनकी आय बढ़ सकती है। दूसरे उनको ड्रेनेज टैक्स आदि लगाने का अधिकार दिया गया है, वह चाहें तो अपने यहां लगा सकती हैं। कहा गया कि यह बहुत ज्यादा हो जायगा लेकिन मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं के क्षेत्र में जो पुराने जमींदारों आदि की पुरानी जमीनें बड़ी-बड़ी पड़ी हुई हैं और ज्यादातर वह खाली पड़ी हैं....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मैं मन्त्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जब आज यह नगरपालिकाएं अपना गृहकर और जलकर ही वसूल नहीं कर पाती हैं तो उन का यह नया कर कैसे वसूल होगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह बात आप नगरपालिकाओं के लिए ही क्यों कहते हैं यह तो सब जगह के लिए हो सकता है, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स भी बहुत वसूल नहीं होता है तो क्या उसके लिए प्राविजन न किया जाय, क्या नादिहन्दों के कारण कर की वसूली का कानून ही न बनाया जाय? यह कोई बात नहीं है। उसके प्राम्ट पेमेंट की क्षमता और विश्वास लोगों में पैदा करना चाहिए। वसूली नहीं कर सकते यह कोई दलील नहीं है। तो मैं कह रहा था। कि शहरों में पुराने लोगों की बड़ी-बड़ी जमीनों की सड़क, सीवर, ड्रेनेज और बिजली आदि की सुविधाओं से कीमत बहुत बढ़ गई है बिना उनके किसी निजी प्रयास या खर्च किये हुए। पैसा म्युनिसिपेलिटी ने खर्च किया और वह १०० गुना अधिक कीमत की हो गई और वह अधिक कीमत पर उस को फिर बेचते हैं, अगर उसमें से नगरपालिका २ प्रतिशत मालियत कर लेती है तो वह कोई अधिक नहीं है और जायज ही होगा और इस पर किसी दूसरे नुक्तेनजर से देखना उचित न होगा। यह कर जिसका प्राविधान कियागया है वह बिलकुल ठीक है, इससे उनकी आय बढ़ेगी।

इसी सिलसिले में यह भी अर्ज कर हूं कि यहां पर कुछ बातें ऐसी कही गयी, जैसा कृष्ण चन्द्र शर्मा जी ने कहा, कि हर मामले में कलेक्टर और कमिश्नर को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी कर दिया

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

है और एक दलील दी जो सुनने में अच्छी भी लगती है कि गैरसरकारी आदमी को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बनाना चाहिए। चेयरमैन आदि के मामले कलेक्टर और कमिश्नर के पास न जा कर एक गैरसरकारी आदमी के पास जायं और उस आदमी को कलेक्टर और कमिश्नर्स की पावर्स दे दी जाय जहां कि तक म्युनिसिपैलिटीज का ताल्लुक है। यह बात देखने और सुनने में अच्छी लगती है लेकिन व्यवहारिक नहीं है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

डिस्ट्रिक्ट जज को बना दें।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जो एग्जीक्यूटिव का काम है वह एग्जीक्यूटिव ही करेगी। जज का काम दूसरे तरह का होता है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को जो मामूली चीजें देखने की बात होती है, या रिपोर्ट मंगाने की बात होती है यह वही अधिकारी कर सकते हैं जो उनसे ताल्लुक रखते हैं तथा जिनके पास साधन हैं। गैर सरकारी आदमी के पास कोई साधन नहीं है, न उसके पास कोई मशीनरी है तो वह कैसे रिपोर्ट देगा? और अगर उसके लिए मशीनरी दी जाय तो बोर्ड पर एक खर्चा और बढ़ेगा जो अभी सम्भव नहीं है। इसलिए यह अव्यावहारिक चीज है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

एक स्पष्टीकरण चाहता था। अभी मन्त्री जी ने कहा कि गैरसरकारी व्यक्ति को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बनाना सम्भव नहीं है। तो क्या यह सम्भव नहीं है कि प्रदेशीय स्तर पर एक स्वायत्त शासन बोर्ड बनावें जिसमें आपके उच्च अधिकारी एक आध रहें और कुछ गैरसरकारी लोग भी रहें? उसी को इस तरह के मामले जायं?

श्री अधिष्ठाता--

मैं यह जानना चाहता हूं कि आप तो प्रवर समिति के सदस्य थे। आपने कोई इस तरह का सुझाव मन्त्री जी को प्रवर समिति में दिया था या इस समय ही दे रहे हैं।

श्री मैनेजरसिंह--

मैंने पहले ही कहा कि प्रवर समिति में हमने वोट नहीं किया। यह सुझाव वहां भी आया था लेकिन हम लोगों ने एक राय करके निकाला उसे।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

श्रीमन्, हर चीज को व्यवहारिकता के रूप से देखना चाहिए, सुझाव तो अच्छा हो सकता है लेकिन अगर व्यवहारिक नहीं तो उसके मानने से क्या फायदा। कोई इस तरह का अगर बोर्ड बना तो उसको पूरी मशीनरी को एस्टेबलिश करना पड़ेगा जिसमें काफी खर्चा होगा जो इस समय व्यवहारिक नहीं है। मुमकिन है कुछ समय बाद म्युनिसिपैलिटीज की ऐसी अच्छी आर्थिक स्थिति हो जाय कि वह अपना बोर्ड बना सकें और उसके खर्चे को बरदाश्त कर सकें। लेकिन इस समय सम्भव नहीं है। अभी माननीय कन्नौजिया जी ने कहा, अंग्रेजों के जमाने का हवाला दिया, कि सरकार केन्द्रीयकरण कर रही है। कुछ समझा नहीं कि जिसकी बराबर मांग है उच्च सर्विसेज का म्युनिसिपैलिटीज को प्रदेशीयकरण किया जाय यह बड़ी हेल्थी चीज है जिसका स्वागत सब जगह हुआ है। जैसा जगदीश शरण जी ने कहा था हमने उसका प्रावीजन किया है कि ऊंची सर्विसेज का प्राविन्शियलाइजेशन हो इस गरज से ताकि ट्रांसफर हो सकें और उन लोगों को सर्विस की सेक्योरिटी रहे। बोर्ड से और सर्विसेज में आज झगड़ा हो जाता है तो कोई चारा नहीं उसका क्योंकि नौकरी कोई छोड़ नहीं सकता और बोर्ड वाले उसको तंग करना चाहते हैं।

या कोई दूसरी बात है जैसे कोई खराब आदमी सर्विसेज में हो और बोर्ड उसको रखना नहीं चाहे तो कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इसलिए यह बहुत जरूरी चीज है। सर्विसेज वालों की भी यह मांग है कि ऐसा कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त हमारे विचार में है कि अगर म्यूनिसिपैलिटी के जो अधिकारी हैं उनका प्रोमोशन नगर महापालिकाओं में भी कर दें तो उनके लिए एक उन्नति का दरवाजा खुला रहेगा। दूसरे एक जगह पर पड़े रहने से वे लोग राजनीति में भी हिस्सा लेने लगते हैं। माननीय जगदीश शरण जी ने कहा कि यह बहुत दिनों का सवाल है वह ऐसा न पड़ा रहे, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही यह कानून बनेगा उसके ऊपर कार्यवाही जल्दी से जल्दी होगी।

कुछ शिक्षा की मांग की गयी। अभी भी श्री जगदीश शरण जी ने कहा कि इन्टरमीडियट और हाई स्कूल की शिक्षा म्यूनिसिपलिटीज को अपने हाथ में ले लेनी चाहिये। अभी कल बहस में यह हुआ था कि शिक्षा बिल्कुल म्यूनिसिपैलिटीज को नहीं करनी चाहिये। पहले प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा भी उनसे ले लेनी चाहिये और सरकार को करनी चाहिये। माननीय गंगवार जी की यह दलील थी। यह भी कहा गया कि टीचर्स इलैक्शन में हिस्सा लेते हैं। नियम यह है कि जो कोई कर्मचारी इलैक्शन में हिस्सा लेगा वह सर्विसेज से निकाल दिया जायगा। इस पर भी अगर कोई हिस्सा लेता है तो उसको सजा दी जायगी। तो मेरी राय में यह तो कोई दलील नहीं हुयी कि इस वजह से कि चूंकि लोग इलैक्शन में हिस्सा लेते हैं तो म्यूनिसिपल बोर्डों के हाथ में शिक्षा का काम भी न रहे। जो प्राइमरी एजूकेशन की खास जिम्मेदारी है वह म्यूनिसिपैलिटीज की होनी चाहिये। म्यूनिसिपैलिटीज में प्राइमरी एजूकेशन कम्पलसरी और फ्री है। अगर इतने बड़े सूबे में प्राइमरी एजूकेशन का काम एक जगह से होता है तो इतना अच्छा नहीं चल सकता है जितना स्थान-स्थान पर किया जाता है।

(इस समय ३ बज कर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुए।)

जहां तक हाई स्कूल एजूकेशन का सम्बन्ध है, जिन बोर्डों की आर्थिक दशा अच्छी होती है उन्हीं बोर्डों को हम इजाजत देते हैं। लेकिन इन्टरमीडियेट और डिग्री कालिजेज जो हैं उनके लिए उनकी प्राइमरी ड्यूटी नहीं है।

एक चीज यहां पर नजूल लैन्ड की आयी और कहा गया है कि नजूल लैन्ड का दुरुपयोग होता है। यह बात भी सही है। एंक्रोचमेंट भी होता है, नजूल लैन्ड पर और म्यूनिसिपैलिटीज की जायदाद पर। हम लोगों की कुछ आदत है कि जरा भी जगह मिल जाय चबूतरे के लिये तो कब्जा कर लिया जाता है। सार्वजनिक सम्पत्ति जो है उसकी कद्र होनी चाहिये। यह बात हमारे दिमाग में नहीं है। एक तो शिक्षा की जरूरत है दूसरे थोड़ा सा अंकुश भी रहना चाहिये क्योंकि अगर म्यूनिसिपलिटी अपनी जमीन की रक्षा नहीं करती है तो उनको काट ली जा सकती है। इसकी सूचना अगर मेरे पास या सरकार के पास लिख कर आये तो मेरे ख्याल में यह न हो।

एक बात हाउसिंग बोर्ड बनाने के संबंध में है खासतौर से शहरों में म्यूनिसिटीज का हाउस बोर्ड बनाने का विचार है। वैसे भी इसकी रूप-रेखा ठीक नहीं हुई। आज भी लोगों की शिकायत है कि नजूल लैन्ड की देखभाल नहीं हो पाती है। इस कारण से इस कार्य को हाउस बोर्ड के सुपुर्द कर देने से यह जो स्वार्थ के कारण जमीन की बरबादी होती है, वह रुक सके। तो श्रीमन् ये खास-खास बातें थी जिन्हें मैंने अर्ज कर दिया। इस संबंध में जो और बहुत से सुझाव दिये गये हैं जो इस संशोधन विधेयक से ताल्लुक रखते हैं उन पर जैसा कि मैंने पहले कहा, विचार करूंगा और जिन साहबान को स्थानीय बोर्ड के संबंध में शिकायतें हैं, उन पर भी जो जो चीजें मेरे सामने आई हैं, मैं विचार करूंगा। अन्त में सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस विधेयक पर विचार करे।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ तथा ३

यू० पी० एक्ट सं० २, १९१६ की धारा २ का संशोधन

२--यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा २ में--

(१) खण्ड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(2) 'Building' means a house, out-house, stable, shed, hut or other enclosure or structure whether of masonry bricks, wood, mud, metal or any other material whatsoever whether used as a human dwelling or otherwise and includes any verandah, platform, plinth, staircase, door-step, wall including compound wall other than a boundary wall of a garden or agricultural land not appurtenant to a house but does not include a tent or other such portable temporary shelter."

(२) खण्ड (८) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (८-ए) बढ़ा दिया जाय--

"(8-*a*) 'Master Plan' means a comprehensive plan showing therein the existing and proposed location and general layout of:—

(*a*) arterial streets and transportation lines ;

(*b*) residential sections ;

(*c*) business areas ;

(*d*) industrial areas ;

(*e*) educational institutions ;

(*f*) public parks, play-grounds and other recreational places ;

(*g*) public and semi-public buildings; and

(*h*) any other places put to any specified use."

(३) खण्ड (२५) में शब्द " hire " और शब्द "or" के बीच में शब्द "or for any other commercial purpose" तथा शब्द "gardens" के बाद शब्द " not appurtenant to any dwelling house" रख दिये जायं।

यू० पी० एक्ट सं० २, १९१६ की धारा ४ का संशोधन

३--मुल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) में शब्द "official *Gazette*" और शब्द "and cause to be affixed" के बीच में शब्द "and in a paper approved by it for purposes of publication of public notices, published in the district or, if there is no such paper in the district, in the division in which the local area covered by the notification is situate—"रख दिय जायं।

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में मूल अधिनियम की धारा २ में प्रस्तावित खण्ड (२) की द्वितीय पंक्ति में 'or other' और 'enclosure' शब्दों के बीच 'roofed' शब्द जोड़ दिया जाये ।

श्रीमन्, जो संशोधन मैंने पेश किया है, वह बिल्डिग से संबंधित है । अब तक म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट के अन्दर बिल्डिग की जो परिभाषा दी गई है वह इस तरीके से है:

"Building" means a House, hut, shed or other roofed structure, for whatsoever purpose and of whatsoever material constructed, and every part thereof, but shall not include a tent or other such portable temporary shelter."

इस तरीके से श्रीमन्, दूकान, हट, सेड कोई भी चीज हो जब तक कि उसकी रूप-रेखा न हो तब तक उस चीज को बिल्डिग में नहीं लाया गया है । लेकिन माननीय मन्त्री जी ने जो संशोधन पेश किया है, उसमें बाउन्ड्री वाल को भी बिल्डिग मान लिया है । यह श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता । तो अगर इसमें यह भी दिखा दिया जाय कि किस-किस किस्म का कान्स्ट्रक्शन करने के लिये सैंक्शन की जरूरत है, तब तो यह बात ठीक है । लेकिन खाली जमीन घेर दी जाय और उसको बिल्डिग मान लिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह एक किस्म का मजाक है । कम से कम किसी चीज का डिसक्रप्शन तो अवश्य दिया जाय । और श्रीमन्, बिल्डिग तो वास्तव में वह होती है जिसके अन्दर आदमी रह सके, शेल्टर प्राप्त कर सके और इसीलिये जब आपने हट को भी शामिल किया तो हमने उसमें कोई एतराज नहीं किया क्योंकि उसके अन्दर कम से कम बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, जानवर बांध सकते हैं । लेकिन खाली बाउन्ड्री को बिल्डिन्ग मान लेना श्रीमन्, ठीक नहीं है कि खाली फेंसिग बना दे, दीवाल घेर दे, तो वह भी बिल्डिग है । यह मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौन सा राज्य है जिस राज्य के अन्दर आप बिल्डिग की परिभाषा ऐसी देने जा रहे हैं । अगर आप वाकई चाहते है कि म्यूनिसिपैरिटीज के अन्दर कोई फेंसिग न करे, टाउन एरिया के अन्दर न करे, तो उसके लिये आपको एक अलग सेक्शन बनाना चाहिये ।. जो फेंसिग पौधे लगाकर कर रहे है बगैर इजाजत ऐसा न किया जाय । कांस्ट्रक्शन का जहां तक सवाल है ऐसी बातों को लाना चाहिये अलग सेक्शन और अलग डेफिनीशन बना कर । लेकिन बिल्डिग के नाम पर ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिये । दूसरे प्रदेश के लोग इस परिभाषा को पढ़ेंगे । तो उससे ला डिपार्टमेंट तथा सरकार की बुद्धि का इजहार होगा । ओपिन लैन्ड को घेर कर अगर बिल्डिग की परिभाषा दी जाती है तो इससे बढ़ कर अनर्थ हो नहीं सकता ।

हर साल म्यूनिसिपल ऐक्ट में एक न एक संशोधन आता रहता है और एक घंटे के अन्दर वह उसे पास कराना चाहती है यह बात उचित नहीं है । मंत्री जी ने कहा कि दुबारा वह इसका संशोधन लाना चाहते हैं, मैं इसकी सख्त मुखालिफत करता हूं, यह गलत चीज है । जो ऐक्ट बनाइये उस पर पूरा ध्यान दे कर अपोजीशन के मेम्बरों को पुरा मौका दिया जाय, ला डिपार्टमेंट से फिर कंसल्ट किया जाय कि जो हम कह रहे हैं वह कहां तक सही है, उसके पश्चात् अगर संशोधन विधेयक लाया जाय तो मैं यह समझूंगा कि आपने अपनी पोजीशन का दुरुपयोग न करके सदुपयोग किया है वर्ना यह खिलवाड़ है प्रदेश की जनता के साथ । मेरा तो निवेदन है कि हमने जिस संविधान की श्रोथ ली है उसके खिलाफ हमको कोई काम नहीं करना चाहिये और अगर पद का दुरुपयोग करके तथ्य को छिपाने का प्रयत्न किया जाता है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता । इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर गौर करेंगे और यह जो हास्यास्पद संशोधन इभारत के नाम पर लाने जा रहे हैं इसे नहीं लायेंगे ।

श्री मैनेजरसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने मित्र को इस बात की सफाई दे देना चाहता हूं कि मंत्री महोदय बिल्डिग की परिभाषा में क्यों इसे ला रहे हैं । भवन की परिभाषा को वह व्यापक बना रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं सरकारी पक्ष से कहूंगा कि जब सरकारी विधेयक चल रहा हो और कोरम न हो तो यह सरकार के लिये शोभा नहीं देता । सरकारी पक्ष का दायित्व है कि कोरम पूरा होना चाहिये ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री मैनेजरसिंह--

श्रीमन्, कांग्रेसी समाजवाद के लक्ष्य के अन्तर्गत यह शाब्दिक परिवर्तन हो रहे हैं । पूंजीपति की कोठी, एक मजदूर की झोपड़ी और एक भिखमंगे के आसमान के साये में, इन तीनों के लिये मंत्री जी भवन का रूप देकर कोई भेदभाव नहीं रखना चाहते हैं । यह कांग्रेस समाजवाद का जो रूप है उसका प्रतिफल है कि भवन की नई व्याख्या मंत्री जी ने इस विधेयक में रखी है । मैं समझता हूं कि हमारे मित्र इस बात को समझेंगे ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, जनसंघ का प्रतिनिधि होने के नाते मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारे सदस्यों ने विमति टिप्पणी भी दी है और जो इसमें बरामदा और चबूतरा वगैरा इंक्ल्यूड कर लिये गये हैं इससे इसका बोझ आम जनता पर पड़ सकता है । अगर बिल्डिंग के अन्दर यह माने जाते तो हमें कोई आपत्ति न होती लेकिन जनता पर बोझ नहीं पड़ना चाहिये था । अगर किसी गरीब ने छप्पर भी डाल लिया तो उसको परेशानी हो सकती है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने मित्र कमलासिंह जी को अच्छी तरह जानता हूं और वे एक अच्छे वकील हैं और मेरे सहयोगी भी रहे हैं । उन्होंने एक चीज रखी और उनका सुझाव शायद ठीक होगा । लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि कौन सी चीज ऐसी हो गई कि उन्होंने इतना जोश दिखाया । यह उनकी आदत के खिलाफ है । उन्होंने कहा कि रूफ शब्द रखा जाय, इस पर विचार कर लेंगे । वैसे इसका मंशा किसी को तकलीफ देने का नहीं है । केवल यह चीज है जिसको वे भी पसन्द करेंगे कि हमने बिल्डिंग्स रेगूलेटिंग ऐक्ट बनाया लेकिन फिर भी कहा जाता है कि मकान बराबर बेढंगे पने से बन रहे हैं । कोई नक्शा भी पास नहीं कराता है । पहले एन्क्लोजर के लिये माननीय कमलासिंह जी ने स्वयं कहा था कि लोग नक्शा तक पास नहीं कराते हैं । ज्यादातर बड़े लोगों के ही एन्क्लोजर्स होते हैं । उनको हम हटा नहीं सकते हैं और न कुछ कर सकते हैं । उनको बिल्डिंग की परिभाषा में न लायें तो उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं । लिहाजा जरूरत हुई कि चबूतरा, एनक्लोजर वगैरा ले लें । नक्शा भी पास न करायें और चबूतरा बढ़ा लें तो कुछ नहीं कर सकते हैं । बहुत सोच-समझ कर यह रखा गया है । प्रवर समिति में भी इस पर बहस हुई और शहरों में इस तरह की चीजें न हों, इसलिये यह रखा गया है । और जहां पर एन्कलोजर को छोड़ देने की बात आई है वहां पर हमने ध्यान दिया है । जैसे एग्रीकलचरल परपज के लिये कोई एन्कलोजर है वह बिल्डिंग में नहीं आयेगा । जहां पर वह बिल्डिंग में शामिल है वहां पर उसको कर दिया है । अब इसमें आप रूफ करना चाहते हैं तो इससे इसकी परिभाषा बहुत सीमित हो जायगी । मैं समझता हूं कि माननीय कमलासिंह इसको समझेंगे कि यह नागरिकों के हित में नहीं होगा । यह तो इसलिये किया गया है कि लोग जमीन न घेरें और म्युनिसिपैलिटी का अंकुश नागरिकों के ऊपर बना रहे । इसलिये मैं समझता हूं कि कमलासिंह जी इस को वापस ले लेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव--

मैंने मंत्री जी की बात सुनी। मुझे उनकी कोई भी बात रीजनेबिल मालूम नहीं हुई। अगर कोई एग्रीकलचरल लैंड है और आप उसको घेर दें तो जब तक उसकी सिंचाई का इन्तजाम म्युनिसिपैलिटी से होता नहीं है तब तक उस पर कोई टैक्स नहीं लग सकता। इस विधेयक में ऐसा अमेंडमेंट आया। इसमें यह आप साफ कर रहे हैं कि जब तक उसकी वाटरिंग उसके द्वारा न हो तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। वह जमीन उसके पास घिरी हुई पड़ी है। उसके पास पैसा नहीं है तो बना नहीं सकता। गाजीपुर की हालत में मंत्री जी को बतलाऊं कि हमारे यहां यह हालत है कि ५० साल पहले जो कस्बे थे आज वह खंडहर हैं। गाजीपुर ५० साल पहले अच्छा कस्बा था लेकिन आज वह भी खंडहर है। मैं तो समझता हूं कि कोई भी पच्छिमी जिले का सदस्य जाय और देखे तो समझ जायगा कि १७ साल से ही यह हालत गाजीपुर की है। मैं कहूंगा कि यह जो परिभाषा है वह गाजियाबाद और लखनऊ के लिये आ सकती है लेकिन छोटे कस्बों के लिये, गाजीपुर जैसे शहर के लिये घातक सिद्ध होगी क्योंकि वहां की हालत ऐसी है जो आज देखने में आ रही है, उनके पास पैसा नहीं है कि जमीन घेर सकें या बिल्डिंग बना सकें। वे लोग झोपड़ी बना कर रहते हैं तब भी वह टैक्स के अन्दर आ जाती हैं जब वह जमीन घरने की बात करते हैं। अभी मंत्री जी ने सफाई दिया है कि हमारा यह मकसद नहीं है कि आदमी जमीन न घेरे लेकिन अगर कोई अपनी जमीन घेरता है तो आपका क्या नुकसान है। आपने सर्वे का प्राविधान किया है वह अच्छा है। आपकी ड्यूटी है कि म्यूनिसिपैलिटी की जो जमीन है उसका सर्वे कर लिया जाय ताकि हर शहर के रहने वाले आदमी को मालूम हो जाय कि यहां तक म्युनिसिपैलिटी है। अगर इससे ज्यादा होती तब भी माननीय मन्त्री जी इसको सोचने की कोशिश करें लेकिन आज यह परिभाषा देकर आप उन आदमियों को टैक्स के अन्दर लाना चाहते हैं जो इतनी ताकत नहीं रखते हैं कि पैसे से अपनी बिल्डिंग बना सकें या उस पर झोपड़ी रख सकें। इन चीजों को देखते हुये मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि ईमान्दारी का यह तकाजा है कि आप यह कोशिश कीजिये और लोगों के लिये ऐसा कानून बनाइये जिससे न्याय हो सके। अन्याय से रक्षा करने के लिये विरोधीदल की ड्यूटी है कि पब्लिक का सही तरीके पर प्रतिनिधित्व करे। प्रोपेगन्डा के लिये वह संशोधन नहीं देते हैं। १९३७ में यह कानून पास हुआ कि अगर बाउन्डरी वाल बनाये तो यह बिल्डिंग के अन्दर नहीं आता है इसलिये म्युनिसिपैलिटी का कोई ऐक्शन उस पर नहीं हो सकता है। मैं मन्त्री जी से कह रहा था कि अगर उनको दिक्कत है तो कंस्ट्रक्शन के नाम पर उसे ले आइये। अगर यह बात माननीय मन्त्री जी को पसंद न आये तो उसे आप रिजेक्ट कर दें, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मेरी तो ड्यूटी है कि मैं आप का ध्यान इस ओर दिला दूं, आप मानें या न मानें।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड २ में मूल अधिनियम की धारा २ में प्रस्तावित खंड (२) की द्वितीय पंक्ति में 'or other' और 'enclosure' शब्दों के बीच 'roofed' शब्द जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, मैं इसमें का पहला भाग ही मूव कर रहा हूं इसलिये कि ये दो अलग-अलग चीजें हैं। मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में मूल अधिनियम के खंड २ के उपखंड (२७) के अन्त में निम्नलिखित उपखंड (२८) के रूप में जोड़ दिया जाय:

"(28) 'Tribunal' means a Court of Civil Judicial Officer not below the rank of a District Judge or Additional District Judge and in a District where

[श्री कमलासिंह यादव]

there is no headquarters of the District Judge, the Civil or Additional Civil Judge appointed or constituted by the Director of Elections (Local Bodies) for the purpose of the hearing and disposal of Local Bodies Election Petitions."

मैं यह इसलिये रख रहा हूं कि इस विधेयक में मंत्री जी ने हर दफा में सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज और एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज रखने की कोशिश की है। तो अगर ट्रिब्यूनल का मकसद वही है--डिस्ट्रिक्ट जज और एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज, जिसको कि डाइरेक्टर आफ लोकल बाडीज एप्वाइंट करगा, जैसा कि रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट, १८८६ म है, और उसे अगर आप मान लें तो आप हर बार इसके रिपीटीशन से बच जायंगे। इसलिये आप ट्रिब्यूनल की डिफिनीशन दे दें। इससे साफ हो जायगा कि ट्रिब्यूनल में कौन होगा। इससे एक सहूलियत और यह होगी कि जहां डिस्ट्रिक्ट जज एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज नहीं हैं और वहां अगर एलेक्शन पिटीशन हो गया तो उन को अपना हेडक्वार्टर छोड़ कर वहां जाना पड़ेगा। उसमें खर्च भी होगा और परेशानी भी। हो सकता है कि वहां पर उन के रहने का स्थान भी न हो। एलेक्शन ट्रिब्यूनल का तो ट्रायल उसी स्थान पर होगा जहां कि इलेक्शन पिटीशन होगा। इसलिये अगर विधेयक में जहां बार-बार शब्द सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज और एडीशिनल डिस्ट्रिक्ट जज आये हैं उन के स्थान पर ट्रिब्यूनल प्रयोग कर लिया जाय तो कोई दिक्कत न होगी और उसके माने वही होंगे कि वह अथारिटी जिसको डाइरेक्टर, लोकल बाडीज एप्वाइंट करेंगे। यह एक अच्छी चीज होगी। मैं मंत्री जी को एलेक्शन विभाग को अलग करने के लिये बधाई देता हूं. लेकिन साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि अगर ट्रिब्यूनल शब्द का प्रयोग कर लिया जाय तो आप बार-बार के रिपीटीशन से बच जायंगे। वैसे यह गलती तो ला विभाग की है, लेकिन अगर ट्रिब्यूनल की डेफीनीशन दे दी जाय तो सारी दिक्कत दूर हो जायगी और जिस वर्डिंग के कारण भ्रम हो रहा है वह भी दूर हो जायगा। क्योंकि चाहे सिविल जज हो, एडीशनल जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो, जो ट्रिब्यूनल अप्वाइंट हो गया उस की लिस्ट आपके पास रहेगी और उसी से सारी कमी दूर हो जायगी। ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट में भी है, और भी कई विधेयक हैं। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप उस का खयाल करेंगे और पब्लिक को भी उससे लाभ होगा।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कमलासिंह जी, जो आपके संशोधन का एक खंड शेष रह गया था उसको भी प्रस्तुत कर दें।

श्री कमलासिंह यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में मूल अधिनियम के खंड २ के उपखंड (२७) के अन्त में निम्नलिखित उपखंड (२९) के रूप में जोड़ दिया जाय :--

"(29) Essential services means services as mentioned in Sections 112-B of Nagar Mahapalika Act, 1964."

जब मैंने इस विधेयक को पढ़ा तो श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे सब से बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ जब मैंने सेक्शन ८५ को पढ़ा। उसे पढ़ते हुये मुझे शर्म आती है। वह इस प्रकार से है श्रीमन्,--

"Penalty on specified municipal servants for failure to discharge their duties.

(*a*) A sweeper employed by a Board who (*a*) except in accordance with the terms of a written contract of service, or with the permission of the Board, resigns or abandons his employment; or

(*b*) without a reasonable cause of which notice has, when possible, been given to the Board, absents himself from the duties.

shall be liable upon conviction to imprisonment which may extend to to two months."

इस तरह से देखें कि मेहतरों की जो एक कम्युनिटी है उसको क्रश करने के लिये यह प्राविजन किया गया है।

आप श्रीमन्, ११२-बी को भी देखने का कष्ट करें। इसमें लिखा है—

"The following services of the Mahapalika shall be Essential Services, namely—

(*a*) medical and public health services.
(*b*) water works and mechanical engineering services;
(*c*) sweepers;
(*d*) staff of the lighting department;
(*e*) transport services; and
(*f*) such other services as may be specified in the rules.

जहां तक एसैंशल सर्विसेज की बात है उस में जितने भी जरूरी श्रेणी के लोग हैं, जिनकी एमर्जेंसी के समय जरूरत है, वे अपने काम पर लगे रहें, इसके लिये सामूहिक ढंग पर उन्होंने ऐसा किया है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स या म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में एक स्पैसिफि क्लाज आया है स्वीपर्स का। संविधान की आर्टिकल १५ में है कि किसी नागरिक के खिलाफ धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स, पैदाइश की जगह के कारण डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जायगा। स्वतंत्रता के बाद सब के नागरिक अधिकार समान हैं। तो फिर जाति के नाम पर आप स्वीपर्स के विरुद्ध अड़ंगा लगाकर उन्हें हड़ताल करने से रोकना चाहते हैं। आप उन्हें इस धारा से क्रश करना चाहते हैं क्योंकि वे जाति से स्वीपर हैं। एक तरफ तो आप घोषणा करते हैं कि आप जात-पांत मिटाना चाहते हैं और इसी लिये कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र बड़े किये जावें और संख्या कम रखी जाय। दूसरी तरफ आप इस प्रकार स्वीपर्स को दबाना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

क्या आप मूल अधिनियम की धारा ८५ को निकलवाना चाहते हैं?

श्री कमलासिंह यादव—

यदि मैं यह कहूंगा तो आप के क्लचेज में आ जाऊंगा। मंशा तो वही है लेकिन मैं कह नहीं सकता हूं। कभी क्या मंत्री जी ने यह सोचा कि मेहतर क्यों हड़ताल करता है? अगर आप १ हजार गुनी तनख्वाह भी किसी और जाति वाले को दें तो वह मेहतर का काम करने के लिये तैयार नहीं होगा। म्युनिसिपैलीटीज की आबादी बढ़ती जारही है लेकिन मेहतरों की संख्या घट रही है। आप मेहतरों के रहने का इन्तजाम कीजिये और उनकी तनख्वाह और संख्या बढ़ाइये। क्रश करने की मेंटलिटी को दूर कीजिये। आप संविधान की कसम खाकर यहां आये हैं और उस के विरुद्ध कानून नहीं बनाना चाहिये। ११२-बी० में जो संशोधन है वही ८५ की जगह अगर आप कर देंगे तो एक आमूल परिवर्तन होगा और आपके ऊपर कोई जाति-पांति का भेद का आक्षेप नहीं लगा सकता है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन कमलासिंह जी ने २८ नम्बर पर दिया है उसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। हमने यह प्राविधान किया है कि अगर कोई पेटशन प्रेजेन्ट करना चाहे तो डिस्ट्रिक्ट जज या एडीशनल जज के यहां होगा। लेकिन अगर कहीं ये जज नहीं हैं तो वह सिविल जज के यहां हो सकेगा। इलेक्शन के मामले जरा अहम होते हैं और जितना ऊंचा अफसर हो उतनी ही न्याय की आशा अधिक होती है। दूसरी दफा में प्रेजेन्टेशन में जो कमलासिंह जी चाहते हैं वही बात है। इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

२९ में उन्होंने बड़ा जोर दिया। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह एक वकील बने रहें, वह एक अच्छे वकील हैं। थोड़ी-सी कृपा करें, दूसरे लोग भी कुछ बुद्धि रखते हैं। दूसरे लोगों में अक्ल नहीं है, कम बुद्धि के हैं, यह कोई अच्छा भाषा नहीं है। या यह कहा जाय कि अक्ल से खारिज हैं .....

श्री कमलासिंह यादव--

मैं इसे वापस लेता हूं।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

यह बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि यह सबके ध्यान में नहीं आया। मेरी बदकिस्मती थी कि कमलासिंह जी प्रवर समिति में नहीं आ पाये। लेकिन प्रवर समिति में जो और माननीय सदस्य थे--मेरी अक्ल चाहे कम रही हो, उनमें बुद्धि की कमी नहीं थी। उन्होंने काफी गौर से काफी देर इस पर विचार किया। मैंने भी उन्हें काफी एकमोडेट किया और सुना। २९ संशोधन मैंने माने। अंग्रेजी में कहावत है कि काल ए मैन ए डाग ऐन्ड हैंग हिम। एक तरफ तो वह ऐसेन्शियल सर्विसेज की बात भी कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि स्वीपर्स कम्यूनिटी है स्वीपर के माने हैं झाड़ू लगाने वाला। वह एक सर्विस है, जाति नहीं है। यह विधान बना है सर्विसेज के लिये। दूसरे नम्बर पर दिया हुआ है:--

"The Prescribed Authority may direct on and from a specified future date that the provisions of sub-section (1) shall be applied also to any other specific class of servant employed by a board."

प्राविजन है वह यह है और जैसा मैं अर्ज कर रहा हूं उसमें दिया हुआ है कि एनि अदर सर्विस। तो स्वीपर एक क्लास आफसर्वेन्ट हैं जो कि सफाई से तालुक रखते हैं और सर्विसेज को भी अगर चाहें तो एक दफा दी हुई है उस से वह कर सकते हैं। और फिर चूंकि हम कोई अमेंडमेंट नहीं ला रहे हैं उस दफा में तो यह डेफिनिशन किस बात की? इसलिये यह अमेंडमेंट बिहाइंड दी स्कोप आफ दि बिल है और मैं इसे मंजूर नहीं करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव--

माननीय मंत्री जी ने दूसरी लाइट में इसको लिया। मैंने तो सिर्फ यही इशारा किया था कि जो कमेटी के सदस्य हैं उनके सामने यह चीज नहीं लायी गयी। जिस रूप में विधेयक होता है उसी रूप में वह वहां देखा जाता है। उसका विस्तार बढ़ाने का कोई अधिकार मंत्री जी ने दिया नहीं और न कानून के अन्दर विस्तार बढ़ाने की कोई क्षमता हो सकती है जब तक कि सदन निश्चित न करे।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

अधिकार यह सदन देता है, मंत्री नहीं देता है।

श्री कमलासिंह यादव--

अगर नियमों में मैं गलती कर जाऊं तो दूसरी बात है, वरना अभी तक मैं इसी सिद्धान्त को समझता हूं कि जब तक यह सदन उसको अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार न दे, तब तक यह हो नहीं सकता।

श्री अधिष्ठाता--

यही तो मंत्री जी कह रहे हैं कि सदन ही अधिकार दे सकता है।

श्री कमलासिंह यादव—

दूसरी चीज में यह कहना चाहता हूं कि स्वीपर की जगह पर अगर यह शब्द होते कि जो सफाई करने वाले हैं....

श्री अधिष्ठाता—

यह तो जब अनुवाद होगा तब आयेगा। आज तो स्वीपर ही रहेगा।

श्री कमलासिंह यादव—

हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर स्वीपर एक जाति है और उसका यह एक पेशा है। इसलिये मैं मजबूर हूं इसको लाने के लिए। अगर डेफिनीशन में यह दिया होता कि स्वीपर डज नाट मीन कम्यूनिटी बट इट मीन्स परसन्स हू वर्क ऐज स्वीपर्स तो मैं मान लेता।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वह ८५ को तो टच ही नहीं किया है तो यह कैसे कर देते ?

श्री कमलासिंह यादव—

इसीलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा था और आपको मालूम होगा माननीय अधिष्ठाता महोदय ने खुद ही कहा कि ८५ में अमेंडमेंट चाहते हैं, तो मैंने कहा कि मैं उसको लेता तो एसेंशियल सर्विसेज की बात भी नहीं कर सकता था। इसलिये मैंने आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया है।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने यद्यपि यह अनुज्ञा दी थी कि माननीय कमला सिंह जी अलग-अलग दोनों अंशों को पेश कर दें, लेकिन सुविधा की दृष्टि से अब मैं जैसा मूल संशोधन रखा है उसी प्रकार लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २ में मूल अधिनियम के खंड २ के उपखंड (२७) के अन्त में निम्नलिखित उपखंड (२८) व (२९) के रूप में जोड़ दिये जायं :

"(28) "Tribunal" means a Court of a Civil Judicial Officer not below the rank of a District Judge or Additional District Judge and in a District where there is no headquarters of the District Judge the Civil or Additional Civil Judge appointed or constituted by the Director of Elections (Local Bodies) for the purposes of the hearing and diposal of Local Bodies Election Petitions."

(29) Essential Services means services as mentioned in section 112-B of Nagar Mahapalika Act, 1964."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ तथा ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

४—मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (१) में—

(१) खंड (बी) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (बी बी) बढ़ा दिया जाय—

"(*bb*) making a survey, and ereciton of boundary marks, of the municipality,;"

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ७ का संशोधन

(२) खंड (डी) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (डी डी) बढ़ा दिया जाय—

"(*dd*) confinement, removal or destruction of stray dogs and dangerous animals;"

(३) खंड (डी) में शब्द "dead" और तत्पश्चात् आये हुए सेमीकोलन के बीच में शब्द "and making arrangements for the disposal of unclaimed dead bodies after ascertaining from the police in writing that there is no objction to do so" रख दिये जायं।

(४) खंड (एच) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (एच-एच) बढ़ा दिया जाय—

"(*hh*) reclaiming unhealthy localities";

(५) खंड (जे) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (जे जे) बढ़ा दिया जाय—

"(*jj*) maintaining in addition to any other source of water-supply, public wells, if any, in working condition, guarding from pollution their water and keeping it fit for human consumption;"

(६) वर्तमान खंड (क्यू) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*q*) protecting, maintaining and developing the, property vested in, or entrusted to the management of the board;"

(७) खंड (क्यू) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (क्यू-क्यू) बढ़ा दिया जाय—

"(*qq*) maintaining the finances of the board in satisfactory condition and meeting its liabilities;"

*श्री कमलासिंह यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"खंड ४ के उपखंड (२) के खंड (*dd*) की द्वितीय पंक्ति में शब्द 'dogs' और 'and' के बीच 'monkeys' जोड़ दिया जाय।

यहां यह देखा गया है और खास तौर से फैजाबाद में मंकीज की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। यह तो मैं नहीं कहूंगा कि उनको डिस्ट्राय करने की कोशिश की जाये, लेकिन कम से कम ऐसे जानवर यदि रिमूव कर दिये जायें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि वह मकानात और फसल को बरबाद करते हैं और सामान भी बरबाद करते हैं। श्रीमन्, कहीं भी सामान बिखरा हुआ रहेगा तो वह उसे बरबाद कर देते हैं। तो इन चीजों पर मैं अधिक न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि स्पैसिफिकली इसको इन्क्लूड कर लेंगे, तो इसके रिमूवल का इन्तजाम भी हो सकता है जिससे पब्लिक को सुविधा होगी।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं इसे मंजूर नहीं कर रहा हूं। सिर्फ इस बात से कि मंकीज को बहुत से लोग दूसरी दृष्टि से देखते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

आप बन्दर को क्या समझते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मैं बन्दर को बन्दर समझता हूं। यह इसमें नहीं आना चाहिये। मैं इसको मंजूर नहीं करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं तो उम्मीद कर रहा था कि माननीय मंत्री जी शायद जनसंघ की तरफ से कुछ उतेजना लें और यह कह दें कि यह धार्मिक जानवर है, लेकिन माननीय मंत्री जी उनको कनेक्ट में नहीं आये। मगर वह कोई दूसरा रीजन भी नहीं दे सके और जब रीजन नहीं दे सके तो मैं उनकी बातों का क्या जवाब दूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के खंड (*dd*) की द्वितीय पंक्ति में शब्द 'dogs' और 'and' के बीच में 'monkeys' जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कमलासिंह जी जरा आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं दोनों को एक साथ बोलने की तो इजाजत नहीं दे सकता हूं।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

यह तो कल मैंने आपके सामने ही करेक्ट कर दिया था।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कमलासिंह जी! प्रश्न यह है कि जब कल यह करेक्ट करा दिया गया और माननीय मंत्री जी आज भी उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि यह केवल टाइप की मिस्टेक है, तो यह संशोधन आता ही नहीं है। आप दूसरा संशोधन पेश करें।

*श्री कमलासिंह यादव--

मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने मेरा संशोधन मान लिया, लेकिन जो उनकी टेक्निकल डिफीकल्टी है, उसको मैं समझ रहा हूं। अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि--

खंड ४ के उपखंड (४) के (*hh*) में शब्द "unhealthy" और "localities" के बीच निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें :

"or water logged (damp)"

सिर्फ श्रीमन् यह है कि थोड़ी सी दिक्कत जो हमारे यहां की है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि अपने जिले में और बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज में मैंने देखा है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, जिसमें पानी बरसात के दिनों में भरता रहता है और वह जमा रहता है, जिसमें मलेरिया आदि के बहुत ज्यादा मच्छड़ हो जाते हैं और उनके कारण से इतनी गन्दगी हो जाती है कि आस-पास के लोगों का वहां रहना बहुत कठिन हो जाता है । मैंने देखा कि गाजीपुर में तो अस्पतालों के बीच में भी इस प्रकार के गन्दे गड्ढे बने हुए हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपके यहां जो गड्ढे हैं, क्या वह अन्हेल्दी लोकेलटीज की परिभाषा में नहीं आते ?

श्री कमलासिंह यादव--

जैसा मैंने बताया बाढ़ और वाटर लागिंग उसमें जो होता है, उसमें जो दिक्कत होती है, उसको माननीय मंत्री जी ने तो बहुत अक्लमंदी के साथ लिया जो कह दिया कि दोनों कवर हो जायंगे । अगर माननीय मंत्री जी भी इस बात को मानते हैं कि दोनों कवर हो जायंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है । जो इन्टेन्शन उनका है, वह मेरी भी इन्टेन्शन है कि अगर कहीं गड्ढे हैं और उसमें पानी भरता है, जिससे वह पानी सड़ता है और उससे गन्दगी फैलती है । जहां अनहेल्दी चीजें पैदा होती हैं । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी जगहों को एक्वायर करके ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वहां गार्डन वगैरह लगवा दिये जायं ? म्युनिसिपैलिटी में जो कूड़ा वगैरह उठाया जाता है उसको वहां डलवा कर उस स्थान को पटवा दें तो लोगों को बड़ी भारी सहूलियत मिल सकती है । अगर माननीय मंत्री जी के अनहेल्दी लोकलिटीज में यह बात आ जाती है तो मुझे कोई एतराज न होगा ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

वाटर लांग्ड एरिया अनहैल्दी लोकेलिटी में आ जाता है, इसलिये इसकी जरूरत नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव--

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वह कवर कर लेता है इसलिये मैं इसको वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

*श्री कमलासिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के मूल अधिनियम ७ (१) के उपखंड (h) के बाद निम्नलिखित उपखंड (hh) जोड़ दिया जाय :

"(*hh*) Constructing, establishing, maintaining or contributing to the maintenance of public parks, gardens, libraries, museums, reading rooms, radio receiving stations, lepers homes, orphonages, babyfolds and rescue homes for women, lunatic asylums, halls, offices, dharamshalas, rest houses, encamping grounds, poor houses, dairies, baths, bathing ghats, washing places, drinking fountains, tanks, wells, dams and other works of public utility;"

श्रीमन्, मैं यह कोई नयी चीज नहीं कह रहा हूं । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान क्लाज ८ की ओर दिलाना चाहता हूं उसमें डिस्क्रिशनरी फंकशन्स में मंत्री जी ने इन बातों को रखा है । इसको मैं धारा ७ में रखना चाहता हूं । बहुत सी ऐसी और भी चीजें हैं जो माननीय मंत्री जी धारा ८ में से धारा ७ में लाये हैं । मैं चाहता हूं इसको भी ले आया जाय । जो आदमी

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

टैक्स देता है उसके लिये म्युनिसिपैलिटी को चाहिये कि गार्डन का इन्तजाम करे, भिखारियों के लिये रहने का प्रबन्ध करे । यह हर एक म्युनिसिपैलिटी की ड्यूटी होनी चाहिये । म्युनिसिपैलिटी का यह कर्तव्य है कि जब वह टैक्स लेता है तो इसके लिये कुछ फंड्स भी रखे । अगर डिस्क्रिशनरी रख दिया गया तो वे इस ओर ध्यान ही नहीं देंगी । अगर कोई मेम्बर इन्फ्लुएंशियल हुआ तब तो काम करा लेगा वरना न हो पायेगा, लेकिन अगर इसको आप ड्यूटीज में रख देंगे तो हर म्युनिसिपैलिटी को करना ही होगा । ऐसे टैक्सेज हैं जिनका उपयोग इसके लिये हो सकता है । अधिष्ठाता महोदय, आपने भी अपने भाषण में इस चीज की ओर इशारा किया था । अगर आज नहीं तो फिर मंत्री जी इस चीज को ले आयें तो बहुत सुन्दर होगा ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

माननीय कमला सिंह जी ने कह तो दिया कि इसको म्युनिसिपैलिटी की कंपलसरी ड्यूटी कर दिया जाय । मान लिया गाजीपुर की म्युनिसिपैलिटी है, वह गरीब है अगर उसके लिये यह कंपलसरी कर दिया जाय तो क्या वह इन सारी चीजों को कर पायेगी, जिसके बारे में कहा गया है । मैं समझता हूं कि हर म्युनिसिपैलिटी के लिये डिस्क्रिशनरी ड्यूटी रहना ही ठीक होगा क्योंकि अगर आप उनकी यह कम्पलसरी ड्यूटी कर देंगे और कहीं वे उस काम को न पूरा कर सके तो वे सुपरसीड हो जायेंगी । तो क्या आप इसको पसन्द करेंगे कि अगर कोई म्युनिसिपैलिटी अपने यहां इनकैम्पिंग ग्राण्ड न बना सके किसी वजह से तो उसे सुपरसीड करके खत्म कर दिया जाय । मैं समझता हूं कि अगर माननीय कमला सिंह जी इसको दोबारा पढ़ेंगे तो वे खुद सोचेंगे कि उनका अमेंडमेंट इस लायक नहीं है कि उसे मंजूर किया जाय ।

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमान्, मुझे माननीय मंत्री जी की बात सुन कर बहुत अफसोस हुआ । मेरा कहना यह है कि जब आप म्युनिसिपैलिटीज के कंडीशन को ओवरहाल करने जा रहे हैं और आप इतना हाइली टैक्सेशन करने जा रहे हैं जिसका आप कभी स्वप्न भी नहीं देखते थे कि मकान वगैरह की बिक्री पर भी अब आप टैक्स लगायेंगे और ड्रेन्स के रिस्ट्रिक्शन पर भी आप टैक्स लगायेंगे । जब आप इस तरह का टैक्सेशन करने जा रहे हैं तो आपकी यह ड्यूटी हो जाती है कि . . . . . .

श्री अधिष्ठाता--

ड्रेन रिस्ट्रिक्शन से आपका क्या मतलब है ?

श्री कमलासिंह यादव--

अगर कोई ड्रेन का कंस्ट्रक्शन होगा तो जहां ओपेन लैंड मिलता है अगर वह किसी के कम्पाउण्ड के अन्दर हो और उसकी बाउंडरी वाल के अन्दर वह पड़ता हो तो वह भी बिल्डिंग की परिभाषा में आ जाता है तो उस पर भी आप टैक्स लगायेंगे । खयाल यह है कि रोड वगैरह बनती हैं तो जमीन की कीमत बढ़ जाती है और इस तरह से कोई आदमी उसको ज्यादा कीमत पर बेच देता है क्योंकि उसका ध्यान अधिक रुपया वसूल करने की तरफ होता है । मैं कहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी का ध्यान इतनी दूर तक गया तो उनको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये था कि जिस म्युनिसिपैलिटी के अन्दर कोई गार्डन न हो जहां कि आदमी घूम सके, टहल सके, जहां रिक्रिएशन का कोई स्थान न हो, वहां आप कम्पलसरी कर दें कि वे म्युनिसिपैलिटीज वहां अवश्य गार्डन बनावें और उसको मेन्टेनकरें । मैं नहीं जानता कि ऐसा कर देने से इसमें कौन सी हास्यास्पद बात हो जायेगी जिससे मंत्री जी इसको मानने में हिचक रहे हैं । हां यह बात दूसरी है कि कौंसिल के जरिये उनका हाथ बंधा हुआ है, वे शिकंजे के अन्दर जकड़े हुए हैं इसलिये वे कुछ कर सकने में अपने को असमर्थ पाते हैं । मैं अपने गाजीपुर म्युनिसिपैलिटी की हालत बतलाऊं कि वहां कोई गार्डन या कम्पाउंड ऐसा नहीं है जहां कि मरीज या दूसरे लोग जाकर अच्छी हवा ले सकें । हमलोग वहां गन्दगी में रहते हैं और हमारी हालत जानवरों से बदतर है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं यह अवश्य चाहूंगा कि इस तरफ उनका ध्यान अवश्य जाना चाहिये कि हर म्युनिसिपैलिटी के अन्दर कोई ऐसा गार्डन, कम्पाउंड या स्थान ऐसा होना चाहिये जहां जाकर लोग टहलते हुए अच्छी हवा ले सकें । ऐसी चीजों का कुछ न कुछ इन्तजाम होना चाहिये । और यह तभी हो सकता है जब कि आप इसे उनकी कम्पलसरी ड्यूटी में सम्मिलित कर दें । मैं समझता हूं कि अगर आप इतना भी नहीं कर सकेंगे तो अपने पद का उपयोग आप सही माने में नहीं करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ४ के मूल अधिनियम ७ (१) के उपखंड (h) के बाद निम्नलिखित उपखंड (hh) जोड़ दिया जाय :

"(*hh*) Constructing, establishing, maintaing or contributing to the maintenance of public parks, gardens, libraries, museums, reading rooms, radio receiving stations, lepers homes, orphonages, babyfolds and rescue homes for women, lunatic asylums, halls, offices, dharamshalas, rest houses, encamping grounds, poor houses, dairies, baths, bathing ghats, washing places, drinking fountains, tanks, wells, dams and other works of public utility;"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री कमलासिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड ५ के उपखंड(JJ) की द्वितीय पंक्ति में "Water Supply and Public wells" के बीच "hand-pipes" जोड़ दिया जाय ।

श्रीमन, मैं यह दावा तो नहीं करता, लेकिन मैंने यह देखा है कि बहुत सी नगरपालिकायें ऐसी हैं कि जहां हैन्डपाइप्स लगाये गये हैं और उनकी मेनटेनेंस की किसी को कोई फिक्र नहीं है और वह टूटे पड़े रहते हैं । कुंओं आदि के लिये तो आपने व्यवस्था की है, वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में भी किया है, लेकिन आपने हैंडपाइप्स को उसमें नहीं रखा है । वह अक्सर बिगड़ जाते हैं और उनकी इतनी दुर्दशा होती है कि लोग उसका सारा सामान तक उखाड़ कर ले जाते हैं । यह बहुत जरूरी चीज है जिस पर रोज २-४ सौ आदमी पानी पीते हैं .....

श्री अधिष्ठाता--

आप जरा एक मिनट अपना आसन ग्रहण करें । इसमें एक दिक्कत यह है कि आप का संशोधन इस प्रकार है कि "खंड ४ के उपखंड ५ के खंड ((JJ) की द्वितीय पंक्ति में "Water Supply and public wells" के बीच "hand-pipe" जोड़ दिया जाय ।"

आप देखें कि जो संशोधन विधेयक है उसके जिस खंड में आप इसको जोड़ना चाहते हैं उसमें यह ठीक बैठ नहीं रहा है .....

श्री कमलासिंह यादव--

आप देखें कि खंड ४ के उपखंड (५) में जो (JJ) बढ़ाया जा रहा है कि "maintaining in addition to any other source of water-supply, public wells" तो इस वाटर सप्लाई और पब्लिक वेल्स के बीच में हैंड पाइप्स और बढ़वाना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, आप अपना भाषण जारी करें ।

श्री कमलासिंह यादव—

पब्लिक वेल्स की तारीफ में यह नहीं आते और जो हैंड पाइप लगे होते हैं वे सौतेले भाई की निगाह से देखे जाते हैं, वह प्राइवेट या सरकार के नाम पर लगे होते हैं, लेकिन कोई उनकी मरम्मत का जिम्मेदार नहीं होता । मैं चाहता हूं कि यहां पर उनको भी शामिल कर लिया जाय ताकि कानूनन उनका भी मेनटेनेन्स कुओं आदि के साथ किया जा सके । उसके लिये भी फंड अलाट हो सके इसका प्राविजन आपको यहां कर देना आवश्यक है ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, इसको परिभाषा में तो करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक वाटर सप्लाई में यह हैंड पाइप्स भी आ जायेंगे अलग से यहां इसको रखने की जरूरत नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

हमारे वापस लेने का सवाल नहीं है, कहां तक उनको समझायें ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड ५ के खंड (JJ) को द्वितीय पंक्ति में "Water Supply and Public wells" के बीच "hand-pipes" जोड़ दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ५

५—मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (८) में :—

यू० पी० ऐक्ट सं० १९१६ की धारा ८ का संशोधन

(१) वर्तमान खंड (सी), '(एफ), और (एच) निकाल दिये जायें ।

(२) खंड (ए) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (एए) बढ़ा दिया जाय :—

"(*aa*) preparing an executing Master Plan;"

(३) खंड (ई) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (ईई) बढ़ा दिया जाय :—

"(*ee*) granting rewards for information leading to the detection of evasion of tax imposed under this Act or the detection of the causing of injury to or encroachment on property vested in, or entrusted to the management and control of the board';;

(४) खंड (के) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (के के) बढ़ा दिया जाय :—

"(*kk*) promoting tourist traffic;"

(५) वर्तमान खंड (एम एम) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(*mm*) removing social disabilities of Scheduled Castes and Backward Classes in such manner as may be prescribed."

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ५ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ६

यू० पी० एक्ट सं० २, २१६ की धारा ९ का संशोधन

६--मूल अधिनियम की धारा ९ के खंड (बी) में अंक "१५" और अंक "५०" के स्थान पर क्रमशः अंक "१०" अंक "४०" रख दिये जायें ।

*श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित संशोधित धारा ९ के उपखंड (४) के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"(*c*) 2 Schedule caste and 2 women members, co-opted by the elected members.

(*d*) All the Members of the Legislative Council and Assembly of the Uttar Pradesh who reside in the locality of the Municipality."

श्रीमन्, इसमें आगे इतना और जोड़ने की आज्ञा प्रदान करें ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, हमने अपने १५, १६ संशोधन इस विधेयक में हिन्दी भाषा में दिये थे और श्री मित्तल से कहा था कि कम से कम उनको छापें तो एजेन्डा में, लेकिन वह नहीं छपे । एक तो हिन्दी भाषा का अपमान करके हमारे मन पर जो ठेस पहुंची है आप उसे छोड़ दें, लेकिन इस पर आप व्यवस्था दें कि इस सदन में जो माननीय सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते हैं, मैं कल यहां दिन भर इसीलिये नहीं बैठा, मुझे ऐसा लगता है कि यह सदन हमारे लिये नहीं है । जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं वह इस विधेयक पर चल रही बहस में हिस्सा नहीं ले सकते, केवल मूक दृष्टा बन कर बैठे रहें ।

अनेक सदस्य---

आप तो अंग्रेजी जानते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र----

मैं अंग्रेजी जानने वालों के लिये अंग्रेजी जानता हूं । लेकिन इस सदन और प्रदेश की जनता के लिये अंग्रेजी नहीं जानता । अतः राजभाषा हिन्दी होनी चाहिये और देवनागरी लिपि में हो । जो अंग्रेजों की औलाद हैं उनके लिये मैं अंग्रेजी का इस्तेमाल कर सकता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, एक निवेदन करना है ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं एक सूचना दे दूं । इस पर व्यवस्था और शेष भाषण कल को होंगे । अब साढ़े चार बज दूसरा काम लिया जायगा ।

प्रदेश में अंग्रेजी भाषा में बनाए गए अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

अधिष्ठाता महोदय, विधान सभा में दो प्रश्न पूछे गये । उन प्रश्नों पर उत्तर देते हुए मंत्री जी ने जिन शब्दों में अपने पक्ष को बचाया, कुछ ही दिन बाद कल जब मुख्य मंत्री ने घोषणा की सदन में कि वह विधेयक अभी नहीं बढ़ रहा है तो आप जान सकते हैं कि कितना निरर्थक था । तो भी इस समय इस संबंध में सरकार बधाई की पात्र है कि उसने भाषा विधेयक वापस ले लिया । यह नहीं है कि इस भाषा विधेयक के वापस ले लेने से सरकार का राजकाज हिन्दी में चलने लगा । यद्यपि कोई अवसर नहीं है इस समय अध्यक्ष से निवेदन करने का क्योंकि वह हैं नहीं, लेकिन कार्यवाही में अकेले सवालों के घंटे में १००, १५० बार अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग होता है। प्रश्न यह है कि हम यहां जिनके लिये विचार करने बैठे हैं, कानून बनाने बैठे हैं, कानून की सबसे पहली परिभाषा यह है कि उसे जनसमाज को जानना चाहिये । जिस समय गजट हो गया तो सरकार यह मान लेती है कि यह कानून जन समाज जान गया कि अगर किसी ने यह अभियोग किया तो उसकी यह सजा मिलने वाली है । लेकिन लज्जा से सिर झुक जाता है जिस समय इस सदन में लोग अंग्रेजी की हिमायत करते हैं ।.....

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--

क्या आप अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में नहीं भेजते ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

जी नहीं । अगर मंत्री जी की यह सूचना है तो गलत है ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य आपस में इस प्रकार आमने सामने बात न करें ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी की सूचनार्थ निवेदन कर दूं कि लखनऊ में ऐसा स्कूल है जहां पर हिन्दी के माध्यम से पढ़ाई होती है । उस स्कूल का नाम सरस्वती विद्या मंदिर है और यदि माननीय मंत्री जी भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें तो वहा भेजें ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि आज इस भाषा विधेयक को वापस लेने के बाद प्रश्न आ सकता है कि इसकी उपादेयता क्या है ? यहां भाषा के संबंध में जो ऐक्ट पास किया था उसके अन्तर्गत राज भाषा अधिनियम, १९५१ की धारा २ (ख) के अधीन राज्य के किसी भी प्रयोजन के लिये हिन्दी का प्रयोग विहित नहीं किया गया है और संविधान के अनुच्छेद ३४५ के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत अंग्रेजी का प्रयोग उन सभी कार्यों के लिये वैध है जिनमें उसका प्रयोग संविधान के प्रारम्भ पर किया जा रहा था । इस राज्य के विधान मंडल ने अनुच्छेद ३४८ (३) के संदर्भ में उत्तर प्रदेश भाषा (विधेयक और अधिनियम) अधिनियम १९५० बना कर विधेयकों तथा अधिकारियों में देवनागरी लिपि में हिन्दी के प्रयोग विहित कर दिया है। उसके हिसाब से १९६५ में भी उसके बाद अंग्रेजी में संशोधन नहीं आयेंगे । एक बात विधेयकों के संबंध में थी कि राज्य सरकार विकल्प करेगी जिसमें प्रदेश की सरकार का कार्य हिन्दी में संचालन होगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

जब विदेशों की बात करते हैं तो जब विदेश के लोग यह सुनते होंगे कि उत्तर प्रदेश की एसेम्बली में अब भी भाषा के लिये संघर्ष होता है कि अंग्रेजी चले या हिन्दी चले तो वे यही सोचते होंगे कि १५ वर्षों के बाद भी हमने यहां पर गुलामी छोड़ रखी है, जो यहां पर मौजूद है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि सदस्यों की भावना जो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं जानते हैं बेचारे जब उनका ह्विप कहता है तो हाथ उठा देते हैं । जो बातें अंग्रेजी में आती है, जिसके वाद विवाद को वे नहीं समझते, जिसकी गम्भीरता को वे नहीं समझते उनको मजबूर किया जाता है कि वे हाथ उठावें । मैं समझता हूं कि अंग्रेजी भाषा को जानना या किसी और भाषा को जानना बुरा नहीं है । उसके माध्यम से दूसरे देशों की जानकारी बढ़ती है । पर पहले उसको हिन्दी का पूरा ज्ञान करा लें । जब हिन्दी में एक विशेष योग्यता प्राप्त हो जाय तब उसका अंग्रेजी पढ़ने में समय नष्ट करायें और इसी प्रकार से विधान सभा का भी भविष्य में समय नष्ट न करावें । श्रीमन्, १९२० के पहले अंग्रेजी, शासन जब इस भारतवर्ष में था उस समय उर्दू में, मराठी में, बंगला में, इन सब भाषाओं में, हाई कोर्ट्स और प्रिवी कौंसिल की ला रिपोर्ट्स निकला करती थीं । तो जब उस समय निकल सकती थी तो इस समय सरकार को क्यों असुविधा है । वास्तव में सरकार ने प्रयत्न नहीं किया है । वह इसको गम्भीर प्रश्न नहीं समझता है । उन्हें याद रखना चाहिये कि प्रदेश की जनता के प्रति उनका कुछ दायित्व है । मुझे आशा है कि जिन १-२ घोषणाओं को सरकार ने पीछे छोड़ा है वह उन्हें करेगी ।

मुझे बड़ा दुःख हुआ है कि जो पत्र माननीय मुख्य मंत्री का सदन में प्रस्तुत हुआ है वह भी अंग्रेजी में था । मैं नहीं समझता कि इस विधान सभा में भी अंग्रेजी के पत्र प्रस्तुत किये जायें । अगर यह मान भी लिया जब कि कुछ सदस्य अंग्रेजी जानते भी हैं तो भी बहुत से ऐसे सदस्य हैं जिन्हें इसको समझने में दिक्कत हो सकती है । इन शब्दों के साथ में आग्रह करूंगा कि ऐक्टों का जल्दी से जल्दी हिन्दी में अनुवाद कराया जाय और हिन्दी में ही काम हो । केन्द्र की बात कही गयी कि केन्द्र ने अंग्रेजी ऐक्ट्स का हिन्दी में अनुवाद करा कर उसे अधिकृत कर दिया । इन शब्दों के साथ में हम मंत्री जी की घोषणा का इन्तजार कर रहे हैं ।

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय मुझे बड़ी तकलीफ हुई भाई टम्बेश्वर प्रसाद जी की यह बात सुन कर कि इस प्रदेश की सरकार हिन्दी नहीं चाहती या हिन्दी को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं कर रही है । सन् ४७ के बाद हमने प्रदेश की भाषा हिन्दी स्वीकार की है । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से एक प्रार्थना करूंगा कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय विरोधी दल ने उठाया है और उसका महत्व आप स्वयं स्वीकार कर चुके हैं । माननीय मुख्य मंत्री बोल चुके तो आपको अवसर दूंगा कि आप प्रश्न करें, बीच में आप प्रश्न न करें ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमने अपने यहां हिन्दी भाषा स्वीकार की और जैसा कि आदरणीय सदस्यों को ज्ञात भी है हम इस सभा की सब कार्यवाही हिन्दी में करते हैं, हिन्दी में अपने अधिनियम बनाते हैं । लेकिन हमारा सम्बन्ध केवल हमें से ही नहीं है । हिन्दी हमारे प्रदेश की भाषा है और प्रदेश की ही नहीं तीन अन्य प्रदेश भी हैं जिनकी राज्य भाषा हिन्दी है । हमारे यहां कुछ अधिनियम अंग्रेजी में बने हुये हैं । उन अधिनियमों का अनुवाद हिन्दी में होना था । यह बात दूसरी है कि हम अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यहां हिन्दी में कोई अधिनियम बनायें और उस अधिनियम में शब्द जहां रखना चाहें रख दें और उसके बाद उसका अनुवाद अंग्रेजी में कर दें और उसका गजट हो जाय । लेकिन अगर एक चीज अंग्रेजी में है तो उस ऐक्ट में अंग्रेजी शब्दों के लिये उसी तरह के हिन्दी शब्द ढूढ़ने होंगे । उदाहरण के लिये हम किसी चीज को "आम" कहते हैं तो हिन्दी में आम लिखेंगे उसका ट्रान्सलेशन हम अंग्रेजी में "मैनगो" कर सकते हैं । लेकिन अंग्रेजी में यदि कोई शब्द "मैनगो" और उसका ट्रान्सलेशन हमको करना है तो आप एक करें, कोई दूसरा करे, उसमें दिक्कत उत्पन्न होने का अन्देशा है । इसीलिये भारत सरकार ने एक विधि कमीशन बैठाया । जिसका यह काम था कि वह ऐसे शब्द ढूंढ़े और ढूंढ़ कर हमारे पास भेजे । यह काफी कठिन कार्य है ।

कुछ अनुवाद उन्होंने किया और अनुवाद करके कुछ पुस्तकें हमारे पास भेजीं भी । चूंकि कार्य कठिन है इसलिये ऐसे लोग मिलते नहीं कि जो उन शब्दों का ट्रान्सलेशन कर सकें । जो ट्रान्सलेशन भेजा भी है उसकी अभी स्वीकृति नहीं आयी है । इसलिये इसमें थोड़ी हमारी मजबूरी थी । मगर फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस बात पर बड़ा जोर है हम लोगों ने अर्थात् ४ मुख्य मंत्रियों ने यह किया कि जो विधि आयोग है उसकी सहायता की जाय । काम उसी को करना है लेकिन काम करने में थोड़ी सहायता की उन्होंने सोची इसके लिये चारों प्रदेशों ने मिल कर कुछ फैसले किये । इसकी मीटिंग माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी । इसका रूप अभी सामने नहीं आया । लेकिन एक रूप यह है कि जो विधि आयोग है उसकी शब्दावली बनाने में हमारे यहां के लोग उनकी सहायता करें जिससे यह काम जल्दी से जल्दी हो सके । उनके जो ऐक्ट हैं उनके बनाने में देरी भी हो सकती है, लेकिन हमारे यहां जो अधिनियम हैं उनके अनुवाद का कार्य हम हिन्दी में तेजी से करायेंगे और उसको बिना देखे हुये कि उनकी शब्दावली बनी है या नहीं, हम अपना कार्य प्रारम्भ कर देंगे, यह हमने निश्चय किया है। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि साधारण शब्दावली बहुत आसान होती है । जो हिन्दी जानने वाले हैं और कानूनी शब्दावली जानते हैं वे इस चीज को जानते हैं । एक आध आदमी हमारे पास ऐसे थे, लेकिन भारत सरकार ने उनको हम से मांग लिया और हमने उनको दे दिया । इसीलिये कि वे वहां हमारी सहायता करेंगे । फिर भी हमारा प्रयास है कि हम इसको अपने प्रदेश में तेजी से चलायें ।

मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि प्रदेशीय सरकार इस बात के लिये बैठी नहीं रही कि हमारे यहां काम हिन्दी में न हो । हमने बड़े भारी आदेश जारी किये । यह मैं मानता हूं कि इन आदेशों का पालन जिस तेजी से होना चाहिये था. . . . . .

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, केवल १५ मिनट ही रह गये हैं और हमारी कुछ शंकायें भी हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

सदन को इसमें खुशी होगी और सूचना मिल जाय । लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से भी कहूंगा कि सारी अवधि केवल ३० मिनट की है, इसलिये संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमने यह भी आदेश जारी किये कि हमारे यहां सरकारी कार्यालयों में पत्र हिन्दी में लिखे जायं, सरकारी परिपत्र हिन्दी में छापे जायं । सरकारी दफ्तरों के साइन बोर्ड और नोटिस इत्यादि हिन्दी में कर दिये जायं । सरकारी सर्विसेज में भर्ती के लिये जो परीक्षा हो उसमें हिन्दी अनिवार्य विषय बना दिया जाय । हिन्दी में तार भेजे जायं । इसी तरह से हमने यह भी कर दिया कि हिन्दी टाइप राइटर्स ज्यादा रखे जायं और लिफाफों पर जो पते लिखे जायं वे हिन्दी में लिखे जायं, निमंत्रण पत्र हिन्दी में हों और दौरे का प्रोग्राम हिन्दी में हो । अलग-अलग समय में प्रशासन ने आदेश

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

हिन्दी में काम करने के भेजे हैं और हम सब लोगों का काम है कि इस दिशा में तेजी लायें। आदरणीय सदस्य जो हिन्दी का दावा करते हैं, उनकी हमारे पास जो चिट्ठी आती हैं, उनमें विरोधी दल के लोग भी हैं, तो ९० प्रतिशत चिट्ठियां अंग्रेजी में आती हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। हमारा यह प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हिन्दी में काम होने लगे। जैसा कि हमने निश्चय किया है हमारे प्रदेश की भाषा वही होगी। उसको कोई रोक नहीं लगा सकता। यह हमारा निश्चय है और इस निश्चय पर हम अग्रसर होंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

अभी माननीय मंत्री जी ने लिस्ट पढ़कर सुनाई कि इन कामों में हिन्दी का प्रयोग सरकार की तरफ से बराबर होता आया है। उनमें से केवल एक विषय के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी की तरफ सरकार की क्या नीति रही है। सरकार की तरफ से एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है सन् १९६१ में। उसके १२ नम्बर के परिपत्र और परिच्छेद ६ में यह कहा गया है कि राजकीय अवसरों पर निमन्त्रण तथा कार्यक्रम और मन्त्रियों तथा अधिकारियों के दौरों का कार्यक्रम सब अनिवार्य रूप से हिन्दी में होना चाहिये। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पारसाल और इस साल दोनों साल स्वतंत्रता दिवस के दिन के राज्यभवन से निमन्त्रण पत्र जो निकला वह हिन्दी में था या अंग्रेजी में था और जो वहां से कार्यक्रम का परिपत्र भेजा था वह हिन्दी में था या अंग्रेजी में था ?

आर० पी० भार्गव चीफ सेक्रेटरी इस राज्य के हैं। इन्होंने पं० जवाहरलाल नेहरू जब यहां पर आये थे तब निमन्त्रण-पत्र भेजा था। वह निमन्त्रण पत्र आर० पी० भार्गव ने १२ मई, १९६३ को भेजा था जब कि प्रधान मंत्री जी यहां पर आये थे। उनका कार्यक्रम राज्य के मुख्य सचिव की तरफ से अंग्रेजी में क्यों भेजा गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसको अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैंने यह कहा कि यह आदेश हमारा है। अब अगर उन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तो हम देखेंगे कि कहां नहीं हो रहा है। अगर पालन नहीं हो रहा है तो यह ठीक नहीं है। यह देखने का हमारा काम है कि उनका पालन हो।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार का जब यह आदेश है जैसा कि उन्होंने पढ़कर सुनाया कि सब काम हिन्दी में हो और हिन्दी में सब लिखें तो बावजूद इस राजाज्ञा के उत्तर प्रदेश की सरकार के यहां से सारे परिपत्र अंग्रेजी भाषा में जिलाधीशों को, क्षेत्रसमिति के अध्यक्ष को, ग्राम सभा के प्रधानों को क्यों जाते हैं, जब कि वह अंग्रेजी नहीं जानते हैं ? यह सरकार राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाले सचिवों के विरुद्ध उचित कदम क्यों नहीं उठाती ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मेरी ऐसी सूचना है कि पंचायत राज विभाग अपना सारा काम हिन्दी में करता है। मुझे ऐसी सूचना नहीं है कि ग्राम सभा के प्रधानों के पास कोई आदेश अंग्रेजी में गया है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मुझे निश्चित सूचना है कि पंचायत राज विभाग, नियोजन विभाग आदि के परिपत्र अंग्रेजी में ही जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

क्या मंत्री जी, मिश्र जी का आरोप सूचना मानकर इसकी जानकारी कराने का प्रयत्न करेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

अगर उनको ऐसी सूचना है तो मैं जरूर जानकारी कराऊंगा ।

श्री श्यामलाल--

हमारा विशाल भारत एक महाद्वीप की तरह से है और इसमें १४ स्टेट्स हैं और १४ रीजनल लैंग्वेजेज हैं । तो मेरा प्रश्न यह है कि इंटर स्टेट करस्पांडेंस के लिये आप कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वह प्रश्न तो हिन्दी में करें ।

श्री श्यामलाल--

बड़ी दिक्कत यह है कि कुछ टेक्निकल शब्द ऐसे हैं कि जिनकी हिन्दी होना मुश्किल है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हर शब्द का हिन्दी पर्यायवाची शब्द है । अगर उनको जानकारी नहीं है तो यह हिन्दी का कसूर नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप हिन्दी में प्रश्न करें ।

श्री श्यामलाल--

यह हमारा विशाल भारत एक महाद्वीप की तरह है और इसमें १५ राज्य हैं । १५ तरह की भाषायें हैं जैसे मलयालम, तेलगू, तामिल, बंगाली, उड़िया, आदि । तो अगर आपको किसी दूसरे राज्य के साथ पत्र व्यवहार करना है जो हिन्दी नहीं जानता तो आप उसमें किस भाषा का प्रयोग करते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह सही है कि हमने अपने राज्य की भाषा हिन्दी मान ली है, लेकिन यहां के हाईकोर्ट, एकाउन्टेन्ट जनरल आदि अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं और बहुत से ऐक्ट्स का ट्रान्सलेशन भी हिन्दी में नहीं हो पाया है । इसलिये दिक्कत पड़ती है और इस कारण दूसरे राज्यों से पत्र व्यवहार में अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

सेक्रेटेरियट से सारी करस्पांडेन्स अंग्रेजी में होती है और जिले से डी० एम० आदि भी अंग्रेजी में ही सूचनायें भेजते हैं तो या इसका विकल्प आपने उनको दे रखा है या आपकी तरफ से इस आदेश का पालन कराने में ढिलाई बरती जाती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सारा काम हिन्दी में ही हो, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जैसे अभी श्यामलाल जी को हुई, वही दिक्कत अफसरों को भी होती है ।

श्री अधिष्ठाता—

मुझे खेद है कि इसमें बहुत से सदस्य दिलचस्पी रखते हैं । लेकिन दफा ५० का प्रश्न माननीय रक्षपाल सिंह जी ने दिया था इसलिये अब मैं उनको अवसर दूंगा ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, हर एक जिले में आज भी अंग्रेजी में दफ्तरों के नाम पाये जायेंगे । तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे आदेश देंगे कि उनकी जगह हिन्दी में दफ्तरों के नाम कर दिये जायं तथा कलेक्टरों के अधीन जितने भी कार्यालय हैं तथा मजिस्ट्रेट आदि सब अपना कार्य हिन्दी में ही करें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तो आपसे कहा कि कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से कुछ कार्य अंग्रेजी में ही करना होता है । ए० जी० से पत्रव्यवहार अंग्रेजी में ही करना होता है । हाई कोर्ट की भाषा अभी अंग्रेजी ही है । अभी हमारे कुछ ऐक्टस हैं ऐसे जिनका हिन्दी में अनुवाद नहीं हुआ है । फिर भी हमने उसके लिये आदेश दे दिये हैं और हमारा यह प्रयास होगा कि धीरे-धीरे सब काम हिन्दी में हो, उसका अधिक से अधिक उपयोग हो ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, ५ मिनट का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

नियमों के विपरीत भी, माननीय सदस्यों की इच्छा देखते हुये मैं समय जरूर बढ़ा देता, किन्तु आज ५ बजे से एक दूसरा कार्य होने वाला है जिसमें सभी माननीय सदस्यों को दिलचस्पी है, इसलिये मैं आपसे चाहूंगा कि आप उसके लिये आग्रह न करें ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

इस बात को देखते हुये कि आजादी के बाद हिन्दी का समुचित प्रयोग हमारे राज्य में नहीं हुआ है । सरकार के प्रयत्नों के बावजूद भी आफिस के हर अंग में अंग्रेजी का प्रयोग अभी जारी है । इसको देखते हुये क्या सरकार कोई मशीनरी इस तरह की स्थापित करेगी कि जो इन सब बातों की देख भाल कर सकें कि हिन्दी का प्रयोग सरकारी नीति के अनुसार हो रहा है या नहीं और वह अधिनियमों वगैरह का भी अनुवाद हिन्दी में कर सकें ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं ५ मिनट का समय बढ़ाता हूं ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तो पहले ही निवेदन किया, हमारी कुछ दिक्कतें हैं । अब उसके लिये हमारा प्रयास जारी है । हमने अनुवाद कराने का भी निश्चय कर लिया है । हिन्दी की उन्नति के लिये पहले भी हमारी इच्छा रही है और अब भी है । हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त के जून, सन १९६१ के परिपत्र के पैरा ४ के अनुसार जो उन्होंने मंत्रियों, उप मंत्रियों, सचिवों को लिखा था, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने उन आदेशों का कितना पालन किया और कितनी फाइलों में हिन्दी में नोट लिखा ?

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने तो आपसे पहले ही निवेदन कर दिया है कि हमारी यह इच्छा है कि जो भी आदेश हैं उनका पालन हो और हम यह देखेंगे कि उसका सही तरीके से पालन हो ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

माननीय मंत्री जी की बात सुनकर हमको लज्जा आती है । पता नहीं इस सरकार को लज्जा है या नहीं । जब सरकार का आदेश इसके अधिकारी मानते नहीं तो बताइये इस सरकार को क्या कहा जाय । माननीय मंत्री जी ने तमाम तूल बांध दिया कि हमने बहुत हिन्दी का काम किया है, हम हिन्दी लाये हैं तो मैं यह पूछता हूं कि हमको जो तनख्वाह के बिल का कागज मिलता है, क्या उसमें एक भी हरफ कहीं भी हिन्दी का होता है और उसमें सील जो लगायी जाती है वह भी अंग्रेजी की लगती है, तो क्या मंत्री जी हमको बिलकुल पागल बनायेंगे ? इस हिन्दी भाषी सूबे में दूसरे सूबों के देखते हुये हमको एक एक महीने के लिये क्यों निकाला गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जो आपकी तनख्वाह का बिल है वह तो पुराना फार्म छपा हुआ है । लेकिन आपने देखा होगा उसमें लिखा हिन्दी में ही जाता है । आपका नाम जो लखी सिंह है वह उस पर हिन्दी में ही लिखा जाता है, यह इस बात का सबूत है कि काम हिन्दी में ही हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
८ सितम्बर, १९६४ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८२ पर)

१--अजोगापुर	२--गाढ़ा	३--असेहवरपुर	४--मडोली
५--मुस्तफाबाद	६--इशहाकपुर	७--अरहोना	८--खालिशपुर
९--गोवरिया	१०--मखना	११--बेलोवा	१२--सिवबल
१३--बीबोपुर	१४--पिपरसाथ	१५--लसरा	१६--पिन्डोरही
१७--टइंचा	१८--बाजपुर	१९--नसोरपुर	२०--इटोरा

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ५९२ पर)

दिनांक १२-१२-६३ से १-७-६४ तक ११ नलकूप इन कारणों से बन्द हो गये थे—

(क)	रेत देने स्वयं पानी कम देने के कारण बन्द नलकूप	४
(ख)	पम्प जाम हो जाने के कारण बन्द नलकूप	१
(ग)	पम्प हाऊस के फट जाने के कारण बन्द नलकूप	१
(घ)	मेकेनिकल खराबी की वजह से बन्द नलकूप	२
(ङ)	हाईडिल खराबी से बन्द नलकूप	३
	योग ..	११

गिरधारी लाल
सिंचाई मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ५९५ पर)

चार नलकूप चालक तथा तीन लिपिक/लिपिकों को वापस न भेजे जाने का कारण यह है कि मुख्य अभियन्ता के आदेश जो उन्होंने अपने पत्र संख्या ८३० आई० ई० वी० दिनांक ६-२-१९६० में जारी किये थे, लिपिकों पर लागू नहीं होते। इन नलकूप चालकों के बारे में मुख्य अभियन्ता को कहा जा रहा है कि यदि कोई विशेष अड़चन न हो तो इनको भी उक्त आदेश के अनुसार स्थानान्तरित कर दिया जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--१३३ एल० ए०--१९६४--८६०।